लोक-सभा

गुरुवार,
२५ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

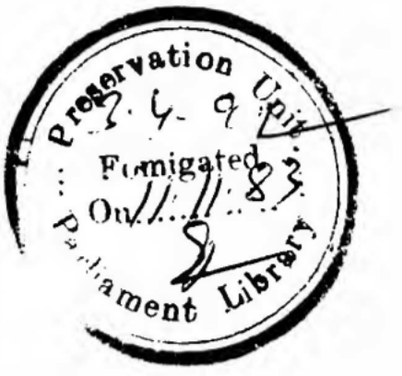

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक-सभा

गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भू-तत्वीय परिमाप

*११२४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक ससाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४–५५ में कोई भूतत्वीय परिमाप दल पंजाब भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर पता लगाये गये खनिज पदार्थों की सम्भावनाओं का स्वरूप क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वे अधिकारी जिन्हें यह अनुसंधान सौंपा गया था, अभी हाल ही में प्रधान कार्यालय में वापस आये हैं और वे अपने क्षेत्र सांख्यकी का अध्ययन कर रहे हैं, नमूनों तथा उनके विश्लेषणों का परीक्षण कर रहे हैं, नक्शों इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तथा अपने प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप देने में लगे हुए हैं इसलिये उनके अनुसन्धानों से कोई निश्चित परिणाम निकालने में कुछ समय लगेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब तक कोई प्रयोगात्मक कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान् । इन दलों को सर्वेक्षण कार्य के लिये एक निश्चित कार्यक्रम के साथ भेजा जाता है ।

पंजाब दल के लिये अभी समाप्त हुई ऋतु के बारे में यह कार्यक्रम था :—

(१) तैलधारी क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए होशियारपुर तथा कांगड़ा ज़िलों के क्रमबद्ध नकशे बनाने के काम को जारी रखना तथा रोढ़ की हड्डी वाले जन्तुओं के जीवाश्मों को इकट्ठा करना ।

(२) भाकड़ा बन्ध स्थान के व्यौरात्मक भू-तत्वीय अनुसन्धान को जारी रखना ।

(३) थीन बन्ध स्थान का अनुसन्धान करना ।

(४) पानी भर जाने वाले ज़िलों में विशेषतया पंजाब के फीरोज़पुर ज़िले में पानी के तल का अग्रेतर अनुसन्धान करना ।

(५) फीरोज़पुर ज़िले में पूर्वी नहर तथा ग्रे नहर के आसपास नल-कूप लगाने के स्थानों का अनुसंधान जारी रखना ।

(६) भूमि के नीचे जल की मात्रा का अनुसंधान करना जिससे कि नल-

कूप तथा दूसरे प्रकार के कुएं बनाये जा सकें ।

(७) पंजाब में परीक्षात्मक छेद करने के लिये चुने गये क्षेत्रों में एक क्रमबद्ध भू-तत्वीय तथा जालीय पर्यवेक्षण करना ।

(८) पंजाब में छेद किये सुराखों का विद्युत लॉगिंग करना ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को इन योजनाओं को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : ये सारे कार्यक्रम पूर्णतया अथवा अंशतया पूरे हो चुके हैं उनकी सांख्यकी उपलब्ध है और उनका अध्ययन इस दृष्टिकोण से किया जा रहा है ताकि एक ठीक ठीक प्रतिवेदन लिखा जा सके और हम निष्कर्ष निकाल सकें । अगले वर्ष हमारे कार्यक्रम में नवीन बातें होंगी और वह इन्हीं दलों द्वारा किया जायेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन कार्यक्रमों के लिये कोई पूर्व वर्तितायें रखी गई हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान् । हम कार्यक्रमों के बारे में पूर्ववर्तिताओं के आधार पर निर्णय करते हैं ।

मनोवैज्ञानिक गवेषणा शाखा

***११२५. श्री इब्राहीम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा विज्ञान संगठन की मनोवैज्ञानिक गवेषणा शाखा पर अब तक क्या व्यय किया गया है ;

(ख) इस संगठन द्वारा कौन कौन से काम अपने हाथ में लिये गये तथा उनके परिणाम क्या हैं ; और

(ग) क्या संगठन के समस्त पदाधिकारी भारतीय हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) लगभग १२,३५,००० रुपये ।

(ख) (१) मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं को तैयार करना तथा उनका प्रमापीकरण करना । इस काम से ५३ नयी परीक्षाओं का निर्माण किया गया है ।

(२) संचरित कामों पर नियुक्त कर्मचारियों का प्रशिक्षण । इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रधानों, मनोवैज्ञानिकों, तथा पदाधिकारियों के चुनाव के लिये सेवा संवरग बोर्डों के वर्ग परीक्षक पदाधिकारियों के लिये कई पाठ्यक्रम चलाये गये हैं तथा अन्य पदों के कर्मचारियों को चुनने वाले पदाधिकारियों, विमान बल रेक्रूटिंग एडजूटेंट्स तथा जे० सी० ओ० टेस्टर्स के लिये भी नये पाठ्य क्रम चालू किये गये हैं ।

(३) चुने हुए केडिटों तथा अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की गतिविधियों का प्रशिक्षण संस्थाओं तथा उनकी सेवा के प्रथम पांच वर्षों में अध्ययन करना । इसके द्वारा संवरग टेकनीकल की कुशलता पर ध्यान रखने तथा जहां आवश्यक है वहां उचित सुधार करने में पर्याप्त सहायता मिली है ।

(४) सम्बद्ध समस्याओं पर गवेषणा कार्य । इसका परिणाम यह हुआ है कि १३९ गवेषणा विशेष लेख तैयार किये गये हैं ।

(ग) जी हां । समस्त पदाधिकारी भारतीय हैं ।

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि यह शाखा कब से काम कर रही है ?

श्री त्यागी : यह शाखा १९४९ से काम कर रही है ।

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसकी शाखायें समस्त देश में

श्री त्यागी : नहीं श्रीमान् ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रक्षा विज्ञान संगठन की इस मनोवैज्ञानिक गवेषणा शाखा में कोई मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले भी हैं ? यदि हां, तो वह कितने हैं और यदि नहीं तो उन्हें क्यों नहीं रखा गया है ?

श्री त्यागी : वे हैं ।

श्री जयपाल सिंह : कितने ?

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या परिणामों का वास्तविक परीक्षण भी किया जा रहा है ?

श्री त्यागी : यह तो प्रत्येक दिन किया जाता है । वास्तव में समस्त शाखा ही वास्तविक कार्य के लिये है केवल सैद्धान्तिक गवेषणा के लिये नहीं है ।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

*११२९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री १ मार्च १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १४ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को संविधान में निर्दिष्ट समय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : माननीय सदस्य का ध्यान 'स्वाधीनता के सात साल' (पृष्ठ १ से ३), और 'पंचवर्षीय योजना प्रगति का संक्षिप्त विवरण' (पृष्ठ २—१, २१—२७, ३९—४८, ५५—५९) नामक प्रकाशनों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिनकी प्रतियां सभी संसद् सदस्यों के पास भेज दी गयी हैं और संसद् पुस्तकालय में भी मिल सकती हैं ।

श्री झूलन सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या अब तक हुई प्रगति से इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा कि संविधान के अनुच्छेद ४९ में उपबद्ध एक नीति के निदेशक तत्व की पूर्णतः कार्यान्विति हो जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की नीति संविधान के अनुच्छेद ४९ में नहीं, बल्कि ४५ में निबद्ध है । यह ठीक है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों के अनुसार भरसक चेष्टा कर रही हैं, परन्तु यदि जितना व्यय वे आजकल कर रही हैं, उससे कई गुना अधिक व्यय न कर सकीं, तो यह आशा नहीं की जा सकती कि निश्चित समय तक काम पूरा हो जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जब यह अच्छी तरह पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ की कमी है, तो संविधान द्वारा निश्चित की गयी मियाद के अन्दर यह कार्यक्रम पूरा हो जायेगा क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई विचार किया है ? यदि हां, तो उसको कार्यान्वित करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : मैं पहले उत्तर में बता चुका हूं कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार दोनों अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ सब कुछ कर रही हैं । यदि हम स्वाधीनता के बाद हुई सफलता का अवलोकन करें, तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को विश्वास हो जायेगा कि इस दिशा में बहुत प्रगति हो चुकी है ?

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार शिक्षा विभाग के सचिव के तथाकथित वक्तव्य का समर्थन करती है कि भारत में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिये उत्सुक हैं ? इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

डा० एम० एम० दास : हमें सचिव के वक्तव्य का पता नहीं है ।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्स्थापन

*११३१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की मनु नगर बस्ती में, जब से उसकी स्थापना हुई है तब से कितने भूतपूर्व सैनिक बसाये गये हैं ; और

(ख) बस्ती में तब से कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) मनु नगर बस्ती में अब तक २८५ भूतपूर्व सैनिक बसाये गये हैं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२**]

श्री भक्त दर्शन : इस विवरण से ज्ञात होता है कि इस कालोनी की स्थापना सितम्बर, १९५१ में की गई थी और चार साल के बाद अब भी ८०० एकड़ भूमि बची हुई है, जो आबाद नहीं हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि इस कालोनी को पूरी तरह से आबाद करने के बारे में कौन से खास कदम उठाए जा रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मेरे दोस्त को मालूम है—क्योंकि वह खुद भी उस कालोनी में हो आए हैं—वह ज़मीन जंगल के नीचे है, उस ज़मीन के ऊपर जंगल था । वहां के दरख्त काटने पड़ते हैं और खास कर वहां पर जो घास पैदा होता है, वह इतना बड़ा होता है और इतने ज़ोर से होता है, कि उस ज़मीन को खेती के काम में लाने के लिए बहुत से हल चलाने पड़ते हैं । वह काम बहुत मुश्किल है और इतना आसान नहीं है । बहुत सा काम हो चुका है और जितना काम बाकी है, वह भी हो जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो भूतपूर्व सैनिक बसाए जा रहे हैं, इनको इस सम्बन्ध में कौनसी विशेष रियायतें या सुविधायें दी जा रही हैं ? क्या इनको केवल वही रियायतें दी जा रही हैं, जो दूसरी कॉलोनियों के भूतपूर्व सैनिकों को दी जाती है, या कोई खास रियायतें दी जा रही हैं ?

सरदार मजीठिया : इन को बसाने के लिए सैंट्रल गवर्नमेंट ने कोई १,५०,००० रुपए की ग्रान्ट दी है और स्टेट गवर्नमेंट ने १,५०,००९ रुपए की ग्रान्ट दी है । पोस्ट-वार रीकंस्ट्रक्शन फंड से भी १,५०,००० रुपया दिया गया है और ३,४०,००० रुपए का लोन दिया गया है । यह तमाम स्कीम १०,१५,००० रुपए की है और मैंने जो आंकड़े दिए हैं, उनसे मालूम हो जायेगा कि तकरीबन ८५ फीसदी रुपया गवर्नमेंट ने दिया है और सिर्फ १,५०,००० रुपया सैटलर्ज़ ने कान्ट्रीब्यूट किया है ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि यहां के सैनिकों ने अपनी कुछ शिकायतें रखी हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने वहां जाकर खुद स्थिति का अध्ययन किया है या वे वहां जाने का विचार कर रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : इस कालोनी में तो मैं नहीं गया मगर इसके साथ की कालोनी, अफज़लगढ़ में गया था । उनको जो तकलीफें हैं उनको दूर करने का यत्न हो रहा है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि मनुनगर के अलावा एक्स सरविसमैन को और किस किस प्रान्त में बसाने की व्यवस्था की जा रही है ?

सरदार मजीठिया : बहुत से और प्रांतों में यह काम जारी है । पेप्सू में भी है, ट्रावनकोर कोचीन में भी है, मद्रास में भी है और उत्तर प्रदेश में तो हो ही रहा है । मध्यभारत में भी है, और बहुत सी स्टेट्स में यह काम हो रहा है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

*११३२. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचिवालय कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की इस समय की संख्या सम्बन्धी पुनर्विचार के लिये कुछ पदाधिकारियों की एक मण्डली नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस मण्डली ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है ; और

(ग) सरकार ने प्रतिवेदन को किस सीमा तक मंजूर किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) गृह और वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधि दो पदाधिकारियों की एक मण्डली विभिन्न मंत्रालयों के सचिवालय-कार्यालयों के हाउस-कीपिंग विभागों की चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सम्बन्धी ज़रूरत का निर्धारण करने के लिये नियुक्त की गई थी।

(ख) मण्डली ने आठ कार्यालयों के बारे में प्रतिवेदन भेज दिया है।

(ग) पूर्णतः।

चौ० रघुवीर सिंह : मैं जान सकता हूं कि मण्डली ने क्या सिफारिशें की हैं ?

श्री दातार : कुछ मामलों में सिफारिशें कर्मचारियों को कम करने के बारे में थीं और कुछ दूसरे मामलों में उन्हें नियमित बनाने के बारे में।

श्री राघवैया : क्या सरकार उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

श्री दातार : सरकार उसे सभा पटल पर रखना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल प्रशासन से है, किसी और बात से नहीं।

हिन्दी का प्रचार

*११३५. **श्री राधा रमण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न प्रदेशों में हिन्दी के प्रचार के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या निश्चित प्रकार के उपबन्ध रखे गये हैं ;

(ख) इस प्रयोजन से कितनी राशि अलग रखी गयी है ;

(ग) क्या अपेक्षित राशि केवल संघ सरकार द्वारा ही दी जायेगी, या संघ और राज्य सरकारों दोनों के द्वारा ; और

(घ) यदि दोनों सरकारें ही इस राशि को देंगी, तो उनका पृथक् पृथक् अंश कितना-कितना होगा ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कुछ योजनाओं में पूरी राशि केन्द्रीय सरकार देगी और कुछ दूसरी योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें मिल कर करेंगी।

(घ) इसका अभी तक फैसला नहीं किया गया है।

श्री राधा रमण : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या संघ सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में हिन्दी का प्रचार करने के लिये सक्रिय कदम उठाने के लिये कोई पत्र लिखा है और यदि हां, तो उस पत्र में क्या-क्या बातें लिखी हैं ?

डा० एम० एम० दास : न केवल अधिकृत रूप से पत्र ही भेजे गये हैं बल्कि हम राज्यों के शिक्षा सचिवों के और कभी कभी मंत्रियों और कभी-कभी लोक-शिक्षा निदेशकों के

सम्मेलन भी बुलाते रहते हैं और इन बातों पर उनके साथ चर्चा करते हैं।

श्री राधा रमण : हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हिन्दी के प्रचार के लिये निश्चित रकम का पता चलने की आशा कब तक कर सकते हैं ?

डा० एम० एम० दास : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, सरकार का प्रत्येक विभाग अपने प्रयोगात्मक प्रस्ताव तैयार करता है और अब वे योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

श्री राधा रमण : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कुछ राज्यों ने संघ सरकार से कहा है कि अपने राज्यों में हिन्दी के विकास में सहायता देने के लिये उनके पास उपयुक्त व्यक्तियों की कमी है और यदि यह सच है तो वे कौन-कौन राज्य हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : में यह जानना चाहता था कि क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में हिन्दी के शब्द और प्रयोगों के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से काम चल रहा है, जिससे कि हिन्दी में एकरूपता नहीं आ सकती। यदि यह सच है तो सरकार हिन्दी में एकरूपता लाने की दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

डा० एम० एम० दास : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्य प्रश्न क्या है। मूल प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हिन्दी के विकास और प्रचार के लिये विशिष्ट उपबन्धों के बारे में है।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस विषय में विशिष्ट उपबन्धों की बात क्या राज्य-भाषा-आयोग का प्रतिवेदन आने तक स्थगित कर दी जायेगी या सरकार अपनी विभागीय योजना पर काम आगे बढ़ाती रहेगी ?

डा० एम० एम० दास : यदि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दिये गये प्रयोगात्मक प्रस्ताव योजना आयोग ने मंजूर कर लिये, तो जिस सीमा तक वे मंजूर कर लिये जायेंगे, तदनुसार हम अपना काम जारी रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना ही ?

डा० एम० एम० दास : जी, हां। ये योजनायें हिन्दी के प्रचार और विकास के लिये हैं और हम भरसक चेष्टा करते रहेंगे।

सुरंगें साफ करने वाले जहाज

***११३७. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना के लिये हाल में सुरंग साफ करने वाले दो जहाज़ खरीदे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मूल्य ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) लगभग ४७ लाख रुपये प्रति जहाज।

श्री रघुनाथ सिंह : हमने इनको कहां से लिया है ?

सरदार मजीठिया : यूनाइटेड किंगडम से।

श्री जोकीम आल्वा : अपनी नौसेना के लिये सुरंग साफ करने वाले जहाज़ खरीदते समय क्या यह सरकार की नीति है कि हम उन्हें केवल यू० के० से ही खरीदें, क्योंकि हमें ब्रिटिश एडमिरल की सेवायें मिली हुई हैं,

या हम किसी दूसरे देश के पास भी सर्वोत्तम माल पाने के लिये जाते हैं ?

सरदार मजीठिया : हमारी किसी सशस्त्र सेना के प्रमुख पद पर रहने वाले व्यक्ति विशेष के कारण हमारे निर्णय के प्रमाणित होने का कोई प्रश्न नहीं है । हम यथासम्भव सर्वोत्तम जहाज तुलनात्मक सस्ते मूल्य पर खरीदने की चेष्टा करते हैं ।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हम अखिल विश्व से प्राक्कलन पत्र मांगते हैं, या विभिन्न देशों में स्थित अपने दूतावासों से रिपोर्ट मांगते हैं ?

सरदार मजीठिया : यह प्रश्न मुश्किल से ही उठता है, क्योंकि हमें पता है कि कौन-कौन जहाज़ हमें दिये जा सकते हैं, अतः प्राक्कलन-पत्रों का प्रश्न नहीं उठता । हम इसे असरकारी तौर पर बातचीत से तय करते हैं ।

श्री यू० सी० पटनायक : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया कि क्या हम अपने दूतावासों से रिपोर्ट मांगते हैं ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैंने कहा, हमें भारत में ही रक्षा मंत्रालय में पहले से पता होता है कि कौन-कौन जहाज़ हमें मिल सकते हैं, अतः रिपोर्ट मंगाना ज़रूरी नहीं होता ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सुरंग साफ करने वाले ये जहाज नये हैं या पुराने ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : निश्चय ही, बहुत पुराने ।

****सरदार मजीठिया** : वे बहुत पुराने नहीं हैं; वे निश्चय ही नये तो नहीं हैं, पर उनकी फिर से पूरी-पूरी मरम्मत की जायेगी और उन्हें आधुनिक स्तर के अनुकूल बना लिया जायेगा ।

मध्य भारत में चरागाह

*११३८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत राज्य में, भूतपूर्व फौजी विभाग,मध्य भारत के कितने और कितने लम्बे चौड़े ब्लाक्स हैं जिनका उपयोग लोग अपने निजी कार्यों के लिये कर रहे हैं; और

(ख) इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) कोई नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

चोरी छिपे लायी गयी घड़ियां

*११३९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्टूबर, १९५४ से ३० जून, १९५५ तक के समय में सरकार द्वारा छुपे-चोरी लायी गयीं कितनी घड़ियां पकड़ी गयीं ;

(ख) वे किन-किन देशों से छुपे-चोरी लायी गयी थीं ;

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से माल का छुपे-चोरी आना बढ़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके कारण, और सरकार द्वारा इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १ अक्टूबर, १९५४ से ३० जून, १९५५ तक ७६७० घड़ियां पकड़ी गयी थीं ।

(ख) ये घड़ियां प्रायः दुनियां के सभी भागों विशेषतः सिंगापुर और हांगकांग से भारत में पुर्त्तगाली और उस समय की फ्रांसीसी

**इस उत्तर को बाद में शुद्ध किया गया । देखिये लोक-सभा वाद-विवाद–भाग २, दिनांक २-१२-५५ ।

बस्तियों, फारस खाड़ी क्षेत्र, यू० के० और मलाया आदि की बस्तियों से लायी गई थीं।

(ग) ऐसा जान पड़ता है कि पाकिस्तान से घड़ियों का छुपे-चोरी आना कम हो रहा है।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरदार इकबाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि बहुत से यात्री हवाई या समुद्री जहाज से विदेश जाते समय बिना घड़ियों के जाते हैं या पुरानी पुरानी घड़ियां ले जाते हैं, और आते समय नयी घड़ियां लाते हैं, और क्या ऐसा करना वैध है या इसे चौर्यानयन समझा जायेगा ?

श्री ए० सी० गुह : थोड़ी-बहुत विदेशी यात्रा करने के बाद भारत आते समय कोई भी व्यक्ति कुछ व्यक्तिगत चीजें ला सकता है और उस सीमा के अन्दर वह एक दो घड़ियां आदि ला सकता है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या मैं जान सकता हूं कि उन पकड़ी गयी ७००० घड़ियों का क्या हुआ ?

श्री ए० सी० गुह : मेरे पास अलग-अलग आंकड़े नहीं हैं, पर उनमें से अधिकांश ज़ब्त कर ली गयी थीं।

श्री श्यामनन्दन सहाय : फिर क्या हुआ ?

श्री ए० सी० गुह : कुछ मामलों में हमने घड़ियों के दाम के बराबर या उससे अधिक दंड देने पर छोड़ दिया।

श्री ए० एम० थामस : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा अभी बतायी गयी संख्या में छुपे चोरी लायी गयी घड़ियां ही हैं या दूकानों आदि पर पकड़ी गयी घड़ियां भी शामिल हैं ?

श्री ए० सी० गुह : इस संख्या में भूमि-सीमाशुल्क क्षेत्र में, हवाई अड्डे या बन्दरगाह पर छुपे-चोरी लाते हुए पकड़ी गयी घड़ियां ही शामिल हैं।

समाहार कर्मचारीवर्ग

*११४१. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार के समाहार विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारियों को अन्यत्र रख लिया गया है ;

(ख) उनमें से कितनों को अभी जगह नहीं दी गयी है ; और

(ग) उन्हें जगह देने में क्या कठिनाइयां हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) एक तिहाई को सेवायुक्त कर लिया गया है।

(ख) १४०।

(ग) १. कुछ मामलों में उपलब्ध रिक्त स्थानों के लिये अपेक्षित योग्यता का न होना,

२. पिछली असन्तोषजनक सेवा,

३. पुलिस सेवा में रख लिये जाने के लिये अपेक्षित शारीरिक स्तर का न होना, और

४. पर्याप्त वैकल्पिक रिक्त स्थानों की कमी।

श्री बीरेन दत्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे ३१४ स्थानों को विभिन्न विभागों में भर लिया गया है जिनके लिये वही योग्यतायें अपेक्षित हैं, जो छंटनी किये गये व्यक्तियों के पास थीं ?

श्री दातार : मैं यह जानकारी देने के लिये पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री बोरेन दत्त : क्या माननीय मंत्री उन व्यक्तियों को कुछ अन्तरिम सहायता देने का विचार करेंगे जो रख लिये जान योग्य हैं, पर अब तक रखे नहीं जा सके हैं ?

श्री दातार : सरकार जितने भी योग्य व्यक्ति हों, उनको जहां तक सम्भव हो रख लेने के लिये भरसक कोशिश कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुवीर सहाय ।

श्री लक्ष्मय्या : प्रश्न संख्या ११४४ । मुझे यह प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । उनको यह प्रक्रिया पता होगी कि जिन प्रश्नों को पूछने का अधिकार मिला रहता है, वे प्रश्न सूची के अन्त में समय रहने पर पूछे जा सकते हैं ।

अनुसूचित आदिम जातियां

*११४५. **श्री देवगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में स्वीकृत केन्द्रीय सहायता अनुदान में से, बिहार की अनुसूचित आदिम जातियों के भलाई के लिए विकास योजनाओं पर कितना धन व्यय हुआ ;

(ख) क्या इस धन का कोई भाग कालातीत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थ ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री तिम्मय्या : क्या माननीय मंत्री अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के उद्धार के लिये आवंटित धनराशि में से गत वर्ष व्यय न होने वाली धनराशि बतायेंगे ?

श्री दातार : यही सूचना बिहार सरकार से मांगी गई है ।

तम्बाकू उत्पादन शुल्क

*११४६. **श्री संगण्णा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी १९५४ में तम्बाकू उत्पादन शुल्क में कुछ रियायतों की घोषणा की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह रियायतें किस प्रकार की हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). जी हां । अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६३]**

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि इन रियायतों की घोषणा की आवश्यकता किन कारणों से हुई तथा उड़ीसा राज्य को कितनी रियायत दी गई है ?

श्री ए० सी० गुह : तम्बाकू का बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाना इसका प्राथमिक कारण है जो कि दो कारणों से हुआ : अधिक उत्पादन तथा तम्बाकू बाज़ार में अन्तर्राष्ट्रीय मंदी के कारण व हमारा तम्बाकू का निर्यात कम हो जाने के कारण । सबसे पहली सहायता १० अप्रैल १९५४ को १ करोड़ रुपये की दी गई थी । दूसरे अवसर पर ५० लाख तथा तीसरे अवसर अर्थात् २८ जुलाई १९५५ में १,३०,००,००० रुपये दी गई । कुल सहायता ३,२०,००,००० रुपये हुई । परन्तु राजस्व की हानि का प्राक्कलन केवल इस धारणा पर हो सकता है कि सारा तम्बाकू निश्चित दर पर बिक जायेगा तथा इस उद्देश्य से बेचा जायेगा जिससे तम्बाकू पर शुल्क लगा था । परन्तु स्थिति इस प्रकार की थी कि इसमें से अधिकांश तम्बाकू बिकता ही नहीं तथा शुल्क प्राप्त ही नहीं होता । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में राजस्व की हानि हुई ।

श्री संगण्णा : कर जांच आयोग के प्रतिवेदन के ग्रन्थ खण्ड २ के अध्याय ५ की कण्डिका २८ में आयोग ने एक सिफारिश की थी कि, तम्बाकू कर नीति पर एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति होनी चाहिये । क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ए० सी० गुह : हम इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं तथा मैं यह कह सकता हूं कि हमने निश्चित किया है प्रयोग के लिये एक समिति नियुक्त की जाये तथा हम अब व्यक्तियों को चुन रहे हैं तथा निर्देश पद भी निश्चित कर रहे हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : माननीय मंत्री ने बताया है कि माल के इकट्ठा हो जाने के कारण कुछ कर सहायता दी गई थी । इस आधार पर कि चीन से समझौते के कारण इस इकट्ठे हुये माल के विक्रय में सहायता मिली, सरकार उस देश से लम्बी अवधि का समझौते की उपयुक्तता पर विचार कर रही है जिससे इस देश के अधिक उत्पादन से इकट्ठे हुये माल को बेच दिया जाय ?

श्री ए० सी० गुह : किस देश से ?

अध्यक्ष महोदय : चीन से ।

श्री ए० सी० गुह : हम संसार के किसी भी देश से व्यापारिक समझौता करने के लिये उत्सुक हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : मेरा अभिप्राय दीर्घकालीन समझौतों से है ।

श्री ए० सी० गुह : मैं भी दीर्घकालीन समझौतों के सम्बन्ध में कह रहा हूं परन्तु वह देश भी तो सहमत हो ।

श्री राघवैया : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दक्षिण भारत के तम्बाकू का प्रयोग करने वालों ने, अपने परिवार के उपभोग के लिये रखे गए तम्बाकू पर करारोपण के सम्बन्ध में, कई मामले प्रस्तुत किये हैं ?

श्री ए० सी० गुह : सामान्यतः परिवार को तम्बाकू की कुछ मात्रा कर नियुक्त कर दी जाती है । हो सकता है कि कुछ थोड़े से ऐसे मामले हों जिनमें परिवारों को शिकायत हो । ज्यूं ही हमारे पास यह मामले लाए जाते हैं । हम उनकी जांच करते हैं तथा आवश्यक सहायता दे दी जाती है ।

विदेशी पत्रमुद्रा और सिक्के

*११४७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में विदेशों से उनको पत्रमुद्रायें छापने और उनके सिक्के ढालने के लिये सरकार को कितने आर्डर प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) इन आर्डरों के पूरा होने पर कितनी आय होने की सम्भावना है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १९५४–५५ में सिक्के ढालने के दो आर्डर और नोट छापने का एक आर्डर मिला है ।

(ख) इस सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

श्री के० सी० सोधिया : यह जो सिक्के ढालने और नोट बनाने के आर्डर्स मिले हैं उनकी कीमतें क्या हैं ?

श्री ए० सी० गुह : मस्कत से आर्डर आया है ४ लाख १२ हज़ार पीसेज आफ १० बैजा और ४ लाख १२ हज़ार पीसेज आफ ५ बैजा । मैं नहीं जानता कि उन देशों में इन मुद्राओं का रुपये में क्या मूल्य है । भूटान से २ लाख चांदी के टिकचुग, यह भी वहां के रुपया वगैरह के बराबर होगा । नैपाल से ५० लाख १ रु० वाले नोट, ३० लाख १० रु० वाले नोट और १ लाख १०० रु० वाले नोट का आर्डर आया है ।

श्री के० सी० सोधिया : अपने कारखानों की कितनी प्रतिशत मशीनें इस काम के लिये रिजर्व्ड हैं ?

श्री ए० सी० गुह : रिजर्व्ड या अलग करके रखने की कोई जरूरत नहीं है । हमारे पास काफी मशीनें हैं, तमाम मशीनों से काम लिया जाता है ।

श्री के० सी० सोधिया : इस कारखाने में कितनी मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं ?

श्री ए० सी० गुह : इस के वास्ते तो नोटिस चाहिये ।

श्री ए० एम० थामस : क्या यह सच है कि हमारे देश की टकसालें, विशेषतया बड़ी बनाई गई कलकत्ते की टकसाल पूर्णतया कार्य नहीं कर रहा है तथा विदेशी 'आर्डर' कम हो रहे हैं; तथा अधिक कर्मचारियों को दशमलव सिक्कों के ढालने की योजना के लिये, रोक रखा गया है ?

श्री ए० सी० गुह : इसी कारण निश्चित आंकड़ों का बताना सम्भव नहीं है कि इन आर्डरों को पूरा करने से क्या वास्तविक लाभ होंगे क्योंकि हमें अधिक कर्मचारियों का प्रबन्ध करना है तथा उपरिव्यय अधिक है । विदेशों से आर्डर लेने के हम उत्सुक हैं तथा उनको प्राप्त करने का हम प्रयत्न भी कर रहे हैं परन्तु अन्य देशों के अपने विचार भी हो सकते हैं तथा वे भी इस विषय में आत्म निर्भर होना चाहते हों ।

विमान बल के भरती के केन्द्र

*११४९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री, एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें विमान बल सेवाओं के भरती के केन्द्रों की संख्या और उनकी स्थापना के स्थानों का वर्णन हो ?

रक्षा उपमंत्री (**सरदार मजीठिया**) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६४**]

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण से ज्ञात होता है कि केवल १२ भरती के केन्द्र हैं । मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या भारत के प्रत्येक राज्य में, कम से कम एक केन्द्र होने का प्रस्ताव है तथा क्या इस प्रकार के प्रस्ताव पर गम्भीरतया विचार किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : इन केन्द्रों के अतिरिक्त जो कि केवल विमान बल में भरती का काम करते हैं; अन्य स्थल सेना के केन्द्र भी सारे देश में फैले हुये हैं जो विमान बल के लिये व्यक्तियों की प्राप्ति करके, हमारी सहायता करते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : वर्तमान वर्ष में अथवा गत वर्ष में, इन केन्द्रों पर लगभग कितने व्यक्तियों ने भरती के लिये अपने को पेश किया तथा उनमें से कितने उपयुक्त समझे गये ?

सरदार मजीठिया : मझे खेद है कि मैं उन व्यक्तियों की संख्या नहीं बता सकता जिन्होंने अपने को भरती के लिये पेश किया परन्तु भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या में निश्चित रूप से बता सकता हूं । १९५३ में १,९४८; १९५४ में २,६१४; १९५५ के पूर्वार्ध में १,०७४ है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् केन्द्रों की संख्या बढ गई है अथवा संख्या पहले जितनी ही है ?

सरदार मजीठिया : सरकार का विचार है कि भरती के लिये आने वाले व्यक्ति हमारी आवश्यकता के लिये पर्याप्त हैं तथा इसलिये इस समय अतिरिक्त केन्द्रों की आवश्यकता नहीं है ।

श्री झूलन सिंह : राज्य में कोई केन्द्र न होने के कारण बिहार के निवासियों को विमान बल में भरती के लिये बहुत कठिनाई उठानी

पड़ती है, क्या सरकार को इसकी सूचना है ; तथा यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने बताया स्थल सेना के केन्द्र हैं जो विमान बल के लिये भी भरती करते हैं तथा जो व्यक्ति आते हैं वह हमारी आवश्यकता के लिये पर्याप्त हैं। यदि माननीय सदस्य के विचार में कोई व्यक्ति है तो उनको उस व्यक्ति को सबसे निकट वाले भरती केन्द्र चाहे वह स्थल सेना का हो में लाना चाहिये तथा उस पर ठीक तौर पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन पिछले पांच सात वर्षों में कौन कौन से ऐसे कदम उठाये गये हैं जिनसे कि हमारे युवक अधिक से अधिक संख्या में वायु सेना की ओर आकर्षित हों ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने अभी बताया जितने व्यक्ति आते हैं वह हमारे विमान बल की आवश्यकता से भी अधिक हैं तथा इसलिये अधिक व्यक्तियों की प्राप्ति के लिये हम और कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या पिछले तीन वर्षों में सरकार ने विमान बल रिज़र्व अथवा रक्षा रिज़र्व तथा सहायी विमान बल की भरती का प्रयत्न किया है जिसको सभा ने २२ अगस्त, १९५२ को इतने उत्साह से स्वीकार किया था ?

सरदार मजीठिया : सबसे प्रथम तो मैं यह कहूंगा कि जो मूल प्रश्न पूछा गया है उससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है परन्तु सभा के सूचनार्थ मैं उन्हीं शब्दों को दोहराता हूं जो आय-व्ययक पर चर्चा के समय रक्षा मंत्री ने कहे थे कि विमान बल नवनिर्मित सेवा है। अभी तक व्यक्ति, रिज़र्व के लिये बाहर नहीं गये हैं। ज्यूं ज्यूं सेवा बढ़ेगी, वे रिज़र्व में रखे जायेंगे। सहायी रिज़र्व के सम्बन्ध में, माननीय सदस्य जानते हैं कि यह असैनिक चालक हैं जो उनमें ही हैं तथा उनको रिज़र्व में रखा जायेगा। व्यक्ति उनमें हैं तथा उनको रिज़र्व में रखने में अधिक समय की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रीय संग्रहालय

*११५०. **श्री इब्राहीम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई-दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस योजना में ३१ मार्च १९५५ तक कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६५**]

(ख) ३,८३,६४० रुपये।

श्री ब्राहीम : क्या राष्ट्रीय संग्रहालय भवन का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है तथा यदि हां, तो यह कहां स्थापित है ?

डा० एम० एम० दास : क्वीन्सवे तथा किंग्सवे के चौरास्ते पर प्रिंसेस पार्क के दक्षिणी किनारे पर यह संग्रहालय स्थापित होगा।

श्री श्यामनन्दन सहाय : 'किंग' तथा 'क्वीन' के बीच में ?

डा० एम० एम० दास : इस भवन की आधारशिला प्रधान मंत्री ने पिछली १२ मई को रखी थी।

श्री मेघनाद साहा : क्या इस दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के पश्चात् सरकार, बम्बई के प्रिंस आफ वेल्स संग्रहालय कलकत्ते के भारतीय संग्रहालय तथा अन्य

संग्रहालयों को संरक्षण देना एक दम बन्द कर देगी ?

डा० एम० एम० दास : निश्चय ही नहीं। शिक्षा मंत्रालय ने प्रश्न पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया है देश में संग्रहालयों के संगठन का प्रयत्न कर रही है। तथा सम्भव है यदि आवश्यकता हुई तो सरकार आर्थिक सहायता देने को प्रस्तुत हो।

श्री इब्राहीम : क्या निदेशक अथवा सहायक निदेशक की नियुक्ति हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डा० एम० एम० दास : इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक तथा सहायक निदेशक के स्थान खाली हैं। हमने संघ लोक सेवा आयोग से इसके विज्ञापन तथा सहायक निदेशक के पद के लिये किसी व्यक्ति की सेवा के प्राप्त करने को कहा है। जहां तक निदेशक के पद का प्रश्न है यह विचार किया गया है कि एक विदेशी संग्रहालय विज्ञान विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करना उपयुक्त होगा तथा इसी कारणवश हमने टी० सी० एम० तथा कोलम्बो योजना सचिवालय को लिखा है और हमने लन्दन के उच्चायुक्त तथा वाशिंगटन के राजदूत को एक संग्रहालय विज्ञानवेत्ता को प्राप्त करने के लिये लिखा है जो यहां आकर दो अथवा तीन वर्ष तक सेवा करेगा।

श्री मेघनाद साहा : क्या दिल्ली के इस राष्ट्रीय संग्रहालय के पश्चात् जिन वर्तमान संग्रहालयों को केन्द्रीय सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उनका प्रान्तीयकरण होगा ? क्या सरकार का ऐसा विचार है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : इस के बारे में अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सोचा जायेगा कि आइन्दा क्या तरीक़ा अख्तियार किया जाये।

सेना छात्र

*११५२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भविष्य में सेना छात्रों (पदाति सेना के) को चतुर्थ वर्ष का प्रशिक्षण खड्गवासला में दिया जायेगा अथवा देहरादून में ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : सेना छात्रों का चौथे वर्ष का प्रशिक्षण अभी मिलीटरी कालेज देहरादून में होगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य है कि अभी तक यह प्रथा थी कि दो वर्ष तक शिक्षा ज्वायंट सर्विसेज़ विंग में होती थी और उसके बाद दो वर्ष तक मिलिटरी विंग में होती थी ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह गवर्नमेंट की राय है कि अब एक वर्ष की ही शिक्षा स्पेशेलाइज़ करने के लिए काफी है ?

श्री त्यागी : जी हां, चूंकि ज्वायंट सर्विस विंग में प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष के बजाय तीन वर्ष कर दी गई है, इस लिए देहरादून का एक वर्ष घटा दिया गया है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि ज्वायंट सर्विस विंग की जनवरी परीक्षा में जो छात्र इस वर्ष बैठे थे उनकी परीक्षा का परिणाम जुलाई में प्रकाशित किया गया है जिसका नतीजा यह हुआ है कि वे अब जनवरी के कोर्स में शामिल हो सकेंगे, जुलाई के कोर्स में नहीं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किये गये हैं कि समय पर परीक्षा के परिणाम प्रकाशित कर दिये जाया करें ?

श्री त्यागी : इस सवाल का देने जवाब के लिए मैं नोटिस चाहता हूं।

सोने का चोरी छिपे जाना ले जाना

*११५४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ जून, १९५५ को एक पाकिस्तानी विमान के पंख में छिपा हुआ नौ हज़ार रुपये मूल्य का एक सौ तोला सोना बरामद किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) यह ठीक है कि कलकत्ता कस्टम्ज़ प्राधिकारियों ने १३ जून, १९५५ को पाकिस्तान इण्टरनेशनल एयरलाइन्स कारपोरेशन के एक हवाई जहाज़ के तेल की टंकी से ९,४२७ रुपये का लगभग सौ तोले सोना बरामद किया ।

(ख) कलकत्ता कस्टम्ज़ प्राधिकारी इस मामले के निर्णय के लिए कार्रवाई कर रहे हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सोना हिन्दुस्तान से बाहर जा रहा था या बाहर से हिन्दुस्तान आया था ?

श्री ए० सी० गुह : बाहर से आया था ।

श्री कामत : क्या पाकिस्तान सरकार को इस बारे में कोई सूचना दी भी गई थी ?

श्री ए० सी० गुह : हमने पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्ज़ निगम को लिखा है तथा उन्होंने इस बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है तथा उन्होंने मुझे सूचना दी है कि वे दोषी व्यक्तियों का पता लगा रहे हैं । हमने कप्तान से भी पूछा है कि वह कारण बताए कि इस सोने को क्यों ज़ब्त न किया जाय ।

श्री कामत : क्या यह सोना ज़ब्त किया गया है ?

श्री ए० सी० गुह : मैंने बताया है कि अभी इस सम्बन्ध में निर्णय होगा । इसे कलकत्ता सीमा शुल्क अधिकारियों ने पकड़ा है ।

छावनियां

*११५५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, पैप्सू तथा राजस्थान में छावनियों के बनाने या स्थित सैनिकों के लिए अधिवास के बनाने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि ऐसा है तो उन स्थानों के नाम जहां ये छावनियां बनाई जाएंगी ; और

(ग) इस योजना को कब पूरा किया जायेगा ।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) पंजाब, पैप्सू तथा राजस्थान में और छावनियों के बनाने की कोई योजना नहीं है परन्तु उन सब स्थानों पर जहां सैनिक स्थायी रूप से रखे गए हैं तथा जहां सैनिक अधिवास पर्याप्त नहीं है, ऐसे अधिवास के बनाने का विचार किया गया है ।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होता ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को विदित है कि अब आठ वर्ष हो गए हैं तथा सीमावर्ती नगर में जहां सैनिक अभी नियुक्त हैं कोई अधिवास नहीं है ?

सरदार मजीठिया : मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि माननीय सदस्य को इन सैनिकों का ध्यान है जो बड़ी कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं । परन्तु हमें जो निधि उपलब्ध है, उसमें से हम सभी सैनिकों के लिए अपेक्षित अधिवास नहीं बना सकते । इस कार्य को कई एक स्थानों पर बांटना होगा । और यह काम आरम्भ हो चका है ।

सरदार इकबाल सिंह : मैं जान सकता हूं कि पर्याप्त अधिवास के न बनाने से सरकार को सामान और दूसरी बातों में क्या हानि पहुंच रही है ?

सरदार मजीठिया : जी हां, हम निश्चय ही इसे निर्धारित कर चुके हैं तथा हम इस खराब परिस्थिति से यथासम्भव लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

सरदार इकबाल सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सैनिक अधिवास के बनाने से उन क्षेत्रों के लोगों को व्यापार और वाणिज्य में सहायता मिलेगी ?

सरदार मजीठिया : यह एक सर्वथा विभिन्न प्रश्न है; हमें तो सामरिक दृष्टि से इन क्षेत्रों में छावनियों के बनाने के प्रश्न पर विचार करना है ; व्यापार और वाणिज्य एक सर्वथा विभिन्न विषय है ।

श्री भक्त दर्शन : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि पंजाब, पैप्सू और राजस्थान में कोई नई छावनी नहीं बनाई जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश के किसी और भाग में कोई नई छावनी बनाने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां तो कहां पर ?

सरदार मजीठिया : अभी तो और कोई जगह नहीं है । मगर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, वैसे वैसे बनायेंगे ।

त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड

*११५६. **श्री बोरेन दत्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा राज्य बैंक लिमिटेड के भारत के राज्य बैंक से एकीकरण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि ऐसा है तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस बैंक का भारत के राज्य बैंक में मिलाना सम्भव नहीं ।

श्री बोरेन दत्त : क्या त्रिपुरा का राज्य बैंक हानि पर चल रहा है ?

श्री ए० सी० गुह : यह हानि पर चल रहा है । यह बहुत खराब अवस्था में है ।

श्री बोरेन दत्त : उस बैंक की अभिदत्त पूंजी कितनी है ?

श्री ए० सी० गुह : अभिदत्त पूंजी ३२,६३,९०० रुपये है । कुल शेयर ३२,६३९ है । जिस में से २५,००० शेयर त्रिपुरा सरकार के हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य के विचार से कि सरकार इसे भारत के राज्य बैंक में मिलाने को तैयार नहीं है, सरकार उस राज्य में भारत के राज्य बैंक की कोई शाखा खोलने का विचार कर रही है ?

श्री ए० सी० गुह : त्रिपुरा राज्य में भारत के राज्य बैंक की आगामी वर्ष के ३० जून से पहले एक शाखा के खोलने का विचार किया गया है ।

भारी ट्रकों का आयात

*११५८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४–५५ में कितने भारी ट्रकों का आयात किया गया ; और

(ख) उसकी अनुमानित मूल्य कितना है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख). सरकार स्वयं पूरे भारी ट्रकों का आयात नहीं करती है। चस्सियों को कुछ मुख्य भागों का ही आयात किया जाता है तथा चस्सियों को यहां जोड़ा जाता है। १९५४–५५ में आयात की गई २००० चस्सियों (सीमा शुल्क को निकाल कर) का तटीय व्यय लगभग ४६० लाख रुपये है।

श्री डी० सी० शर्मा : इन मूल ढांचों का आयात किस देश या देशों से किया जाता है ?

श्री त्यागी : ये अमरीका से आयात किये जाते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मूल ढांचों या वैसी वस्तुओं के भारत में निर्माण की कोई योजना मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्री त्यागी : जी हां। भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्योग को पूर्ण प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आजकल सैज में दो निश्चित प्रकार के ठेलों का प्रयोग होता है जिनके लिए सारे सभी देशों से टेंडर मंगा कर क्रयादेश दिये जाते हैं। टेन्डर अन्य मंत्रालय संभरण मंत्रालय आमंत्रित करता है।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय इन ट्रकों के क्रय आदि के लिए किन किन भारतीय फर्मों से सौदा करती है ?

श्री त्यागी : रक्षा मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से किसी भी निर्माणकर्ता से सौदा नहीं करती है। आवश्यकता विवरण संभरण मंत्रालय को दे दिया जाता है ; वे संसार भर से टेन्डर आमंत्रित करते हैं और फर्मों को क्रियादेश देते हैं। अधिकतर, दो फर्मों जो भारत में दो विदेशी फर्मों की ओर से एकत्रीकरण कार्य कर रही हैं वे हैं बम्बई में प्रीमीअर ओटोमोबाइल लि०, और कलकत्ता में हिन्दुस्तान मोटर लि०।

श्री यू० सी० पटनायक : क्या सरकार इन ढांचों का क्रयादेश देने से पहिले सैनिक मोटरगाड़ी डिपुओं और अन्य मोटरगाड़ी डिपुओं में पड़ी हुई मोटरगाड़ियों की जो फिर से ठीक हो सकती हैं या विभिन्न गाड़ियों के भागों को मिला कर तैयार की जा सकती हैं, जांच करती है ?

श्री त्यागी : सारे सम्भाव्य प्रयत्न किये गये हैं और विभिन्न गाड़ियों के भाग मिला कर या सफ़ाई व मरम्मत से जो भी गाड़ियां प्राप्त की जा सकती थी, वे प्रयोग में आ चुकी हैं।

श्री सारंगधर दास : इन दो भारतीय फर्मों द्वारा बनाए गए ट्रक कैसे चलते हैं ?

श्री त्यागी : वे बहुत अच्छा काम दे रहे हैं।

श्री मेघनाद साहा : क्या फर्मों ने कभी यह शिकायत की है कि भारत में इन ठेलों के निर्माण के लिए इस्पात का अभाव है ?

श्री त्यागी : इसके बारे में मुझ निश्चित रूप से विदित नहीं है और मैं पूर्व सूचना चाहता हूं। वास्तव में, यदि ऐसी कोई शिकायत है तो वे यह शिकायत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भेजेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब हम वे प्रश्न लेंगे जिनके लिए अधिकार दिया जा चुका है।

तम्बाकू के बीज का तेल

*११३३. **श्री बी० के० दास (श्री एस० सी० सामन्त की ओर से)** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में किसी गवेषणा प्रयोगशाला में तम्बाकू के बीज से तेल निकालने का कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तम्बाकू के बीज का तेल का प्रयोग किस वाणिज्यिक और अन्य उद्देश्य के लिए हो सकता है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) तेल भोज्य हो सकता है, रोगनों और वारनिशों के निर्माण में उसका प्रयोग हो सकता है, या वह जलाने के काम में आ सकता है ।

श्री बी० के० दास : तम्बाकू के बीज से कितने प्रतिशत तेल निकलने की सम्भावना है ?

श्री के० डी० मालवीय : राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में किये गये प्रयोगों से प्रकट होता है कि तम्बाकू के बीज से औसत रूप में ३६ प्रतिशत तेल निकाला जा सकता है ।

श्री बी० के० दास : क्या इस बात का कोई अनुमान किया गया है कि इस प्रकार इस देश में कितना तेल प्राप्य हो सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : १९४९–५० में प्राप्य बीज की अनुमानित मात्रा ७,६९३ टन थी । उस समय वह अनुमान था । यद्यपि उस समय की अपेक्षा अब तम्बाकू की कृषि अधिक एकड़ भूमि में होती है, परन्तु अच्छी प्रकार के पत्ते प्राप्त करने के लिए, बीजवपन प्रक्रियायें रोकी जाती हैं । अतः, बीज की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो रही है ।

श्री एस० बी० चौधरी : जो आंकड़े अभी दिये गये हैं, उसका कितना प्रतिशत बीज तेल निकालने के लिए प्रयोग में आता है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं यह नहीं जानता । कदाचित बीज का पर्याप्त प्रतिशत तेल निकालने में प्रयोग नहीं होता ।

श्री बी० के० दास : इस तेल का लगभग मूल्य क्या होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : लागत का कुछ अनुमान लगाया गया है । मशीन द्वारा और हाथ से निकाले गये तेल की लागत की गणना की गई है और प्राप्त आय तथा लाभ-मात्रा निम्न है :—

	रु०	आ०	पा०
हाथ की प्रक्रिया द्वारा प्रति मन आय .	१२	३	०
कुचलने वाली मशीनों द्वारा प्रति मन आय .	१३	२	०
उत्पादन लागत, अर्थात् मशीन से तेल निकालने की लागत .	२	२	७
और			
हाथ से निकालने द्वारा.	३	१	०

श्री गोपाल राव : क्या बेकार तम्बाकू से निकोटीन निकालने के सम्बन्ध में गवेषणा प्रयोगशाला में कोई प्रयोग किया गया है ।

श्री के० डी० मालवीय : पर्याप्त कार्य हुआ है । परन्तु, उसका इस प्रश्न से कुछ सम्बन्ध नहीं है ।

कराधान जांच आयोग

*११६. **श्री सी० भट्** (श्री डाभी की ओर से) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कराधान जांच आयोग का यह सुझाव स्वीकार कर लिया है, केन्द्रीय सरकार के लोक व्यय के प्रश्न की एक उच्चाधिकार प्राप्त संस्था द्वारा गूढ़ और ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब की जायेगी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

श्री ए० एम० थामस : यह दिन प्रति-दिन की बात हो गई है कि कराधान जांच आयोग के इस सुझाव या उस सिफारिश के सम्बन्ध में प्रश्न किये जायें क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वित्त मंत्री का यह विचार है कि इस आयोग के प्रतिवेदन पर इस सभा में प्रेस आयोग के प्रतिवेदन की भांति विचार विमर्श किया जाये ?

श्री एम० सी० शाह : मेरा कहना है कि मामला विचाराधीन है। इस पर सभा में विचार विमर्श करने का कोई विचार नहीं है।

श्री ए० एम० थामस : मेरे सामान्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं उसका उत्तर चाहता हूं और सभा को इस उत्तर में अभिरुचि होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय का ऐसा विचार है कि इस आयोग के प्रतिवेदन पर सभा में उसी प्रकार विचार विमर्श किया जाये जिस प्रकार प्रेस आयोग के प्रतिवेदन पर हुआ था।

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं। मामले पर आवश्यक चर्चा के साथ विचार विमर्श हुआ था। वित्त मंत्री ने स्थिति पूर्णतया स्पष्ट कर दी है। हम कह चुके हैं कि मामला विचाराधीन है।

सांख्यिकीय तथा आर्थिक मंत्रणा सेवा

*११५८. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या गृह-कार्य मंत्री १५ मार्च १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस सांख्यिकीय तथा आर्थिक मन्त्रणा सेवा सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जी नहीं। मामला अब भी विचाराधीन है।

श्री ए० एल० अग्रवाल : मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी और उसने एक वर्ष पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। योजना को स्वीकृत करने में क्या कठिनाई है ?

श्री दातार : प्रतिवेदन विचाराधीन है।

श्री एम० एल० अग्रवाल : इस पर कितने समय से विचार हो रहा है ?

श्री दातार : लगभग दो वर्षों से।

भ्रष्टाचार

*११४४. **श्री लक्ष्मय्या (श्री रघुवीर सहाय की ओर से)** : क्या गृह-कार्य मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न सूचनायें हों :—

(क) १९४७ से १९५२ तक के काल में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९४७ में संशोधन करने तक उस अधिनियम के अधीन प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने अभियोग चलाये गये ;

(ख) उन मामलों की संख्या जो दोष-युक्त सिद्ध हुए ; और

(ग) उन मामलों की संख्या जिनका परिणाम विमुक्ति हुआ ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६६**]

श्री लक्ष्मय्या : विवरण में मैं देखता हूं कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या अधिक है। क्या सरकार ने जांच की है और पता लगाया है कि इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इसका कोई विशेष कारण बता सकती है ?

श्री दातार : मैं उस मामले में पूछताछ करूंगा।

श्री लक्ष्मय्या : मैं विवरण में देखता हूं कि अधिक मामलों में अन्त में लोगों को छोड़ दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका कारण यह है कि साक्ष्य का अभाव रहा या कोई अन्य टैक्नीकल कारण था ?

श्री दातार : १९५२ में अधिनियम में संशोधन करने का यही कारण था। माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध अधिनियम में संशोधन होने से पहिले के समय से है। उसके पश्चात् परिस्थिति में कुछ सुधार हो गया है।

श्री लक्ष्मय्या : मैं जानना चाहता हूं कि क्या संशोधन के पश्चात् मामलों की संख्या में कुछ कमी हो गई है ?

अध्यक्ष महोदय : विमुक्तियों में कमी अर्थात्, मेरे विचारानुसार वह यही चाहते हैं।

श्री दातार : मेरा ख्याल है कि कुछ कमी हो गई है। मेरे इस उत्तर में शुद्धि हो सकती है।

श्री कामत : विवरण पर एक दृष्टि डालने से विदित होता है कि सिद्ध दोषों और विमुक्तियों की योग संख्या मिलाकर चलाये गये अभियोगों की संख्या से नहीं मिलती। कुछ मामलों में योग संख्या अधिक हो जाती है तथा कुछ में कम इस गलती का कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट है कुछ मामले लम्बमान हैं।

श्री दातार : कोई गलती नहीं है।

श्री कामत : प्रमाणित दोषयुक्त और विमुक्तियां.....

अध्यक्ष महोदय : इसमें जोड़िये लम्बमान मामले।

श्री कामत : ये मिला कर चलाये गये अभियोगों की संख्या से अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री कामत : मेरा एक और प्रश्न है। प्रश्नास्पद काल में, क्या सरकार को केन्द्र या राज्यों के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई रिपोर्ट या शिकायत या आरोप प्राप्त हुआ और यदि हां तो इन आरोपों की जांच पड़ताल किस व्यवस्था द्वारा की गई ?

श्री दातार : जहां तक मुझे विदित है, हमें अभी तक केन्द्रीय मंत्रियों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हमारा सम्बन्ध केवल केन्द्रीय मंत्रियों से है।

श्री कामत : राज्य मंत्री ?

श्री दातार : हमारा सम्बन्ध राज्य मंत्रियों से नहीं है। यह राज्य सरकार का मामला है।

जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े

*११५३. **श्री बी० के० दास** (श्री एस० सी० सामन्त की ओर से) : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जनसंख्या के ठीक आंकड़े उपलब्ध करने की दृष्टि से १९५२ में भिन्न भिन्न राज्यों में जन्म-मरण के पंजीयन की विद्यमान प्रणाली का किस ढंग से पुनरीक्षण कया ;

(ख) क्या उस प्रणाली का अब राज्य सरकार द्वारा अनुसरण किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) क्या पुनरीक्षित प्रणाली के अन्तर्गत मत्यु का कारण भी लिखा जाता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) भारत सरकार ने अभी जन्म-मरण के पंजीयन की वर्तमान प्रणाली का पुनरीक्षण आरम्भ नहीं किया है। भारत के भूतपूर्व महापंजीयक

तथा जनगणना आयुक्त ने जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार करने के लिये एक योजना बनाई थी। इस योजना के कुछ अंशों पर भारत के कुछ राज्यों में प्रयोगात्मक रूप में अमल किया गया और आशा है कि उस पर प्रतिवेदन अगस्त १९५५ तक प्रकाशित हो जायेगा। इस योजना पर आगे अमल करने के प्रश्न पर प्रतिवेदन मिलने के बाद विचार किया जायेगा।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री बी० के० दास : जब रिपोर्ट प्रारम्भिक अवस्था में की जाये, तो क्या यह पता लगाने का कोई तरीका है कि पंजीयन ठीक तरह से किया गया है या नहीं ?

श्री हाजरा : महापंजीयन ने इस चीज का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कुछ तरीकों का सुझाव दिया है। जिनसे यह पता लगाया जा सके कि आंकड़े ठीक हैं या नहीं या उनका ठीक तरह से पंजीयन हुआ है या नहीं।

विदेशी विद्यार्थियों के लिये ग्रीष्म-कालीन शिविरें

*११५७. **श्री बी० के० दास (श्री एस० सी० सामन्त की ओर से)** : क्या शिक्षा मंत्री १८ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन गर्मियों में ऐसे विदेशी विद्यार्थियों के लिये एक ग्रीष्म-कालीन शिविर आयोजित किया गया था जिन्हें भारत में सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां मिल रही हैं ;

(ख) क्या इन शिविरों में ऐसे विदेशी विद्यार्थियों को भी भाग लेने दिया गया था जिन्हें सरकार से छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं ; और

(ग) इन शिविरों पर कितना व्यय हुआ और वह किस प्रकार पूरा किया गया ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) विदेशी विद्यार्थियों के लिये, जिनमें सांस्कृतिक विषयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी सम्मिलित थे, मई-जून, १९५५ में दो ग्रीष्म-कालीन शिविरों की आयोजना की गई थी—एक काश्मीर में और दूसरा ऊटकामंड में।

(ख) जी हां।

(ग) हिसाब अभी तैयार नहीं हुआ है।

श्री बी० के० दास : क्या इन शिविरों में किन्हीं भारतीय विद्यार्थियों को भी भाग लेने दिया गया था ?

डा० एम० एम० दास : जी हां, कुछ भारतीय विद्यार्थियों ने इन शिविरों में भाग लिया था।

श्री बी० के० दास : क्या उन पर कुछ व्यय किया गया था ?

डा० एम० एम० दास : ये शिविर भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा आयोजित एवं संचालित किये गये थे। परिषद् ने स्थानीय बस किराये आदि पर ४० रुपये प्रति विद्यार्थी व्यय किये। ४० रुपये की राशि परिषद् ने प्रत्येक विद्यार्थी को दी थी, चाहे उसे सरकारी छात्रवृत्ति मिल रही हो या भारतीय विद्यार्थी हो।

श्री बी० के० दास : क्या उन विदेशी विद्यार्थियों पर, जिन्हें सरकार छात्रवृत्तियां दे रही है, कोई अतिरिक्त धनराशि व्यय की गई थी ?

डा० एम० एम० दास : जी हां। जो विदेशी विद्यार्थी भारत सरकार से विभिन्न छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय से शिविर स्थान तक आने जाने का रेल का तथा बस का किराया और २ रुपये प्रतिदिन शिविर के दौरान में दिया था।

श्री बी० के० दास : क्या विद्यार्थियों के इन दो वर्गों के बीच भेदभाव बरते जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

डा० एम० एम० दास : अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री एन० एल० जोशी : इन ग्रीष्म-कालीन शिविरों में कितने भारतीयों ने भाग लिया ?

डा० एम० एम० दास : काश्मीर और ऊटकामंड में आयोजित इन ग्रीष्मकालीन शिविरों में कुल १५१९ विद्यार्थियों ने भाग लिया।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अधिलाभांश के रूप में मिले हुए अंश

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८. श्री एल० एन० मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से अधिलाभांश-अंश (बोनस शेयर) जारी करने की अनुमति नहीं दी जा रही है और क्या अब अधिलाभांश-अंश जारी कर देने और इस प्रकार इस नीति में परिवर्तन करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय पर कर जांच आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश पर सरकार का विनिश्चय क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) प्रश्न के दोनों भागों का उत्तर 'हां' में है।

(ख) इस विषय पर कर जांच आयोग की सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ग) सरकार ने अधिलाभांश-अंश जारी करने की अनुमति देन का जो विनिश्चय किया है उसका उस फैसले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि सरकार कर जांच आयोग की सिफारिश पर यथासमय करेगी।

श्री एल० एन० मिश्र : कितने मामलों में सरकार से अधिलाभांश-अंश जारी करने की अनुमति के लिये आवेदन किया गया और उनमें कुल कितनी धनराशि सन्निहित है ?

श्री सी० डी० देशमुख : १२८ मामले लम्बित हैं जिनमें से ११५ में आदेश दिया जाने वाला है। कुल अन्तर्ग्रस्त धनराशि १३.२ करोड़ रुपये है।

श्री एल० एन० मिश्र : सरकार बाकी के मामले कब तक निपटा देगी ताकि बाजार में सटोरियों का बोलबाला न रहे ?

श्री सी० डी० देशमुख : आज जो उत्तर दिये गये हैं उनको देखते हुए अब सट्टेबाजी की कोई गुंजाइश तो है नहीं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार के पास अधिलाभांश-अंशों के जारी किये जाने पर नियन्त्रण रखने की कोई प्रस्थापना है ताकि आवश्यकता से अधिक पूंजी न लगे और इस सुविधा का दुरुपयोग न किया जा सके ?

श्री सी० डी० देशमुख : जब किसी मामले पर फैसला किया जाता है तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। आदेश देने में विलम्ब ही एक विशेष कारण से हुआ जिसका उल्लेख आज मैंने अपने उत्तर में किया।

श्री के० के० बसु : इनमें से कितने समवायों का प्रबन्ध ब्रिटिश या अन्य विदेशी प्रबन्ध अभिकरण साथों द्वारा किया जा रहा है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस प्रश्न की मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री जोकीम आल्वा : क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं जिनसे यह पता चल सके कि इन अंशों को आयकर से मुक्त घोषित करने से सरकारी खजाने को कितनी हानि पहुंची ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरी समझ में नहीं आता कि जब तक उन पर कर लगाने का निश्चय न किया जाये तब तक हानि का प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता है ।

श्री तुलसी दास : ये मामले कितने दिन से लम्बित हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : एक वर्ष से ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छावनी बोर्ड

*११२७. **श्री एस० आर० कृष्ण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के छावनी बोर्डों ने छावनियों के सुधार के लिये एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सिकन्द्राबाद छावनी बोर्ड द्वारा किन किन सुधारों का सुझाव दिया गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) कोई पंचवर्षीय योजना तो तैयार नहीं की गई है, परन्तु भिन्न भिन्न छावनी बोर्डों ने १९५५-५६ के लिये विकास कार्यक्रम बनाए हैं ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ६७]

भारतीय नौसेना

*११२८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नौसेना के पुराने जहाज़ों के स्थान में नये जहाज़ों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) १९५५ में कुल कितने जहाज़ खरीदे गये ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) भारतीय नौसेना के पुराने जहाज़ों के स्थान पर नए जहाजों की व्यवस्था करने का एक कार्यक्रम सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा किया जा रहा है ।

(ख) दो तटपर सुरंग साफ करने वाले जहाज़ (इनशोर माइनस्वीपर)

अखिल भारतीय कराधान परिषद

*११३०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक अखिल भारतीय कराधान परिषद् बनायी जाय ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब बनायी जायेगी ?

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख) कर जांच आयोग ने एक अखिल भारतीय परिषद् बनाने की सिफारिश की है सरकार इस सिफारिश पर अभी विचार कर रही है ।

सूती कपड़े का आयात

*११३४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन और अन्य देशों से आने वाले सूती कपड़े पर शुल्क में कमी के कारण मई और जून १९५५ में "आयात शुल्कों" से कितनी कम आय हुई ;

(ख) क्या इस रियायत के कारण सूती कपड़े का आयात बहुत बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कितने प्रतिशत बढ़ा ।

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) आय में कमी का अनुमान लगाना कठिन है । भारतीय सीमा शुल्क अनुसूची की मद ४८ (३) और ४८(९) के अंतर्गत आने वाले सूती कपड़े पर, जिस पर ३ मई, १९५५ से शुल्क घटाया गया था, मई और जून, १९५५ में आयात शुल्क से ७,७५००० रुपये की आय हुई । इस वर्ष के आय व्ययक के प्राक्कलन के अनुसार किन्हीं भी दो महीनों में इन दो मदों से लगभग ८.३ लाख रुपये की आय का अनुमान था । पिछले वर्ष इन दो महीनों में इन मदों पर ८.४५ लाख रुपये शुल्क वसूल हुआ था । इन दो रशियों में फेर बदल के, आयात शुल्क में कमी के अतिरिक्त कई और कारण हो सकते हैं ।

(ख) और (ग). मई और जून, १९५४ की अपेक्षा इस वर्ष इन्हीं दो महीनों में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक सूती कपड़ा भारत आया जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

	मई, जून १९५४	मई, जून १९५५	प्रतिशत वृद्धि
मात्रा (गजों में)	५,९४,०००	८,१५,०००	३७ प्रतिशत
मूल्य (रुपयों में)	११,६७,०००	१६,८९,०००	४५ प्रतिशत

यह नहीं कहा जा सकता कि यह वृद्धि केवल शुल्क कम किये जाने के फलस्वरूप ही हुई है, बल्कि इसका मुख्य कारण यह है कि जनवरी जून १९५४ की अपेक्षा जनवरी-जून, १९५५ में इस माल के आयात लाइसेंस देने की नीति अधिक उदार रही है ।

बुनियादी शिक्षादी सम्बन्धी स्थायी समिति

*११३६. **श्री गिडवानी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति की यह सिफारिश सरकार को मिली है कि बुनियादी शिक्षा पर एक अखिल भारतीय प्रदर्शनी की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद): (क) जी हां ।

(ख) सरकार का विचार है कि ऐसी प्रदर्शनी की जाय ।

विश्व भूतपूर्व सैनिक संघ का अन्तर्राष्ट्रीय कैम्प

*११४०. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा संगठित अन्तर्राष्ट्रीय बाल कैम्प में भाग लिया था जो कि तूलूज़ (फ्रांस) में १५ जुलाई से ३१ अगस्त १९५५ तक हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चे और उनके पिता का क्या नाम है ; और

(ग) उसे किस आधार पर चुना गया था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां ।

(ख) भूतपूर्व मेजर भपेन्द्रनाथ खन्ना का पुत्र नृपेन्द्र नाथ खन्ना।

(ग) उस समय जो बच्चे थे उनमें से सब से उपयुक्त बच्चे को चुना गया

आई० ए० एस० आई० पी० एस० की परीक्षाएं

*११४२. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में लन्दन केन्द्र में आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० की परीक्षाओं में कुल कितने उम्मीदवार बैठे थे ; और

(ख) इनमें से कितने पास हुए ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :(क) और (ख). १९५३ और १९५४ में लन्दन केन्द्र में आई० ए० एस०, आई० पी० एस० और आई० एफ० एस० की परीक्षाओं में बैठने वाले और नियुक्ति के लिए योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। (**देखिये**, परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६८) विभिन्न सेवाओं में नियुक्तियां योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों में से उन द्वारा प्राप्त अंकों के हिसाब से की जाती हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों को ध्यान में रखते हुए केवल उतने ही उम्मीदवार नियुक्त किये जाते हैं जितने कि स्थान खाली हों।

बीमा समवाय

*११४३. **श्री सी० आर० नरसिंहन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना के लिए और धन प्राप्त करने के लिए इस बात पर विचार किया जा रहा है कि सरकार बीमा उद्योग के क्षेत्र में और अधिक सक्रिय हो ; और

(ख) क्या यह विचार है कि राज्य सरकारों को अपनी बीमा कम्पनियां प्रारम्भ करने की सलाह दी जाय ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). पहली पंचवर्षीय योजना में यह सिफारिश की गयी थी कि बीमा क्षेत्र में सरकार द्वारा और अधिक भाग लिये जाने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों पर अधिक सावधानी से विचार किया जाय। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार के बाद किया जायगा न कि केवल इस बात को ध्यान में रख कर कि इस से कितना अधिक धन प्राप्त हो सकेगा।

विदेशी सिक्कों का टंकन

*११५१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि श्रीलंका और भूटान की सरकारों से उनके सिक्के ढालने के सम्बन्ध में हाल ही में निवेदन प्राप्त हुए हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : जी हां, सिक्के ढालने के दो आर्डर श्रीलंका सरकार से और एक आर्डर भूटान सरकार से हाल ही में प्राप्त हुआ है। ये आर्डर स्वीकार कर लिये गये हैं और काम शरू हो गया है।

संयुक्त पूंजी समवाय (ज्वायंट स्टाक कम्पनियां)

६०५. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल राजपुरा (पेप्सू) में कितनी संयुक्त पूंजी समवाय ज्वायंट स्टाक कम्पनियां) चल रहे हैं ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : पेप्सू राज्य के राजपुरा

जिले में नौ संयुक्त पूंजी समवाय (ज्वायंट स्टाक कम्पनियां) काम कर रहे हैं।

लाल किला

६०६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ के अन्त तक पिछले तीन वर्षों में लाल किले के बनाए रखने पर कितना खर्च हुआ है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) :

वित्तीय वर्ष	खर्च की गयी राशि रुपये आने पाई
१९५२–५३	१,९२,८३३ ४ ०
१९५३–५४	१,७२,७६१ १० ०
१९५४–५५	१,९०,९६१ ० ०

इन राशियों में रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया खर्च भी शामिल है।

औद्योगिक वित्त निगम

६०७. { **श्री डी० सी० शर्मा** :
श्री इब्राहीम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक वित्त निगम ने फरवरी से जुलाई, १९५५ तक कितने ऋणों की स्वीकृति दी और ये ऋण किन किन आयोगों को दिए गये ; और

(ख) कितने प्रार्थना पत्र अभी तक विचाराधीन हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) ३१५ जैसा कि संलग्न विवरण में ब्यौरे सहित बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६९]**

(ख) पांच।

फ्रांसीसी मिशन

६०८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता के बाद से भारत में कितने फ्रांसीसी मिशन खुले हैं ; और

(ख) वे कहां कहां पर स्थित हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कागज की मिलें

६०९. **श्री इब्राहीम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कागज की मिलों की प्राथित पूंजी कितनी है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): भारत में कागज की मिलों के काम में लगी ज्वायंट स्टाक लिमिटिड कम्पनियों की प्राथित पूंजी ३१ मार्च, १९५४ को १२,०८,२७,०९५ रुपये थी।

चीनी की मिलें

६१०. **श्री इब्राहीम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में चीनी की मिलों की प्राथित पूंजी कितनी है ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : भारत में चीनी (गुड़ समेत) बनाने के काम में लगी ज्वायंट स्टाक कम्पनियों की प्राथित पूंजी ३१ मार्च १ ५४ को ३०,२७,५७,२९४ रुपये थी।

छात्रवृत्तियां

६११. { **श्री भगवत झा आजाद** :
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों ने १९५५–५६ में भारतीय नागरिकों को छात्रवृत्तियां दी हैं; और

(ख) उसी कालावधि में सरकार ने विदेशियों को कितनी छात्रवृत्तियां दी हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) ८ (आठ) ।

(ख) ११८ (एक सौ अट्ठारह) ।

जम्मू और काश्मीर में सड़कें

६१२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९४७ से जून १९५५ के बीच भारत की वित्तीय सहायता से जम्मू और काश्मीर में कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारत सरकार की आर्थिक सहायता से २७९ मील लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया तथा १५६.५ मील लम्बी वर्तमान सड़कों की मरम्मत कराई गई ।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

६१३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कितने भारतीय विद्यार्थी निम्नलिखित देशों में अध्ययन कर रहे हैं :—

(१) दक्षिण अफ्रीका

(२) अफगानिस्तान

(३) ईरान

(४) इंडोनेशिया और

(५) जापान

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : कोई नहीं ।

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४

६१४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होने वाली सभी पुस्तकों का हिसाब रखती है ;

(ख) यदि हां, तो १९५३ और १९५४ में प्रत्येक भाषा की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुईं ; और

(ग) पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४ के बनने के बाद से राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता को कितनी पुस्तकें दी गयी हैं ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) यह जानकारी संकलित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) १८२६ ।

साहित्य अकादमी

६१५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी ने १९५४–५५ और १९५५–५६ में मलयालम साहित्य के विकास के लिए कितनी कितनी राशि रखी है ;

(ख) इन वर्षों में इस प्रयोजन के लिए कितनी कितनी राशि खर्च की गयी है ;

(ग) १९५४–५५ में कितनी राशि खर्च की जाने से रह गयी ; और

(घ) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर यह राशि खर्च की गयी है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (घ). १९५४–५५ और १९५५–५६ के लिए साहित्य अकादमी के खर्चे में मलयालम साहित्य के लिए कोई अलग राशि तो नहीं रखी गयी, परन्तु अकादमी ने मलयालम कवि श्री वल्लापोल नारायण मैनन को १५,००० रुपये दिया जिससे कि वे ऋगवेद का मलयालम अनुवाद प्रकाशित कर सकें।

संघ लोक सेवा आयोग

६१६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग ने १९५२–५३ में भेंट या परीक्षा के लिए आने वाले उम्मीदवारों को सवारी भत्ते और अन्य भत्तों के रूप में कितनी रकम दी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : १,९८,६६६ रुपये।

अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्तियां

६१७. **श्रीमती अनुसूया बाई बोरकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई जो १९५४–५५ में बन्द कर दी गई ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री (मौलाना आजाद) : २० छात्रवृत्तियां रद्द कर दी गई थीं और १ लगभग ३ महीने के लिये बन्द कर दी गई थी।

अध्ययन अवकाश

६१८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री सरकारी कर्मचारियों को विदेशों में अध्ययन के लिये अवकाश दिये जाने के विषय में ११ जून १९५५ को जारी किये गये परिपत्र के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी कर्मचारियों ने अध्ययन अवकाश के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं ;

(ख) कितने सरकारी कर्मचारियों को अब तक यह अवकाश दिया गया है और किस विषय के अध्ययन के लिये दिया गया है ; और

(ग) कितने सरकारी कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश नहीं दिया गया ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी।

लोक-सभा

गुरुवार,
२५ अगस्त, १९५५

वाद-विवाद

18/X/23
Chamber Furnigated

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही...)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर १९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . . १३४३–१३५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . . १३५०–१३५१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १३५१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३५१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त . . . १३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १४०९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १४१०

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १४१०–१४

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १४१४–८९, १४८९–९२

सभा का कार्य १४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७

राज्य-सभा से सन्देश १४९७–९८, १५७७–७८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य १४९८–१५०३

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–१५०४

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य . १५०४–१५०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १५०७–७६

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७९
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का
प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रति-
वेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०
राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१
एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . २१४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४
खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४
सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७
वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५
सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९
केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९
मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०
खान नियम १९५५ . . . . . २२४०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१
राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१
कशाघात उत्सादन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०
खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३
खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१
राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२,२४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२९

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . . . .

लोक-सभा

गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२.०२ म० प०

समवाय विधेयक—जारी

खण्ड ११ से ६७ तक

अध्यक्ष महोदय : अब सभा समवाय विधेयक के खण्ड ११ से ६७ तक के सम्बन्ध में अग्रेतर चर्चा करेगी। इन खण्डों के लिये आवंटित २ घंटे ३० मिनट में से १ घण्टा १८ मिनट बीत चुका है। अब १ घंटा १२ मिनट शेष हैं। अर्थात् ये खण्ड १ बज कर १५ मिनट पर समाप्त हो जाने चाहियें। उस के बाद खण्ड ६८ से ८० तक लिय जायेंगे।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : में एक औचित्य प्रश्न पूछता हूं। २२ तारीख को जब खण्ड २ से ८० तक लिये गये थे, हम लोगों से संशोधन मांगे गये थे। मैं ने अपना संशोधन दिया था। इस के बाद मैं लोक लेखा समिति में काम कर रहा था अतः इन खण्डों की चर्चा के समय मैं उपस्थित नहीं हो सका। परन्तु कल की सूची में, जो खण्ड ११ से ६७ तक के सम्बन्ध में है, मेरे संशोधनों का कोई जिक्र नहीं है। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सदस्य अन्य ऐसे कार्यों में व्यस्त हों और स्वयं उपस्थित हो कर अपने संशोधन का प्रस्ताव न कर सकते हों, तो उन के संशोधन को प्रस्तुत हुआ समझ लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक की खण्डशः चर्चा करते समय हम ऐसा नहीं करते। ऐसी अवस्था में प्रस्ताव करने वाले माननीय सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक है और उसे यह भी बताना पड़ता है कि क्या वह अपने संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता है या नहीं जैसाकि स्पष्ट है, माननीय सदस्य उस समय सभा में उपस्थित नहीं थे।

श्री एस० वी० रामस्वामी : पहली सूची में मेरे संशोधनों को प्रस्तावित मान लिया गया है, परन्तु दूसरी सूची में उन का कोई ज़िक्र नहीं है। इस का क्या कारण है? फिर मैं अन्य सरकारी काम में व्यस्त था।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि पहली सूची में माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये संशोधन होते हैं और दूसरी सूची में वे संशोधन होते हैं जिन का प्रस्ताव किया जा चुका हो। अतः इस सम्बन्ध में कोई औचित्य प्रश्न नहीं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : २२ तारीख को सदस्यों से संशोधनों की सूची मांगी गई थी। मैं ने सूची दी थी। उसी के आधार

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

पर तालिका बनाई गई थी पर बाद की सूची में उस का कोई ज़िक्र नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ध्यान रखें कि किसी संशोधन का प्रस्ताव करने की इच्छा होना और उस का वास्तव में, प्रस्ताव करना दो भिन्न बातें हैं । अतः किसी सदस्य द्वारा किसी संशोधन के प्रस्ताव करने की पूर्वसूचना देने का अर्थ यह नहीं है कि उन का संशोधन प्रस्तावित मान लिया जाय ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि उन्हें प्रस्तावित मान लिया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में यही प्रथा है कि यदि सदस्य किसी संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता है तो उसे सभा में उपस्थित होना चाहिये । यदि वह अनुपस्थित है तो उस का संशोधन स्वयं ही रद्द हो जायेगा । यदि वह उस का प्रस्ताव नहीं करना चाहता तो उसे खड़े हो कर कहना पड़ता है कि मैं अपने सशोधन का प्रस्ताव नहीं करना चाहता । हम किसी सशोधन को वैसे प्रस्तुत हुआ नहीं मानते ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : मैं जानकारी के लिये एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या एक सदस्य दूसरे सदस्य को यह अधिकार दे सकता है कि वह उस की अनुपस्थिति में खड़े हो कर उस के नाम से सशोधन का प्रस्ताव कर सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रथा नहीं है और मैं इसे ठीक भी नहीं समझता । यदि किसी सदस्य को किसी संशोधन का प्रस्ताव करना है तो उसे स्वयं सभा में उपस्थित रह कर उस का प्रस्ताव करना चाहिये ।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : कम से कम उन सदस्यों को इस की अनुमति दी जानी चाहिये जिन्हें प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति की बैठक में भाग लेना हो क्योंकि हम दो स्थान पर एक ही समय उपस्थित नहीं हो सकते ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी अवस्था में माननीय सदस्य को दोनों कामों में से एक को, जिसे वह अधिक महत्वपूर्ण समझता हो, छांट लेना चाहिये । या फिर अपने किसी साथी से वैसे ही संशोधन की पूर्वसूचना देने के लिये कहना चाहिये । मुख्य बात यह है कि संशोधन का प्रस्ताव करने वाले का उपस्थित होना आवश्यक है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : अब मुझे इन संशोधनों के प्रस्ताव करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : किन खण्डों के संशोधनों की ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : खण्ड ४८ ५२, ५५ और ५६ के सम्बन्ध में क्रमशः संशोधन संख्या ३१, ३२-३३, ३४ और ३५ की ।

अध्यक्ष महोदय : कल खण्ड ११ से ६७ तक को लेते समय सदस्यों से अपने संशोधनों का प्रस्ताव करने को कहा गया था । माननीय सदस्य कल उपस्थित नहीं थे । अतः एक बार उन का नाम पुकारे जाने के बाद दोबारा अनुमति नहीं दी जा सकती । अब हम खण्डों पर चर्चा करेंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : यह खण्ड संयुक्त पूंजी समवायों के निगम के सम्बन्ध में है और केन्द्रीय सरकार तथा पंजीयक के अधिकारों की चर्चा करते हैं ।

इन खण्डों के उपबन्धों की चर्चा करने के पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संयुक्त पूंजी समवायों के निगम के कार्यों

की देखभाल करने, उन में हस्तक्षेप करने और उन का नियमन करने के सम्बन्ध में सरकार को बहुत अधिकार दिये गये हैं। सामान्य चर्चा के समय कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव रखा था कि इस सम्बन्ध में भाभा समिति की सिफारिश को स्वीकार कर के एक केन्द्रीय सत्ता स्थापित कर दी जाय।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

एक बात और ध्यान देने योग्य है न यद्यपि पंजीयकों और उप-पंजीयकों को इस सम्बन्ध में काफी अधिकार है फिर भी चूंकि यह लोग राज्य सरकारों के अधीन कार्य करते हैं तथा इस कार्य के अतिरिक्त और भी बहुत से कार्य करते हैं अतः वे उस काम को अच्छी तरह नहीं कर पाते। इसलिये जब तक इन पंजीयकों से अन्य कामों का उत्तरदायित्व ले नहीं लिया जाता और पूर्णरूप से केवल यही काम उन के लिये रखा जाता है, तब तक समवाय विधि को ठीक ठीक लागू नहीं किया जा सकता।

इन उपबन्धों के सम्बन्ध में कल श्री तुलसीदास ने कहा था कि अन्तिम निर्णय के पूर्व प्रबन्ध अभिकरण के करारों को पंजीयकों के सामने पेश करना आवश्यक है और उन्हों ने खण्ड ३२ के उपखण्ड (१) (ग) को निकाल देने की प्रार्थना की थी

इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि यह उपबन्ध बेकार नहीं है। संयुक्त समिति ने बहुत समझ-बूझ कर यह उपबन्ध इसलिये रखा है कि अंशधारियों को अपने हितों के बारे में सारी बात का पता लगता रहे। अतः इस उपबन्ध से कोई हानि नहीं है। भाभा समिति ने भी इस सम्बन्ध में यही सिफारिश की है कि ऐसा उपबन्ध करना आवश्यक है।

कल आप ने कहा था कि नोटिस देने के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है वह संतोषजनक नहीं है। परन्तु मैं उसे संतोषजनक समझता हूं। इस उपबन्ध के अनुसार नोटिस हाथों हाथ या डाक से दो दिनों में जारी किया जाना चाहिये।

जिन लोगों का पता न मालूम हो और जिन्हों ने समवाय को अपना कोई पंजीकृत पता न दिया हो उन को नोटिस देने के सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने इस उपबन्ध की सिफारिश की है कि समवाय के पंजीकृत कार्यालय के आसपास परिचालित होने वाले समाचारपत्रों में उस का विज्ञापन निकाल दिया जाय। इस का मतलब यह समझा जायेगा कि उन लोगों को नियम-पूर्वक नोटिस दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध ठीक और पर्याप्त है और इस का संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं।

सभापति महोदय : क्या समवाय को अधिकार होगा कि जिन लोगों के पते उसे मालूम हैं उन के बारे में भी वह समाचार पत्र में विज्ञापन छपाने के बाद, डाक से नोटिस न भेजे ? अतः समाचार-पत्र में छपाने वाली बात डाक से नोटिस भेजने के स्थान पर हो सकती है परन्तु यह कोई अतिरिक्त उपाय नहीं है। कुछ भी हो, खंड में यह कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह उपचार एक स्थानापन्न उपचार होगा या अतिरिक्त उपचार होगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : उन लोगों के सम्बन्ध में जिनके पते नहीं मालूम हैं, यह उपाय एक स्थानापन्न उपाय होगा।

सभापति महोदय : ऐसे ही किस आधार पर होगा। धारा ५२ (१) में यह नहीं बताया गया है कि नोटिस देन का केवल यही एक उपचार है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : तो कठिनाई क्या है ?

सभापति महोदय : कठिनाई यह है कि मान लिया वह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा का है और वह व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता या उसके पास तक वह समाचार-पत्र पहुंच नहीं पाता। ऐसी अवस्था में डाक से नोटिस भेजना आवश्यक है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यदि ऐसा उपबन्ध करने से सुविधा रहे तो मैं उसका स्वागत करता हूं।

इसके बाद मैं खण्ड २४ को लेता हूं जिसमें पूर्त या अन्य समवायों के नामों में से 'लिमिटेड' निकाल देने की बात कही गयी है। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि अधिकारी लोग आपत्तियों को पेश करने का समय देने के लिये बाध्य हों। और किसी मामले पर निश्चय करने के पूर्व ही आपत्तियां मांगी जानी चाहियें।

इसके बाद उन निदेशकों को जो इस कार्य के लिये समवाय की सेवा करना चाहते हैं, अपनी लिखित स्वीकृति देनी चाहिये।

कई बार ऐसा होता है कि हम समवायों के मुख्य कारोबार और सहायक कारोबार में भेद नहीं कर पाते और समवायों के प्रबन्धकर्ता, चाहे वे प्रबन्ध अभिकर्ता हों या निदेशक बोर्ड हो, समवाय के कार्यक्षेत्र को अनियमित रूप से अंशधारियों को बताये बिना बढ़ाते रहते हैं। अतः अंशधारियों के हितों को ध्यान में रख कर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि समवाय का मुख्य कारोबार क्या है और सहायक कारोबार क्या है।

एक बात और है। इन खण्डों में समवायों को मिलाने के स्वरूप के सम्बन्ध में कहा गया है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सभी संयुक्त पूंजी समवायों में भारतीय राष्ट्रजन ही होने चाहियें और यदि विदेशी राष्ट्रजन हों तो उन विदेशी समवायों में भी एक निश्चित प्रतिशत संख्या में भारतीय राष्ट्रजन अवश्य होने चाहियें। इस के लिये एक तिहाई का अनुपात ठीक होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं और फिर उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात करना भी व्यर्थ है।

कई बातों के सम्बन्ध में जिन दण्डों और ज्ञापनों का उपबन्ध किया गया है, उस के सम्बन्ध में हमें केवल एक बात कहनी है। हम ने नियमों और विनियमों के बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दे दिया है।

खण्ड २४ पर विचार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिये कि कभी कभी पूर्त या पूर्त प्रयोजनों के नाम पर और बहुत से काम किये जाते हैं। खण्ड २४ (क) में उन प्रयोजनों का वर्णन है जिन के लिये समवाय बनाये जा सकते हैं। ऐसे प्रयोजनों में वाणिज्य कला, विज्ञान, धर्म और अन्य लाभदायक उद्देश्य सम्मिलित हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वाणिज्य, धर्म भी इस प्रकार के प्रयोजनों के लिये समवाय बनाने की बात करना भ्रमात्मक और बेकार सी लगती है। वाणिज्य का नाम लोगों में भ्रम पैदा करता है और धर्म के लिये समवाय बनाना धर्मनिरपेक्ष राज्य में बेकार है। तो इसी प्रकार की बातों से लोगों को अलाभदायक कामों के करने का अवसर मिलता है। अतः इस उपबन्ध के बारे में उचित ध्यान रख कर सरकार कोई सशोधन पेश करे ताकि कुछ थोड़े से लोगों को लोगों की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ उठाने का अवसर न मिलने पाये।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : मैं आप का ध्यान खंड १३ और खंड १६ को और आकर्षित करना चाहता हूं। खंड १३ (१) (ग) में समवाय के उद्देश्यों का जिक्र

है । श्रेष्ठि चत्वर, बम्बई ने अपनी विज्ञप्ति में भाभा समिति से यह कहा था कि यह खंड अत्यधिक व्यापक हैं । भाभा समिति ने समवाय के कार्य के क्षत्र पर पूरी तरह से विचार किया था । साधारणतः होता यह है कि जब कोई समवाय एक विशेष प्रकार का कार्य प्रारम्भ करता है तो विकसित होने पर वह कई प्रकार की शाखायें चलाता है और ऐसे कार्य प्रारम्भ कर लेता है, जिन का मुख्य कार्य से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं होता है और न वे कार्य मुख्य उद्योग के सहायक उद्योग ही होते हैं । उदाहरणार्थ ग्वालियर-स्थित जियाजी राव टेक्सटाइल मिल्ज़ ने हाल ही में सोडा ऐश का कारखाना खोलने का विचार किया है । बम्बई की सेंच्युरी मिल रेयोन का कारखाना खोलने का विचार कर रही है । भाभा समिति ने इस बुराई पर ध्यान दिया था तथा कहा था कि सरकार को यदि इस बुराई का निवारण करना है तो उसे स्थिति का अध्ययन कराना चाहिये तथा आवश्यक विधान पारित करना चाहिये ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रत्यक्षतः सरकार ने ऐसा नहीं किया है, न वह स्थिति का अध्ययन करने के लिये ही प्रस्तुत है । एक ओर आप यह सुझाव देते हैं कि एक प्रबन्ध अभिकरण के अधीन केवल दस समवाय हों, लेकिन आप एक समवाय को ही संघटित समवाय बनने दे कर सैकड़ों प्रकार के कार्य करने की अनुमति देते हैं । इस प्रकार एक कारखाने की हानि को दूसरे कारखाने से हुए लाभ से पूरा किया जाता है, और इस से कोष की भी हानि होती है । इसलिये इस प्रकार का विस्तार उचित नहीं है । इस अधिनियम का मूल उद्देश्य यह है कि धन का केन्द्रीकरण न हो तथा नियंत्रण में कमी हो । किन्तु यदि आप उद्देश्यों को उतना ही व्यापक रहने देंगे जितने कि वे हैं, तो दूसरे खंडों से जो आप को लाभ होगा वह सब इस खंड के द्वारा समाप्त हो जायेगा । मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस अनियंत्रित व्यापकता तथा कारखानों के संघटित विकास की अनुमति रहते हुए विधेयक के उद्देश्यों से किस प्रकार समझौता हो सकता है । मेरी समझ में तो ये दोनों परस्पर विरोधी हैं । अतः इसे दूर किया जाना चाहिये जिस से कि पूंजी के केंद्रीयकरण तथा नियंत्रण में कमी हो तथा औद्योगिक जीवन में सब के लिये अवसरों की समानता प्राप्त हो सके ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली): मैं अपने संशोधन संख्या १५६ पर जिसे कि मेरी अनुपस्थिति में श्री तुलसीदास ने प्रस्तुत किया था सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । स्वयं सरकार ने इस सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार एक निजी समवाय के, सार्वजनिक समवाय में परिवर्तित होने पर उसे अपनी विज्ञप्ति को बदलना होगा, तथा समर्थन के लिये न्यायालय में तथा सरकार के पास जाना होगा, जिस से कि "प्राइवेट लिमिटेड" ["निजी सीमित"] शब्द रद्द हो जाय ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : श्री तुलसीदास ने कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है ।

श्री जी० डी० सोमानी : कुछ भी हो मेरा यह निवेदन है कि सरकार का संशोधन सारी बातों को पूरा नहीं करता और एक निजी समवाय के सार्वजनिक समवाय में परिवर्तित होने पर उस की सारी औपचारिक कार्यवाही समाप्त कर दी जाय और यह परिवर्तन स्वयंमेव हो जाय, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों को अनावश्यक झंझट उठानी पड़ती है ।

[श्री जी० डी० सोमानी]

अब मैं अपने संशोधन संख्या १५७ को लेता हूं। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि प्रबन्ध अभिकर्ताओं के लिये यह उपयुक्ति नहीं है कि वे अनुच्छेदों तथा विज्ञप्ति में प्रस्तावित करार का मसविदा सम्मिलित करें, क्योंकि उस पर अभी सरकार द्वारा संशोधन होना तथा समर्थन प्राप्त करना बाकी है। इसलिये यदि अंशधारियों को करार की शर्तें विज्ञप्ति तथा अनुच्छेद में नहीं प्राप्त होती हैं, तो भी कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि बाहर के अंशधारी तब तक समवाय के सम्पर्क में नहीं आते जब तक कि समवाय अंशों की प्राप्ति के लिये विवरण पुस्तिका प्रकाशित नहीं करता। अतः यदि इसे विवरण पुस्तिका में ही सम्मिलित किया जाय तो उपयुक्त होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी क्योंकि न तो इस से विधयक की नीति में अन्तर पड़ता है और न इस के कारण किसी को हानि होने की ही सम्भावना है। संशोधन संख्या १५८ व १५९ आनुषंगिक हैं अतः मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

संशोधन संख्या १६० खंड ४३ से सम्बन्धित है। उपधारा (५) (ख) में यह उपबन्ध है कि यदि विवरण पुस्तिका अथवा विज्ञप्ति में कोई एसी बात छूट गई हो जिसे कि अनुसूची २ या ४ के उपबन्धों के अधीन दर्शाया जाना चाहिये था और यदि इस के गलत अर्थ निकलें अथवा अवांछनीय परिणाम हों तो ऐसा विवरण गलत माना जायेगा।

ब्रिटेन के अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। यदि विवरण पत्रिका में कोई भ्रममूलक बात कही गई हो तो कार्यवाही करना जरूरी है। परन्तु चूक हो जाने पर यह बड़ा कठिन होगा क्योंकि कई चूकें हो सकती हैं। जब कोई कम्पनी बनाई जाती है तो उस के प्रवर्त्तक कच्चे माल, उत्पादन की लागत, बिजली और मशीनों आदि के सम्बन्ध में यथासम्भव जानकारी देने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु यह तो सम्भव है कि कोई शरारती आदमी ऐसी बहुत सी बातें ढूंढ निकालें जो भूल से विवरण पत्रिका में सम्मिलित होने से रह गई हों और इस प्रकार प्रवर्त्तकों को फंसा दे। सम्भव है कि इस प्रकार की चूक अंशधारियों के लाभ के लिये हो। मान लीजिये कि किसी कम्पनी की विवरण पत्रिका में यह नहीं बताया जाता कि निक्षेप ५० वर्ष चलेंगे या १०० वर्ष—यह जानकारी देने से अधिक लोग अंश खरीदने के लिये लालायित होंगे। इस प्रकार की चूक अंश खरीदने वालों के लिये लाभदायक होगी और यदि इसे भ्रममूलक समझा जाय तो प्रवर्त्तक को कई प्रकार के दण्ड मिलेंगे। मेरा निवेदन है कि इस चूक के परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर विचार किया जाय। यह खण्ड उन्हीं तथ्यों के बारे में होना चाहिये जो स्पष्ट रूप से विवरण पत्रिका में दिये हुए हों।

श्री क० के० बसु : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। यह उपबन्ध तभी लागू होगा जबकि चूक भ्रम डालने के उद्देश्य से की गई हो।

श्री जी० डी० सोमानी : भ्रम तो दोनों तरह से हो सकता है। कोई जानकारी न दी गई हो तो उसे भ्रममूलक समझा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि बहुत सी बातें नहीं बताई गई हैं। उन का पता चलने पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि उन के न बताने से भ्रम उत्पन्न हुआ है। और फिर इस चूक में वे बातें नहीं आतीं

जो विवरण पत्रिका बनाने वालों के ध्यान में भी न आई हों । इस से उन्हें कठिनाई होगी ।

श्री अशोक मेहता ने कहा है कि ज्ञापन के उद्देश्यों वाले खण्ड में इतनी अधिक गुंजाइश रखने में हानि हो सकती है। मेरा दृष्टिकोण भिन्न है । मैं माननीय मंत्री से इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बड़े बड़े उद्योग वालों की क्या स्थिति होगी । जहां तक हम समझ सके हैं, सरकार की नीति यह है कि देश के साधनों के विकास को प्राथमिकता दी जाय । एक ओर आप ने निजी आय पर ८७.५ प्रतिशत कर लगा दिये हैं । इस का जहां तक सम्बन्ध है, देश के उद्योगों के विकास के लिये कोई साधन प्राप्त होने की गुंजाइश नहीं है । कम्पनियों के क्षेत्र से ही और साधन मिल सकते हैं । यदि कम्पनियों का फाल्तू धन देश के औद्योगिक विकास के लिये नहीं लगाया जा सकता तो यह सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है । कुछ समय पहले केन्द्रीय उद्योग मंत्रणा परिषद् की बैठक में कहा गया था कि गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा ७५० करोड़ रुपया लगाये जाने का लक्ष्य है । श्री अशोक मेहता ने जिन प्रतिबन्धों का सुझाव दिया है, वे लग जायेंगे तो यह लक्ष्य कैसे पूरा हो सकता है ? मेरा निवेदन है कि कम से कम दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में हमें कुछ लोगों के हाथ में धन और आर्थिक शक्ति केन्द्रित होने के कल्पित डर प्रकट करने की बजाय अपने उद्योगों के विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

श्री अशोक मेहता : यह हमारा डर नहीं, भाभा समिति ने स्वयं यह कहा है ।

श्री जी० डी० सोमानी : भाभा समिति ने कोई कार्यवाही करने का सुझाव नहीं दिया है । कोहेन समिति ने भी ऐसा ही डर प्रकट किया था और ब्रिटेन की संसद् ने यह राय प्रकट की थी कि कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है । हमें इस प्रश्न पर विचार करते समय यह देखना चाहियें कि हमें करना क्या है । किसी पटसन मिल द्वारा देश के किसी भाग में सीमेंट उद्योग का विकास किये जाने या किसी कपड़ा मिल द्वारा सौराष्ट्र में किसी अन्य उद्योग स्थापित किये जाने की कोरी बात कर लेना एक अलग बात है । परन्तु समस्या फिर भी यही है कि उद्योगों के विकास के लिये जिन साधनों की आवश्यकता है वे वर्तमान कम्पनियों के साधनों से ही मिल सकते हैं और यदि उन्हें इन साधनों का प्रयोग उद्योगों के विकास के लिये नहीं करने दिया जाता तो यह सरकार की इस नीति के विरुद्ध है कि लोगों के लिये रोज़गार की व्यवस्था की जाय और देश के साधनों का विकास किया जाय । यदि यह कहा जाता है कि किसी कम्पनी को किसी अन्य उद्योग में रुपया लगाने की अनुमति न दी जाय तो यह प्रगति विरोधी काम होगा । इस से देश के आर्थिक विकास में बाधा पड़ेगी । इसलिये मेरा विचार है कि श्री अशोक मेहता ने जो प्रश्न उठाया है उस पर सारा मंत्रिमंडल बड़ी सावधानी से विचार करे । व्यापारी उद्योगों के बिकास के लिये सरकार से ही लाइसेन्स लेने जाते हैं । उन पर ही सरकारी नीति के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया जाय तो यह ठीक नहीं होगा । मेरा सुझाव है कि जिन कम्पनियों के पास साधन हैं, उन्हें उन का प्रयोग किसी भी ऐसे उद्योग के विकास के लिये करने की अनुमति होनी चाहिय जिस का विकास राष्ट्र हित में हो । मुझे कोई भेद नहीं पड़ता कि कोई कपड़ा मिल अपने साधनों से कागज़ का कारखाना खोलना चाहती है । सरकार की आय-कर नीति भी ऐसी ही है । इस के अनुसार एक कम्पनी को दूसरी कम्पनी में रुपया लगाने का

[श्री जी० डी० सोमानी]

प्रोत्साहन दिया जाता है क्योंकि वह दोहरे कर से बच जाती है । ये सब नीतियां उन उद्योगों के कार्यों के अनुरूप हैं जो देश के साधनों का विकास कर रहे हैं । बड़ी बड़ी कम्पनियों वालों को, जिन के पास साधन हैं उसी ढंग से अपने साधनों का प्रयोग करना चाहिये जिस ढंग से सरकार चाहती है । मुझे आशा है कि सरकार श्री अशोक मेहता की बातों पर सावधानी से विचार करेगी और हमें उस नीति का कुछ पता चलेगा जिस पर सरकार व्यापारियों से अमल कराना चाहती है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं सभा का ध्यान खण्ड १७ और १८ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में ज्ञापन में परिवर्तन की प्रक्रिया दी हुई है और न्यायालय द्वारा उस की पुष्टि का भी उपबन्ध है । इस खण्ड के अधीन बहुत सी कार्यवाहियां करनी पड़ेंगी और न्यायालय द्वारा ज्ञापन में परिवर्तन के प्रार्थना पत्र को निबटाने के सम्बन्ध में कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है । मेरा विचार है कि इस खण्ड में या सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों में ऐसी अवधि निर्धारित की जानी चाहिये ।

इन खण्डों में इस सम्भावना का ध्यान रखा गया है कि कोई सदस्य या अंशधारी ज्ञापन पर आपत्ति करे । यदि कोई कम्पनी लाभ कमाने के लिये अपना प्रसार करना चाहे या हानि से बचने के लिये अपने काम में कमी करना चाहे तो उसे अपने ज्ञापन या सन्था अन्तर्नियमों में परिवर्तन कराने के लिये कई वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि कोई अवधि अवश्य निर्धारित की जानी चाहिये ।

खण्ड ३८ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में यह कहा गया है कि किसी सदस्य के मांगने पर उसे वे सब दस्तावेज़ें भेजी जायेंगी जो कम्पनी द्वारा किये गये या किये जाने वाले करारों के सम्बन्ध में हों । मेरा कहना यह है कि दस्तावेज़ देते समय ऐसी दस्तावेज़ें देना सम्भव नहीं होगा जो भविष्य में किये जाने वाले करारों के सम्बन्ध में हों । इसलिये मैं श्री तुलसीदास के इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि इस खण्ड में से "किये जाने वाले" शब्द हटा दिये जायें ।

श्री कामत : मेरा निवेदन है कि मुझे इन खण्डों में अब अपने संशोधन रखने की अनुमति दी जाय क्योंकि मैं कुछ दिन दिल्ली से बाहर रहूंगा और फिर मुझे इन्हें रखने का अवसर शायद न मिले ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं । वे अपने संशोधन रखें ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम) : श्रीमान्, अध्यक्ष महोदय ने श्री एस० वी० रामस्वामी को अपने संशोधन रखने की अनुमति नहीं दी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन स्वीकार करना तो सभा के हाथ में है । अध्यक्ष महोदय का विचार सदा यह रहा है कि जब कोई सदस्य यहीं हो और लापरवाही के कारण अपना संशोधन ठीक समय पर न रख सका हो तो उसे बाद में संशोधन रखने की अनुमति न दी जाय । हो सकता है कि कभी कोई सदस्य कुछ कारणों से उपस्थित नहीं हो सकता हो ; उस दशा में उस के साथ कुछ नरमी बरती जाती है

श्री एम० सी० शाह : मैं ने संशोधन रखने वाले सदस्यों के भाषणों को बड़ी सावधानी से सुना है और मैं प्रारम्भ में ही इस बात का उल्लेख करूंगा ।

कल मेरे मित्र श्री झुनझुनवाला ने खण्ड ५२ में जो संशोधन संख्या ४४२ रखा था उस के सम्बन्ध में कल की बहस समाप्त

होने से कुछ पहले मैं ने सभा को विश्वास दिलाया था कि सरकार सिद्धान्त रूप से इस संशोधन को मानने के लिये तैयार है परन्तु संशोधन की भाषा में और परिवर्तन करने की आवश्यकता है । इसलिये आज हम ने उस संशोधन का प्रारूप दिया है और हमारा विचार उसे स्वीकार करने का है । वह इस प्रकार है :

पृष्ठ २७, पंक्ति ४६ में,

"notice"("सूचना") के बाद निम्न-लिखित को रखा जाय :

Provided that where a member has intimated to the company in advance that notices should be sent to him under a certificate of posting or by registered post with or without acknowledgement due and has deposited with the company a sum sufficient to defray the expences of doing so, service of the notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the member."

"("परन्तु शर्त यह है कि जब किसी सदस्य ने समवाय को पहले से ही बता दिया है कि उसे सूचनायें डाक में डालने का प्रमाणपत्र ले कर या पावती प्राप्य या बिना पावती प्राप्य रजिस्ट्री पत्र द्वारा भेजा जाय और ऐसा करने का खर्चा कम्पनी में जमा करा दिया हो, तो सूचना तब तक भेजी गई नहीं समझी जायेगी जब तक कि यह सदस्य द्वारा कहे गये ढंग से न भेजी गई हो")"

इस से श्री झुनझुनवाला और श्री के० के० बसु के संशोधन निपट जाते हैं ।

अब श्री तुलसीदास द्वारा रखे गये संशोधनों को लीजिये । कल मैं ने उन का भाषण बड़ी सावधानी से सुना । मैं ने उन का भाषण पढ़ा भी और वह मुझे क्षमा करें यदि मैं यह कहूं कि जब भी कोई प्रगतिवादी विधान बनने लगता है वह उस में कठिनाइयां ढूंढ लेते हैं । मैं ने आज प्रातः भी उन का भाषण पढ़ा । मैं ने देखा कि उन्हें विधेयक में रखी गई सब बातों में कठिनाइयों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला । बल्कि मुझे श्री सोमानी का भाषण पसन्द आया जिस में उन्हों ने इतनी कठिनाइयों का उल्लेख नहीं किया है । श्री तुलसीदास ने कहा है कि अधिकतर संशोधनों का, यदि उन्हें स्वीकार कर लिया जाय, यह परिणाम होगा कि कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, उद्योग प्रारम्भ करने वाले नहीं मिलेंगे और शायद आसमान गिर पड़ेगा । उन्हों ने जो संशोधन रखे हैं उन का कोई महत्व नहीं है । सब से पहले उन्हों ने संशोधन संख्या १५७ रखा । उन्हों ने कहा कि चूंकि सरकार संशोधन रख चुकी है, इसलिये वे संशोधन संख्या १५६ नहीं रखेंगे । संशोधन संख्या १५७ के सम्बन्ध में उन्हों ने कहा है कि करार के पंजीयन का उपबन्ध हटा देना चाहिये । इस मामले पर संयुक्त समिति ने, जिस में वह भी थे, बड़ी सावधानी से विचार किया है । उन्हें यह भी मालूम है कि भाभा समिति की सिफारिश भी यही थी कि यह उपबन्ध होना चाहिये । यदि कोई करार कर लिया गया हो तो उस का पंजीयन होना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता कि उस पर क्या आपत्ति हो सकती है और न ही मैं यह समझ सका हूं कि इस से गड़बड़ कैसे होगी । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि इन करारों का पता चल जाने से कोई और प्रतिस्पर्धी आ धमकेगा और प्रबन्ध अभिकरण को हटना पड़ेगा इत्यादि । मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसे होगा । सच तो यह है कि

[श्री एम० सी० शाह]

इस में ऐसा कोई डर नहीं है । यदि करार का पंजीयन न भी हो तो भी जो कम्पनियां आरम्भ करना चाहते हैं और जो प्रबन्ध अभिकरण के सम्बन्ध में करार करना चाहते हैं, वे काम करते रहने के लिये बाध्य नहीं हैं । इसलिये मेरा विचार है कि यह उपबन्ध फालतू नहीं है । यह बड़ा आवश्यक और महत्वपूर्ण है, इसलिये संयुक्त समिति ने इसे विधेयक में रखा है । मैं महसूस करता हूं कि श्री तुलसीदास ने इस सम्बन्ध में अनावश्यक ही आवाज़ उठाई है । उन का विचार है कि इस से बड़ी भारी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । उन का कहना है कि वर्तमान रूप में इस उपबन्ध से बाधा पड़ेगी । मेरा विचार है कि कोई कठिनाई नहीं है और न खड ३२(ग) को हटाने की आवश्यकता है ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना) : मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । कठिनाई इन शब्दों में है "जोकि समवाय किसी व्यक्ति के साथ करना चाहता है" । सारी लाइन पढ़िये । मेरा कहना यह है कि यह करार वैध दस्तावेज़ है या नहीं । यह करार ज्ञापन तथा संथा के अन्तर्नियमों के साथ लगाना पड़ेगा । इस से क्या प्रयोजन पूरा होगा ? मैं कहता हूं कि इस से कठिनाइयां होंगी और माननीय मंत्री का कहना है कि उन्हें कोई कठिनाई दिखाई नहीं देती । मैं उन से पूछता हूं कि इस दस्तावेज़ से, जो वैध नहीं है, क्या लाभ होगा ?

श्री एम० सी० शाह : शब्द ये हैं :

> "करार, यदि कोई हो, जोकि समवाय किसी व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय, जो उस का प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त किया जाना हो, या किसी फर्म या निगम निकाय जोकि उस के सचिव या कार्याध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाना हो, के साथ करना चाहता हो ।"

इस में क्या आपत्ति है ? मैं नहीं समझ सकता कि इन शब्दों पर क्या आपत्ति हो सकती है । बाद में वह कह सकते हैं कि सरकार करार और शर्तों में मतभेद न कर दे और फिर वे शर्तें लागू होंगी । इस उपबन्ध में क्या आपत्ति है ?

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : केवल यह कहने का कोई लाभ नहीं कि कोई कठिनाई नहीं होगी । हमें यह मालूम होना चाहिये कि सरकार जब किसी प्रस्थापना का समर्थन करती है तो उस का आशय क्या है । मैं माननीय मंत्री का ध्यान खण्ड ३८ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस के अधीन ज्ञापन या अन्तर्नियमों की प्रतियां सदस्यों को दी जानी हैं । खण्ड ३८(ग) में कहा गया है :

> "करार, यदि कोई हो, जो कम्पनी द्वारा किसी व्यक्ति के साथ किया गया हो या जिस के किये जाने का विचार हो;"

अतः खण्ड ३२ (ग) और खंड ३८(ग) को एक साथ पढ़ा जाना है । माननीय मंत्री यह देखेंगे कि यह करार एक पूर्ण दस्तावेज नहीं हो सकता । यह एक प्रारूप हो सकता है । मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार इस प्रारूप पर क्यों आग्रह करती है। खंड ३३ के अन्तर्गत इन दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जाने के बाद समवाय पंजीबद्ध हो जाता है और यह एक निगम निकाय बन जाता है । इस के बाद करार की अन्तिम अवस्था लागू होगी । सरकार पहले निश्चित कर चुकी है कि अन्तिम करार प्रस्तुत किये जायेंगे । मेरा निवेदन है कि पक्षों में किये गये करारों के अन्तिम दस्तावेज पंजीयक

या अन्य उचित प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जायें।

श्री एम० सी० शाह : यदि मेरे माननीय मित्र भाभा समिति की रिपोर्ट के पृष्ट ३० पैरा ३५ को पढ़ें, तो उन्हें मालूम होगा कि ऐसा उपबन्ध क्यों आवश्यक है। सदन इस बात पर सहमत होगा कि "वह करार जो कि समवाय किसी व्यक्ति के साथ करना चाहता है" अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे संथा के अन्तर्नियम के साथ पंजीबद्ध करने में कोई हानि नहीं होती अतः इस प्रकार का आधारभूत उपबन्ध इस विधेयक में आवश्यक है।

श्री तुलसीदास ने खंड ४३ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या १६० दिया है। इस खंड के अधीन निजी समवाय को जब वह निजी समवाय न रहे विवरण पत्रिका या उसके बदले एक विवरण देना पड़ता है। वह चाहते हैं कि खंड ४३ निकाल दिया जाय।

श्री तुलसीदास : मैं सारे खंड को नहीं निकालना चाहता।

श्री एम० सी० शाह : वह खंड ४३ के उपखंड (५) [(ख) को निकालना चाहते हैं।

अनुसूची २ के बारे हमें याद रखना चाहिए कि यह व्यापक नहीं हैं और कुछ ऐसे तथ्य हो सकते हैं, जो इसमें नहीं लाये गये। अतः मेरे विचार में इस खंड को रखने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री त्रिवेदी ने यह भी कहा है कि खंड ११ में निम्न जोड़ दिया जाय "और ऐसे समवाय द्वारा कोई व्यवहार वाद.... किसी न्यायालय में नहीं होगा..." आदि।

मेरे विचार में ऐसा उपबन्ध करना आवश्यक नहीं है। इन समवायों को अवैध समझते हुए प्रतिषिद्ध किया गया है और यदि प्रवर्तक कोई कार्यवाही करें, तो उनके विरुद्ध व्यवहार वाद नहीं लाया जा सकता यदि ऐसा किया भी जाये, तो न्यायालय यह घोषित करेगा कि यह सब कार्यवाहियां प्रतिषिद्ध और अवैध समवायों ने की है।

श्री त्रिवेदी ने खंड १३ के सम्बन्ध में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। यदि हम उसका संशोधन संख्या १९ स्वीकार कर लें, तो इसका अर्थ यह होगा कि २५,००० रुपये से कम अंश पूंजी से कोई समवाय नहीं बनाया जा सकता। ब्रिटेन के अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध या प्रतिबन्ध नहीं है। हमारा भी इस प्रकार का प्रतिबन्ध रखने का विचार नहीं है। श्री त्रिवेदी ने यह भी सुझाव दिया है कि कोई अंश १० रुपये से कम मूल्य का नहीं होना चाहिये। ब्रिटेन में अंश के मूल्य पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और हम भी अंशों के निगम पर ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते। अंश १ रुपया या २ रुपये के या किसी भी मूल्य के हो सकते हैं। उन्हों ने यह सुझाव भी दिया है कि खंड १३ में एक उपबन्ध होना चाहिये जिस के अनुसार कोई व्यक्ति ५ से कम, या १०० रुपये के कम मूल्य के अंश न ले सकेगा। मेरे विचार में ऐसा प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं है।

श्री त्रिवेदी ने खंड ३२० में यह संशोधन करने के लिये कहा है कि 'अवांछनीय' शब्द के स्थान पर हम निम्न रखें :

> "जबकि यह निहित हो कि समवाय का किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध है" आदि।

हम ने इस बात पर विचार किया था कि क्या हम उन विशिष्ट नामों की सूची बना सकते हैं जोकि अवांछनीय समझे जाते हैं, किन्तु यह सम्भव नहीं था। अतः सरकार ने किसी नाम को अवांछनीय घोषित करने की शक्ति ले ली है। स्वाभाविकतया सरकार

[श्री एस० सी० शाह]

इस पर सावधानी से विचार करेगी । किसी राजनैतिक दल के साथ सम्बन्ध रखने वाले समवायों के बारे में ऐसी कोई शंका नहीं हो सकती । हम ने इन सब संशोधनों पर विचार किया है और मुझे खेद है हम इन में से किसी को स्वीकार नहीं कर सकते ।

श्री अशोक मेहता ने एक नये तरीके की ओर ध्यान दिलाया है और वह यह है कि कुछ समवाय ऐसे विभाग या शाखायें स्थापित कर लेते हैं जिन का समवाय के मुख्य कार्य से सम्बन्ध नहीं होता । सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती है और उस ने कुछ समय से इस पर विचार भी किया है । श्री अशोक मेहता ने जिन पहलुओं का उल्लेख किया है, वे सब सरकार के ध्यान में हैं, किन्तु कोई कार्यवाही करने से पहले, सरकार इस प्रश्न के अन्य पहलुओं पर भी सावधानी से विचार करना आवश्यक समझती है । यद्यपि सरकार यह चाहती है कि कोई समवाय अधिक रुपया कमाने के लिये ऐसे कार्य न करे जिन का समवाय के मुख्य कारबार से सम्बन्ध न हो, साथ ही वह यह भी चाहती है कि उस की किसी कार्यवाही से उचित विनियोग के विकास में बाधा न पड़े । भाभा समिति की राय से समस्या की कठिनाइयों का पता चलता है, किन्तु मैं श्री अशोक मेहता को आश्वासन देता हूं कि उन्हों ने जो प्रश्न उठाये हैं, सरकार उन की उपेक्षा नहीं कर रही है ।

अब मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह सरकारी संशोधनों और उन संशोधनों को जिन्हें सरकार स्वीकार कर चुकी है, स्वीकार करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंडों को क्रमशः मतदान के लिये रखूंगा । यदि कोई उपस्थित सदस्य अपने संशोधन पर आग्रह करते हों, तो बता दें, अन्यथा मैं समझ लूंगा कि वह आग्रह नहीं करना चाहते ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री यू० एम० त्रिवेदी का संशोधन संख्या १८ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड ११ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११ विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई सदस्य खंड १३ के संशोधनों पर आग्रह करता है ? कोई नहीं । अस्तु,

प्रश्न यह है :

"कि खंड १२ से १४ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १२ से १४ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड १५ में श्री सी० डी० देशमुख का संशोधन संख्या ३१४ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ १३, पंक्ति ३६ में, "shall attest the signature" (हस्ताक्षर का साक्षांकण करेगा) शब्दों के पश्चात् "and shall likewise and his address, description and occupation if any" (और उसी प्रकार अपना पता, विवरण तथा व्यवसाय, यदि कोई हो, तो लिखेगा) शब्द रखे जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खंड १५, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १५, संशोधित रूप मे विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १६ से १९ तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १६ से १९ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) का संशोधन संख्या २१ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[संशोधन संख्या २२ पर आग्रह नहीं किया गया ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड २२ पर सरकारी संशोधन संख्या २८८ है ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : गणपूर्ति (कोरम) नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : केवल गणपूर्ति की ही बात नहीं, लोग इस विधेयक में चाव ही नहीं ले रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे वास्तव में अचंभा है । थोड़े से सदस्यों को छोड़ कर लोग इस में चाव ही नहीं ले रहे हैं ।

श्री कामत : मेरा निवेदन है कि अभिसमय असांविधानिक है । मतदान स्थगित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्राविधिक आपत्ति के अतिरिक्त और कोई बात मुझे नहीं दीखती । सभी वर्गों के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं, पूंजीपति, समाजवादी, साम्यवादी, जनसाधारण, सरकार सभी के प्रतिनिधि उपस्थित हैं । अभिसमय मे, जो सितम्बर १९५४ में स्वीकार किया गया था, यह कहा गया है कि जब सभा ११ म० पू० से ५ म० प० तक मध्याह्न-भोजन के समय व्यवधान के बिना समवेत होगी, तो मतदान की गणना न की जायेगी । मौखिक मतदान लेने पर यदि किसी ने उसे चुनौती दी, तो गणना न की जायेगी, बल्कि उस प्रश्न का निर्णय २.३० म० प० तक के लिये स्थगित कर दिया जायेगा ।"

में मौखिक मत ले रहा हूं यदि किसी ने आपत्ति की तो इसे बाद में निर्णय के लिये स्थगित कर दिया जायेगा ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १६, पंक्ति ३२ में, "it shall be punishable" (वह दण्डनीय होगा) शब्दों के स्थान पर "the company and every officer, who is in default, shall be punishable" (समवाय और प्रत्येक पदाधिकारी जो चूक करे, दण्डनीय होगा) शब्द रखे जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : नया खंड २३-क । प्रश्न यह है :

पृष्ठ १६, पंक्ति ४७ के पश्चात्, खंड २३ के पश्चात्, निम्न नया खंड २३-क रखा जाय—

"23A Change of name of existing private limited companies.

(1) In the case of a company which was a private limited company immediately before the commencement of this Act, the Registrar shall enter the word "Private" before the word 'Limited' in the name of the company upon the register and shall also make the necessary alterations in the certificate of incorporation issued to the company and in its memorandum of association.

(2) Sub-Section (3) of section 23 shall apply to the change of name under sub-section (1), as it applies to a change of name under Section 21."

("२३-क वर्तमान निजी सीमित समवायों का नाम परिवर्तन"

(१) ऐसे समवाय के विषय में, जो इस अधिनियम के आरम्भ से तुरन्त पूर्व निजी सीमित समवाय था, पंजीयक, पंजी में समवाय के नाम में 'सीमित" से पूर्व "निजी" शब्द रख देगा और समवाय को दिये गये निगमन के प्रमाण-पत्र में तथा संथा के सीमा नियमों में आवश्यक परिवर्तन भी कर देगा ।

(२) धारा २३ की उपधारा (३) की उपधारा (१) के अधीन किये गये नाम परिवर्तन पर लागू होगी जैसे कि वह धारा २१ के अधीन किये गये नाम परिवर्तन पर लागू होती है")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड २३क विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड २३-क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड २४ में यू० एम० त्रिवेदी का संशोधन संख्या २३ उन के आग्रह करने पर मौखिक मतदान के लिये रखा गया । आपत्ति होने पर खंड २४ और संशोधन संख्या २३ को स्थगित कर दिया गया ।)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २५ से २८ तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २५ से २८ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड २९ पर सरकारी संशोधन संख्या ३१५ लिया जायेगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १९, पंक्ति ३३ और ३४ में "shall attest the signature" (हस्ताक्षर का साक्षांकण करेगा) शब्दों के पश्चात् "and shall likewise add his address, description and occupation if any" (और उसी प्रकार अपना पता, विवरण तथा व्यवसाय यदि कोई हो, तो लिखेगा) शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३० और ३१ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३० और ३१ विधेयक में जोड़ दिये गये।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ३२ का संशोधन संख्या १५७ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।]

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ३२ में श्री कामत का संशोधन संख्या ३५३ मौखिक मतदान के लिये रखा गया। आपत्ति होने पर संशोधन संख्या ३५३ और खंड ३२ को स्थगित कर दिया गया।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३३ से ३७ तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३२ से ३७ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

[खंड ३८ के संशोधन संख्या १५८ और १५९ पर आग्रह नहीं किया गया।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३८ विधेयक में जोड़ दिया गया।

[खंड ३९ के संशोधन संख्या ७० पर आग्रह नहीं किया गया।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३९ विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४० से ४२ तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४० से ४२ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ४३।

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ २४, उपखंड ३, पंक्ति २५ और २६ में, "five hundred rupees" (पांच सौ रुपये) शब्दों के पश्चात् "for everyday during which the default continues" (प्रत्येक दिन के लिये जब तक चूक जारी रहे) शब्द रखे जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा संशोधन संख्या ७१ और १६० मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*"कि खंड ४३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[खंड ४४ के संशोधन पर आग्रह नहीं किया गया ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ४५ का संशोधन संख्या ३७२ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खंड ४५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[खंड ४६ के संशोधन पर आग्रह नहीं किया गया ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ४८ ।

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ २६, उपखण्ड (४) पंक्ति २० में "securities" ("प्रतिभूतियां") शब्द से पहले "other" ("अन्य") शब्द हटा दिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४८, सशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४८, सशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ५० ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २७, पंक्ति ३४ में,

(१) "on a company" (समवाय पर) शब्दों के पश्चात् "or an officer thereof" (अथवा उस के कोई पदाधिकारी) शब्द रखे जायें ।

(२) "sending it to its registered office" (उसके पंजीबद्ध कार्यालय में भेज कर) शब्दों के स्थान पर "sending it to the company or officer at the registered office of the company" (समवाय को या समवाय के पंजीबद्ध कार्यालय में किसी पदाधिकारी को भेज कर) शब्द रखे जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*खण्ड ४३ उपखण्ड (४) में 'विवरण' के पूर्व, 'गलत' शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप में हटा दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५०, संशोधित रूप में, विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*"कि खंड ५१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ५२ ।

श्री झुनझुनवाला : अपने संशोधन संख्या ३७४ के स्थान पर मैं निम्न संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं :

कि पृष्ठ २७, पंक्ति ४६ में, "notice" (सूचना) के पश्चात् निम्न अंश रखा जाय :

"Provided that where a member has intimated to the company in advance that notices should be sent to him under a certificate of posting or by registered post with or without acknowledgement due and has deposited with the company a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the member"

("परन्तु जब एक सदस्य ने समवाय को पहले से ही बता दिया है कि उसे डाक में छोड़ने के प्रमाण-पत्र या प्राप्ति स्वीकृति-देय सहित या रहित रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचना दी जाये और इस के व्यय के लिये आवश्यक पर्याप्त राशि समवाय को दे रखी है, तो सूचना दिया जाना तब तक पूरा न माना जायेगा, जब तक इसे सदस्य द्वारा बताई गई रीति से न भेजा जाये ।")

श्री एम० सी० शाह : मैं इसे स्वीकार कर लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २७, पंक्ति ४६ में, "notice" (सूचना) के पश्चात् निम्न अंश रखा जाय :—

"Provided that where a member has intimated to the company in advance that notices should be sent to him under a certificate of posting or by registered post with or without acknowledgement due and has deposited with the company a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the member"

("परन्तु जब एक सदस्य ने समवाय को पहले से ही बता दिया है कि उसे डाक में छोड़ने के प्रमाण-पत्र के अधीन या प्राप्ति स्वीकृति-देय सहित या रहित रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचना दी जाये और इस के व्यय के लिये आवश्यक पर्याप्त राशि समवाय को दे रखी है, तो सूचना दिया जाना तब तक पूरा न माना जायेगा, जब तक इसे सदस्य द्वारा बताई गई रीति से न भेजा जाये ।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[दूसरे संशोधन पर आग्रह नहीं किया गया ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५२, सशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*खण्ड ५१ में 'उसको' शब्द प्रारम्भ में जहां आया है, वह अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप में हटा दिया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

खंड ५२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*"कि खंड ५३ से ६३ तक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५३ से ६३ तक विधेयक मे जोड़ दिये गये ।"

[खंड ६४ के संशोधन पर आग्रह नहीं किया गया ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६५ और ६६ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६५ और ६६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ६७ में श्री कामत का संशोधन संख्या ३५४ मतदान के लिये रखा गया । आपत्ति होने पर संशोधन संख्या ३५४ और खंड संख्या ६७ को स्थगित कर दिया गया ।]

खण्ड ६८ से ८० तक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा खंड ६८ से ८० तक के सम्बन्ध में चर्चा आरम्भ करेगी । इन के लिये ७ १/२ घंटा दिया गया है । माननीय सदस्य इन के सम्बन्ध में अपने अपने संशोधनों की संख्यायें सचिव को दे दें ।

श्री एम० सी० शाह : खंड ७५ के सम्बन्ध में सरकारी संशोधनों की संख्यायें २९३, २९४, २९५, २९६, २९७ और २९८ हैं ।

संयुक्त समिति ने सुझाव दिया था कि सरकार ऋणपत्रों के जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिये जाने वाले कमीशन की उच्चतम सीमा निर्धारित करने की वांछनीयता पर विचार करे । सरकार ने इस पर विचार किया है और उस की राय यह है कि यदि उच्चतम सीमा रखी जानी है, तो ऋणपत्रों के मामले में २ १/२ प्रतिशत पर्याप्त होगा ।

यह अधिक महत्व की बात नहीं है । इस के दो कारण हैं । (१) ऋणपत्रों के सम्बन्ध में दायित्व ग्रहण के लिये सामान्यतया कोई कमीशन नहीं दिया जाता और (२) पूंजी निर्गम नियंत्रण आदेश के अधीन सरकार को न केवल दायित्व-ग्रहण कमिशन बल्कि निर्गम मूल्य पर भत्ते या बट्टे (डिस्काउन्ट) को भी विनियमित करने का अधिकार है । वास्तव में मंजूरियां देने से पहले निर्गम मूल्य पर अवश्य विचार किया जाता है ।

जैसाकि संयुक्त समिति के सदस्यों ने कहा था, हम ने इस प्रश्न पर विचार किया है और हम यह संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री तुलसीदास : खंड ६८ के सम्बन्ध में मेरे दो संशोधन हैं अर्थात् संशोधन संख्या १६३ और १६४ । वर्तमान अधिनियम में यह उपबन्ध है कि न्यूनतम प्रार्थित पूंजी प्राप्त करने की अवधि १८० दिन है । इस विधेयक में इसे घटा कर १२० दिन कर दिया गया है । मेरा निवेदन है कि भारत जैसे देश में जहां पूंजी बाजार पूरी तरह विकसित नहीं हुआ न्यूनतम प्रार्थित पूंजी इकट्ठा करने की अवधि काफी होनी चाहिये । अपने संशोधन के द्वारा मैं ने इस अवधि

*खण्ड ५६ के पृष्ठ ३०, पंक्ति १० में अध्यक्ष के आदेशानुसार 'अथवा' शब्द के स्थान पर प्रत्यक्ष गलती के रूप में 'और' शब्द रखा गया ।

को १८० दिन तक बढ़ाने का प्रयत्न किया है। १२० दिन की अवधि से नये उपक्रमियों को कठिनाई होगी। भारत जैसे देश में १८० दिन की अवधि रखना आवश्यक है।

अब मैं खंड ६९ के सम्बन्ध में अपने संशोधन संख्या १६५ को लेता हूं। यह भी उन संशोधनों की तरह है जोकि मैं ने खंड ३८ और ६४ के बारे में दिये थे और जो माननीय मंत्री ने स्वीकार नहीं किये थे। इस में भी विवरण पत्रिका में किसी चीज के रह जाने का प्रश्न उठाया गया है। मैं आप का ध्यान अनुसूची २ की ओर दिलाता हूं जिस में बताया गया है कि विवरण-पत्रिका में विस्तृत जानकारी देनी होगी। मैं नहीं समझ सका कि और कौन सी जानकारी की आवश्यकता पड़ सकती है। अनुसूची २ में निर्धारित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद भी सरकार समझती है कि कोई चीज रह जायेगी। मैं नहीं समझ सका कि यह क्या चीज होगी। माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करें।

अब मैं खंड ७२ के बारे में संशोधन संख्या १७० को लेता हूं। उपखंड ५ को छोड़ कर शेष सारे खंड में 'प्रदान की गई' (granted) या 'प्रदान न की गई' (not granted) शब्द प्रयोग किये गये हैं। केवल उपखंड ५ में 'अस्वीकृत' (refused) शब्द प्रयोग किया गया है। मेरा सुझाव है कि अन्य उपखंडों की तरह इस में भी 'प्रदान न की गई' (not granted) शब्द होने चाहियें, ताकि सारे खंड में एक ही प्रकार के शब्द हों।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सब स्थानों पर 'अस्वीकृत' (refused) शब्द रखा जा सकता है।

श्री एम० सी० शाह : मैं इसे उपाध्यक्ष महोदय पर छोड़ता हूं। यदि वह 'प्रदान न की गई' (not granted) शब्द चाहते हैं, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे विचार में 'अस्वीकृत' (refused) अधिक अच्छा होगा। क्योंकि इस का अर्थ यह होगा कि निर्णय कर लिया गया है और उसे आगे विचारार्धीन नहीं लाया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव का सुझाव स्वीकार करता हूं।

श्री तुलसीदास : मैं अपना संशोधन संख्या १७० नहीं प्रस्तुत करूंगा। इस के पश्चात् खण्ड ७९ के सम्बन्ध में मेरा संशोधन संख्या १७३ है।

मूल विधेयक में यह व्यवस्था थी कि समवाय की सम्पत्ति की विक्रय आय में से अधिमान अंशों का निष्क्रयण किया जा सकता है। संयुक्त समिति ने अब 'समवाय की विक्रय आय' (सेल प्रोसीड्स आफ दि कम्पनी) निकाल दिये हैं जिस का तात्पर्य यह है कि अधिमान अंशों का निष्क्रयण समवाय की सम्पत्ति की विक्रय आय से नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का निष्क्रयण राजस्व में से किया जा सकता है। माननीय सदस्य सम्भवतः दोनों में से कराना चाहते हैं।

श्री तुलसीदास : मैं कहता हूं कि इस का निष्क्रयण दोनों में से होना चाहिये।

जब समवाय की सम्पत्ति का विक्रय आय में से अधिमान अंशों का निष्क्रयण होता है, तो समवाय उतनी ही राशि अपनी आस्तियों और देय धन में से कम कर सकती है, जो समवाय के लिये लाभदायक होता है क्योंकि सम्बन्धित सम्पत्ति समवाय के व्यापार के काम में नहीं आ सकती है। समवाय के स्वविवेक पर यह व्यर्थ का प्रति-

[श्री तुलसी दास]

बन्ध है और इसी को दूर करने के लिये मैं ने अपना संशोधन रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे ये निष्क्रयण समवाय की आस्तियों के किसी अंश को बेच कर नहीं चाहते हैं ।

श्री तुलसीदास : मैं इस प्रकार के प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं समझता हूं । प्रत्येक नये समवाय में पूंजी निर्माण अथवा कर्मवाहक पूंजी के लिये समवाय की आवश्यकतानुसार या तो उस में अधिमान अंश होते हैं और या साधारण अंश । जब समवाय के पास सम्पत्ति हो तो अंशों का निष्क्रयण क्यों न किया जाये ? आखिर समवाय के दायित्व में कमी हो जाती है । इस के लिये अनुमति न देने का कारण मेरी समझ में नहीं आता । वर्तमान अधिनियम में यह उपबन्ध है किन्तु चूंकि इंग्लिस्तान में इस अधिनियम के अधीन अनुमति नहीं दी जाती, इसी कारण यहां भी हम उसी का अनुसरण कर रहे हैं । भाभा समिति ने भी इस विषय में कोई सिफारिश नहीं की ।

उपाध्यक्ष महोदय : समवाय बनने के आरम्भ में अधिमान अंश खरीदते हैं । मान लीजिये कि कुछ अंशधारी सम्पत्ति के कुछ भाग को बेच कर अधिमान अंशों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्या आप का मतलब है कि प्रारम्भ में जो कुछ लाभ कमाने की आशा से आये थे उन्हें यों ही निबटा दिया जाये ?

श्री तुलसीदास : निष्क्रयण तभी हो सकता है जबकि वह निष्क्रयण योग्य होगा । निष्क्रयण योग्य होने पर वह एक विशेष प्रकार का ऋण हो जाता है । कुछ सम्पत्ति को बेच कर निष्क्रयण हो सकता है तो उस के लिये अनुमति क्यों न दी जाये ? यदि उस के पास धन हो तो उसे निष्क्रयण का अधिकार प्राप्त है क्योंकि उस का उतनी ही पूंजी दायित्व भी कम हो जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु जब केवल निष्क्रयण के लिये ही विक्रय किया जाय तो क्या होगा ?

श्री तुलसीदास : तब भी ऐसा करने मे क्या हानि है ? साधारण अंशधारी जोखिम उठाता है । लाभ में अधिमान अंशधारी को पहले लाभांश मिलता है और साधारण अंशधारी को बाद में ।

उपाध्यक्ष महोदय : मान लीजिये इस का उल्टा हो जाता है, तो उन्हें अधिक मिलने की सम्भावना रहती है ।

श्री तुलसीदास : उन्हें अधिक नहीं मिल सकता । यह तो एक प्रकार का ऋण होता है जिस को बाद में लौटा देना पड़ता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि बाजार में व्याज की दर गिर जाये तो इन्हें फिर कौन पूछेगा ।

श्री तुलसीदास : क्या आप चाहेंगे कि जब समवाय के पास सम्पत्ति हो तब भी वह ऋण ले कर ही कार्य करे, और विशेष कर तब जबकि सम्पत्ति से लाभ न मिलता हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर इंग्लिस्तान के लोग ऐसा क्यों नहीं करते ?

श्री तुलसीदास : इस का कारण मैं भी नहीं जानता । भाभा समिति ने भी इस विषय में कोई सिफारिश नहीं की है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या साधारण बैठक की मंजूरी बिना भी सम्पत्ति बेची जा सकती है ?

श्री एम० सी० शाह : इस विषय पर संयुक्त समिति में चर्चा हुई थी । श्री तुलसीदास ने ये ही तर्क वहां भी दिये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : संयुक्त समिति में इस सभा के सारे सदस्य तो थे नहीं । इस कारण माननीय मंत्री को जब भी सन्देह उत्पन्न हो तो इस सभा को सन्तुष्ट करना पड़ेगा ।

श्री तुलसीदास : जब कि इस से अंशधारियों की कोई हानि नहीं होती तो फिर समवाय के इस स्वविवेक पर नियंत्रण लगाने से क्या लाभ ?

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु क्या यह ऋण से भी पहले दिया जा सकता है ? पहले प्रभारित ऋण का भुगतान किया जाता है, फिर साधारण ऋण का, इस के बाद अधिमान अंशधारी का और तत्पश्चात् साधारण अंशधारी का नम्बर आता है ।

श्री तुलसीदास : आप का कथन ठीक हो सकता है किन्तु समवाय ऋण से मुक्त होना चाहेगा । चाहे कैसी भी स्थिति हो उन को निश्चित राशि ही मिलती है, अधिक उन्हें नहीं मिल सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : सच पूछा जाय तो इन लोगों को काफी लाभ मिलता है । मान लीजिये कि बाजार में व्याज की दर गिर जाती है तो फिर इन साधारण अंशधारियों को सम्पत्ति का कुछ अंश बेचने की अनुमति क्यों दी जाय ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी : इस सम्बन्ध में तो आप पहले ही और अंश जारी करने और फिर उन्हें चुकाने की इजाजत दे रहे हैं । इस से तो फिर वही चीज हो जायेगी ।

श्री तुलसीदास : कुछ भी हो समवाय उधार ले कर उस को लौटा सकता है । वे गई पूंजी ले कर उस का भी भुगतान कर सकते हैं । इस पर नियंत्रण लगाने से क्या लाभ होगा ?

श्री के० के० बसु : यदि इस में किसी ने बेईमानी की तो क्या होगा ?

श्री तुलसीदास : यह ईमानदारी और बेईमानी का प्रश्न न हो कर किसी ऋण के निष्क्रयण के लिये वैधानिक उपबन्ध न करने का प्रश्न है । इस का वापस भुगतान सम्पत्ति की विक्रय आय में से करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : खण्ड ७५ में सरकार द्वारा कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया गया है । इस का विचार अंशों अथवा ऋणपत्रों के सम्बन्ध में दायित्व-ग्रहण करने वालों के कमीशन का भुगतान करने का है । अब सरकार ने ऋणपत्रों के सम्बन्ध में दायित्व ग्रहण करने वालों को कुछ कमीशन देने का उपबन्ध कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था । इस कमीशन को राशि में अन्तर रखने का कोई औचित्य मेरी समझ में तो आता नहीं ।

५ प्रतिशत दर बहुत ऊंची रखी गई है जब की बाजार में एक साधारण साहूकार को १ या १ $^{1}/_{4}$ प्रतिशत से अधिक कमीशन नहीं मिल पाता । जबकि मार्ग में इतनी रुकावटें हैं तो फिर उन्हें ५ प्रतिशत कमीशन नहीं दिया जाना चाहिये । ५ प्रतिशत अधिकतम राशि निश्चित की गई है । परन्तु ५ प्रतिशत की अधिकतम राशि भी नहीं होनी चाहिये ऋण पत्रका जारी करना भी एक प्रकार का ऋण लेना ही होता है और उसमें आप केवल २ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत कमीशन दे रहे हैं जिसका तात्पर्य यह होगा कि आप उस पूंजी को प्राप्त करने के लिये, जो अनिवार्य है, कुछ बट्टा दे रहे हैं जहां पर अंश खरीदने के लिये कुछ आकर्षण है, उनको आप ५ प्रतिशत कमीशन दे रहे हैं ।

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

मैं यह तर्क नहीं समझ पाता । यह बड़ा गलत सिद्धान्त है कि साधारण अंशों को जारी करने के लिये अधिक कमीशन दिया जाय और ऋणपत्रों के लिये कम । अतः मैं निवेदन करूंगा कि साधारण अंशों में २½ प्रतिशत तक और ऋणपत्रों में ५ प्रतिशत तक कमीशन होना चाहिये ।

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पूंजी निर्गम अधिनियम के अन्तर्गत आता है । इस के अतिरिक्त यह दिया जाना वैसे भी ज़रूरी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऋणपत्रधारियों की अंशधारियों से अधिक सुरक्षा रहती है इस कारण उसे कमीशन मिलता है । चूंकि ऋणपत्रधारी को कुछ और मिलने का अवसर रहता है जो इसलिये साधारण अंशधारी से उसे कम जोखिम रहता है । जब समवाय अंश-धारी करने की घोषणा करता है, तो हो सकता ह कि अंशों को इतनी आसानी से न लिया जाये ।

श्री के० के० बसु : क्या यह अधिकतम राशि है ?

श्री एम० सी० शाह : हां, यह अधिकतम राशि है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : अधिकतम कमीशन की राशि तय की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को यह कहने का अधिकार प्राप्त है कि ५ प्रतिशत अधिकतम कमीशन है और किसी विशेष मामले में ३ प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता ।

श्री एम० सी० शाह : मैं समझता हूं कि यह अधिकार हमें पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम के अधीन प्राप्त है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में ठीक ठाक स्थिति का पता लगायें ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : यह विधि का एक साधारण सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को यह अनुमति होनी चाहिये कि वह जब भी चाहे ऋण का भुगतान कर सके । इस मामले में, अधिमान अंश का प्रकार का ऋण है, इसी कारण अधिमान अंश को अधिक लाभांश मिलता है । यदि समवाय को कुछ समय पश्चात् कम व्याज पर धन मिल सकता है तो वह इन से ऊंची दर पर क्यों ले ? मेरी समझ में इस सुझाव का तर्क नहीं आता कि अंशों का निष्क्रयण केवल लाभ में से ही किया जा सकता है । हो सकता है कि लाभ इतना अधिक न हो कि इन अंशों का निष्क्रयण किया जा सके । उपबन्ध यह किया गया है कि इन अंशों का निष्क्रयण और अंश जारी कर के किया जा सकता है । ऐसा करना तो पूंजी में वृद्धि कर के उन को भुगतान कर देना है । यदि ऐसा है तो फिर कुछ सम्पत्ति बेच कर भुगतान क्यों नहीं करने दिया जाता ? साथ ही धारा ७९(३) के अधीन समवाय द्वारा अधिमान अंशों के निष्क्रयण से यह नहीं समझा जायेगा कि उस की अंश पूंजी में कमी हो रही है । पूंजी में कमी तो तब भी नहीं होगी जब भुगतान समवाय की सम्पत्ति बेच कर किया जाये । मुझे यह कहना है कि श्री तुलसीदास ने बड़ी उचित बात कही है और सरकार को इस उपबन्ध को स्वीकार करने में अपनी प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कमी नहीं समझनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने अन्यथा ग्राह्य होने पर निम्न संशोधन के प्रस्तुत करने का संकेत किया है :—

खंड संख्या	संशोधन संख्या
६८	१६३, १६४
६९	१६५
७१	३८५, ३८६
७४	३८७, १००
७५	२९३ (सरकारी), २९४ (सरकारी), २९५ (सरकारी), २९६ (सरकारी) २९७ (सरकारी), २९८ (सरकारी) ।
७७	३८८
७८	३८९
७९	१७३

निम्नांकित सदस्यों द्वारा निम्नांकित खंडों पर निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत किये :

सदस्य का नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री तुलसीदास .	६८	१६३, १६४
श्री तुलसीदास	६९	१६५
श्री के० के० बसु	७१	३८५, ३८६
श्री के० के० बसु	७४	३८७
श्री राने (भुसावल)	७४	१००
श्री के० के० बसु	७७	३८८
श्री के० के० बसु	७८	३८९
श्री तुलसीदास	७९	१७३

खंड ७५—कुछ कमीशन आदि देने की शक्ति

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ ४२, उपखंड (१), पंक्ति ४५ और ४७ में, share in (में अंश) शब्दों के स्थान पर, दोनों ही स्थानों पर जहां वे आते हैं share in or debenture of (में अंश या के ऋणपत्र) शब्द रखे जायें ।"

(२) "पृष्ठ ४३, उपखंड (१), पंक्ति २ में, five per cent (पांच प्रतिशत) शब्दों के पहले in the case of shares (अंशों के मामले में) शब्द रखे जायें ।"

(३) पृष्ठ ४३, पंक्ति ३ में, whichever is less (जो भी कम हो) शब्दों के बाद "and in the case of debentures, two and a half per cent of the price at which the debentures are issued or the amount or rate authorised by the articles, whichever is less."

[और ऋणपत्रों के विषय में, जिस मूल्य पर ऋणपत्र दिये गये हों, उस के या सीमा नियमों द्वारा अधिकृत कराई गई दर या राशि के ढाई प्रतिशत पर, जो भी कम हो]

(४) पृष्ठ ४३, पंक्ति ६, ८, १४, १६, २० में, इन पंक्तियों में आने वाले शब्द share (अंशों) के स्थान पर shares or debentures (अंशों या ऋणपत्रों) शब्द रखे जायें ।

(५) पृष्ठ ४३, पंक्ति २४ और २६ में shares in (में अंश) शब्दों के स्थान पर, दोनों ही स्थानों पर, जहां वे आते हैं, shares in or debentures of (में अंश या के ऋणपत्र) शब्द रखे जायें ।

(६) पृष्ठ ४३, पंक्ति २७, ३६ और ३७-३८ में,

इन पंक्तियों में आने वाले शब्द Shares or money (अंश या धन) के स्थान पर Shares, debentures or money (अंश, ऋणपत्र या धन) शब्द रखे जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब ये सब संशोधन सभा के सम्मुख हैं ।

श्री के० के० बसु : मैं अपने भाषण में पहले श्री तुलसीदास और श्री त्रिवेदी की बात का उत्तर देना चाहूंगा । उन्हों ने अधिमान अंशधारी को प्रत्येक दशा में ऋण-पत्र अंशधारी के समान स्तर पर रखने की चेष्टा की है । हम जानते हैं कि ऋणपत्र अंशधारी की स्थिति कहीं अधिक सुरक्षित होती है और उसे अधिक अधिकार रहते हैं । कभी-कभी ये लोग अपने न्यासी नियुक्त करवा देते हैं और बन्धक पत्रों आदि में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर वे आदाता (रिसीवर) नियुक्त करवा सकते हैं । हो सकता है कि समनाम को आरम्भ के छः या सात वर्षों में कुछ भी लाभ न हो किन्तु बाद में लाभ की सम्भावना होने पर और अधिमान अशधारियों को लाभांश मिलने की आशा होने पर, अन्य अंशधारियों का बहुमत सम्पत्ति के कुछ अंश को बेच कर अधिमान अंशधारियों को भुगतान करने का निश्चय करें । इस का परिणाम यह हो सकता है कि अधिमान अंशधारियों को अपने अंशदान से लाभ न मिल सके । इस कारण शब्दों को निकाल देने के लिये कहा गया है ।

कभी-कभी कोई समवाय जिस में पहले ही अधिमान अंश अधिक हैं, नये अंश जारी कर देता है । इस उपबन्ध से ऐसे समवायों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा वरन् यह तो केवल उन समवायों से बचने के लिये है जो समवाय द्वारा लाभ होने की आशा में भी अधिमान अंशधारियों को उन का उचित अंश न देना चाहते हों ।

२ १/२ और ५ प्रतिशत कमीशन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि धन की व्यवस्था करने वालों को कुछ न कुछ प्रोत्साहन देना आवश्यक है । मैं ने संशोधन संख्या ३८५, ३८७, ३८८ और ३८९ प्रस्तुत किये हैं ।

विधेयक की धारा ७१ के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि "अपनी इच्छा से" (wilfully) शब्द को निकाल दिया जाय और "जान बूझ कर" (knowingly) रखा जाये ।

मेरे संशोधन संख्या ३८७ और ३८८ अधिलाभांश अंश (बोनस शेयर) उपबन्ध को हटा देने के सम्बन्ध में है । हम नहीं चाहते कि इस देश की संविधि में अधिलाभांश अंश चलता रहे ।

मैं ने देखा है कि कुछ समवाय लाभ को लाभांश के रूप में न बांट कर संचित करते जाते हैं और बहुत दिनों बाद उस पूंजी को अंशधारियों को अधिलाभांश अंश के रूप में बांट देते हैं । अधिलाभांश अंश पर कर लगाने के विषय में निर्णय न होने से राज्य-कोष को हानि होती है । अधिलाभांश अंश जारी होने के परिणामस्वरूप कभी-कभी किसी समवाय के पास अधिलाभांश अंशों को मिला कर १,५०,००,००० रुपये तक की राशि संचित हो जाती है । अतः हम अधिलाभांश अंश का सिद्धान्त रूप में विरोध करते हैं और मैं चाहता हूं कि इन दो खण्डों में से अधिलाभांश अंश से सम्बंधित उपबन्ध को हटा दिया जाये । किसी समवाय को आरम्भ करते समय तो यह कुछ विशेष कारणों से, उदाहरणतया एकस्व तथा कुछ प्रकार के दक्ष कर्मचारी प्राप्त करने के लिये, जारी किये जा सकते हैं ; परन्तु एक बार जब समवाय चल निकलता है तो इस उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं रहती । जहां तक मुझे ज्ञात है, कोई भी समवाय ऐसा नहीं कर रहा है । जब लाभ

बांटे जाते हैं और लाभांशों का भुगतान किया जाता है तो स्वभावतः कर भी अधिक दिया जाना होता है । इसी लिये समवाय बिना बंटा लाभ इकट्ठा करते रहते हैं और कुछ समय बाद उसे अधिमान अंशों में परिणत कर लेते हैं ।

हम ने संशोधन संख्या ३८९ खण्ड ७८ के बारे में रखा है । हम चाहते हैं कि वह उपबन्ध निकाल दिया जाये जिस के द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह किसी विशेष मामले में किसी अंश के १० प्रतिशत से अधिक बट्टे (डिस्काउन्ट) पर जारी किये जाने की इजाजत दे सकती है ।

एक और संशोधन संख्या ३८६—श्री नानादास ने रखा है जिस में कहा गया है कि "सब बांट प्रार्थित पूंजी का लिया जाना बन्द होने के बाद एक सप्ताह के भीतर कर दी जायेंगी" इस प्रश्न पर भाभा समिति ने भी विचार किया था । उक्त समिति के समक्ष रखे गये साक्ष्य में कहा गया था कि बांट (अलाटमेंट) करने में प्रायः देर लग जाती है । अतएव हम ने सुझाव दिया है कि बांट प्रार्थित पूंजी के लिये जाने के बन्द होने के बाद एक सप्ताह के भीतर कर दी जाये । यदि सरकार समझती है कि इस समय-सीमा को स्वीकार करने में उसे कठिनाई होगी तो वह इसे एक सप्ताह से बढ़ा कर दो सप्ताह कर सकती है ।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन सब बातों पर विचार कर के मेरे संशोधन स्वीकार करे ।

श्री झुनझुनवाला : अधिमान-अंशों के सम्बन्ध में मैं श्री तुलसीदास ने जो कुछ कहा उस से सहमत हूं । श्री बसु ने कुछ तर्क प्रस्तुत किये हैं और इन अधिमान अंशधारियों की तुलना ऋणपत्र-धारियों से की है । उन का कहना है कि अधिमान-अंशधारी को कुछ जोखिम रहती है और ऋणपत्र-धारी को नहीं । मेरा कहना यह है कि बावजूद संरक्षणों के ऋणपत्रधारियों को भी कुछ जोखिम उठानी ही पड़ती है । यदि किसी समवाय की सम्पत्ति का मूल्य गिर जाता है तो ऋणपत्रधारी को नुकसान पहुंचता है । इसी प्रकार अधिमान-अंशधारियों को भी कोई न कोई ज़ोखिम रहती है। जब वे अंश ऋण ले कर या किसी अन्य साधन द्वारा चुकाये जा सकते हैं तो क्या कारण है कि वे सम्पत्ति बेच कर न चुकाये जायें । यदि सम्पत्ति का मूल्य गिर रहा हो और कार-बार का भविष्य उज्ज्वल न दिखाई दे रहा हो तो यह चीज स्वयं अधिमान-अंशधारियों के हित में होगी कि उन के अंश समवाय की आस्तियां बेच कर चुका दिये जायें ।

श्री सी० डी० देशमुख : वर्तमान अधि-नियम में सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त धन में से अंश चुकाये जाने का उपबन्ध है । परन्तु ब्रिटिश विधि (धारा ५८) में इस का उप-बन्ध नहीं है और अब हम ने ब्रिटिश विधि का अनुसरण किया है ।

श्री झुनझुनवाला : मैं उस के कारण जानना चाहता हूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : 'निष्क्रयण' 'पूंजी कम करने' में अन्तर है। इस में एक उपबन्ध है जिस में कहा गया है कि निष्क्रयण को पूंजी कम करना नहीं समझा जायेगा । ब्रिटेन में इस सम्बन्ध में परस्पर विरोधी निर्णय दिये गये हैं । एक बार यह निर्णय दिया गया कि निष्क्रयण और पूंजी कम करना एक ही चीज है । बाद में एक और निर्णय किया गया जिसमें यह कहा गया कि निष्क्रयण को पूंजी कम करना नहीं समझा जायेगा । यह न केवल समवाय के हित का ही प्रश्न है बल्कि अंशधारियों के हित का भी है ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

दूसरे शब्दों में, यदिकोई आशावादी व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में अंश पूंजी एकत्रित कर लेता है और बाद में वह यह महसूस करता है कि इतनी पूंजी की आवश्यकता नहीं है तो वह इस उपबन्ध के द्वारा अपनी पूंजी कम कर सकता है । इस खंड का प्रयोजन यह है कि एक ऋण के स्थान पर दूसरा ऋण लिया जा सके । उदाहरणार्थ, मान लीजिये व्याज की दर बढ़ जाती है । यदि समवाय की साख उस की स्थापना के समय से काफ़ी बढ़ गई है तो वह ५ प्रतिशत व्याज वाले अधिमान अंशों के स्थान पर ४ प्रतिशत व्याज वाले अधिमान अंश जारी कर सकता है । सरकार तथा संयुक्त समिति ने इस विषय में इंग्लिश अधिनियम का अनुसरण इन्हीं बातों से प्रभावित हो कर किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे आस्तियों में से चुकाये जा सकते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : वे लाभ में से या रक्षित निधि में से चुकाये जा सकते हैं, परन्तु पूंजी में से नहीं चुकाये जा सकते क्योंकि उस का अर्थ तो पूंजी कम करना होगा जिस के लिये एक अन्य उपबन्ध है । जिस में ऐसा करने के लिये मंजूरी ली जाने की अपेक्षा है । इसीलिये हमने सोचा कि हम 'निष्क्रयण' तथा 'पूंजी कम करना' में जो भेद है, उस पर जोर दें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे खेद है कि मैं माननीय वित्त मंत्री के तर्क से सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं । इस में एक उपबन्ध है कि इस धारा के अनुसार समवायों द्वारा अधिमान अंशों के मोचन से अंश पूंजी में कमी करना नहीं समझा जायेगा ।

जहां तक अंश पूंजी में कमी किये जाने का सम्बन्ध है, यह इस खंड से निश्चित हो जाता है । अधिमान अंश एक प्रकार का ऋण होता है जिसका किसीभी समय भुगतान किया जा सकता है । इसलिये यदि ऐसा करना समवाय के हित में हो तो अपनी बेकार की सम्पत्ति को बेच कर अपने दायित्व से मुक्ति पाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । यह तो ठीक है कि अब समवाय की कोई भी सम्पत्ति सामान्य बैठक की अनुमति के बिना नहीं बेची जा सकती है । यदि सामान्य बैठक बेकार की सम्पत्ति को बेच कर इस दायित्व से मुक्त होना अधिक पसन्द करे तो इस में क्या हानि है । प्रश्न केवल यही है कि इस दायित्व को समाप्त करना समवाय के हित में होगा अथवा नहीं । सगवाय के मालिक सामान्य अंशधारी होते हैं, अधिमान अंशधारियों को लाभांश के मामले में वरीयता दी जाती है । अतः हमें ऐसा कोई नियम नहीं बनाना चाहिये जिस से कि समवाय को अपने हित की बात सोचने से रोका जाये । अतः मेरा विचार है कि यह संशोधन ठीक है और स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह कहना पूर्ण रूप से ठीक नहीं है कि अधिमान अंशधारी समवाय के स्वामी नहीं होते हैं । यह स्थिति इसी विधेयक के कारण उत्पन्न हुई है । इस से पूर्व अधिमान अंशधारियों को मतदान में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था और हमारी वर्तमान योजना यह है कि जहां तक वर्तमान अधिमान अंशधारियों का सम्बन्ध है उन को पहले जैसे ही मतदान सम्बन्धी अधिकार प्राप्त रहेंगे । अतः यह धारणा ठीक है कि अधिमान अंशधारी समवाय के स्वामी नहीं होते हैं । माननीय सदस्यका यह तर्क है कि यद्यपि वह समवाय के स्वामी होते हैं परन्तु वह एक योजना के अन्वर्गत स्वामी बनते हैं। अधिमान अंशों का

समवाय की परिसम्पत् में से भुगतान किया जा सकता है । वास्तव में चाहे वह स्वामी हों या न हों वह ऐसी स्थिति में थे जिस में कि उन की पूंजी परिसम्पत् के विक्रय से भुगताई जा सकती थी । यही स्थिति अब भी है । प्रश्न केवल यही है कि अधिक उत्तम योजना कौन सी है । नवीन अधिमान अंशधारियों की कुछ निर्योग्यतायें होती हैं, उस का समवाय के प्रबन्ध में कोई हाथ नहीं होता है । लोग कह सकते हैं कि यदि कोई ऐसी योजना बनाई जाये जिस से कि उन की पूंजी का भुगतान किया जा सके तो अधिक उत्तम होगा । बात केवल इतनी ही रहेगी कि उन की पूंजी का भुगतान पूंजी में कमी कर के नहीं अपितु समवाय के लाभ में से किया जायेगा और इस प्रकार पूंजी में कोई कमी नहीं होगी । मेरा निवेदन यही है कि संयुक्त समिति ने जो कुछ किया है वही अधिक उत्तम मार्ग है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अधिमान अंशधारी को भी लाभ होगा । उसे उस की पूंजी मिल जायेगी । उसे उस के पूरे लाभांश मिलेंगे और सम्पत्ति का विक्रय होने पर उसे भी लाभ होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों और खंडों को मतदान के लिये रखता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६३ और १६४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ६८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १६५ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

*"खण्ड ६९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ७० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३८५ और ३८६ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ७१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७२ और ७३ विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७२ और ७३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सशोधन संख्या ३८७ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ । दूसरे संशोधन पर आग्रह नहीं किया गया ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

†"कि खंड ७४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खड ७५ में सरकारी संशोधन संख्या २९३ से २९८ तक हैं । मैं उन को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

---

*खण्ड ६९ उपखण्ड (५) पंक्ति २५ में 'प्राधिकृत करता है' शब्दों को अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप में बदल कर 'प्राधिकृत' शब्द रख दिया ।

इसी उपखण्ड में पंक्ति २९ और ३२ में 'विवरण' से पूर्व 'गलत' शब्द हटा दिया गया ।

†खण्ड ७४ उपखण्ड (१) पृष्ठ ४२ पंक्ति ५ में अन्त में 'और' शब्द अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रत्यक्ष गलती के रूप में विनिष्ट किया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ४२, उपखंड (१), पंक्ति ४५ और ४७ में,

"Share in" (में अंश) शब्दों के स्थान पर, दोनों ही स्थानों पर जहां वे आते हैं, "Share in or debentures of" [में अंश या के ऋणपत्र] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ४३, उपखंड (१) पंक्ति २ मे "Five per cent" (पांच प्रतिशत) शब्दों के पहले "in the case of shares" (अंशों के मामले में) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ४३, पंक्ति ३ में,

"whichever is less" (जो भी कम हो) शब्दों के बाद

'and in the case of debentures, two and a half per cent of the price at which the debentures are issued or the amount for rate authorised by the articles, whichever is less.'

["और ऋणपत्रों के विषय में, जिस मूल्य पर ऋणपत्र दिये गये हों, उस के, या सीमा नियमों द्वारा अधिकृत कराई गई दर या राशि के ढाई प्रतिशत पर, जो भी कम हो"] शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४३, पंक्ति ६, ८, १४, १६, २० मे,

इन पंक्तियों में आने वाले शब्द "Shares" (अंशों) के स्थान पर "Shares or Debentures" (अंशों या ऋण पत्रों) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४३, पंक्ति २४ और २६ में,

"Shares in" (में अश) शब्दों के स्थान पर, दोनों ही स्थानों पर, जहां वे आते हैं,"Shares in or Debentures of" (में अंश या के ऋणपत्र) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४३, पंक्ति २७, ३६ और ३७-३८ मे,

"Shares or money" (अंश या धन) शब्दों के स्थान पर "Shares, Debentures or money" (अंश,ऋण पत्र या धन) शब्द रखे जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७५, सशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७५, सशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७६ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ७६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३८८ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३८९ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ८० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधनों के कारण खंड २४, ३२ और ६७ स्थगित कर दिये गये थे । पहले मैं खंड २४ को लूंगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३५३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

[उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३५४ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है कि माननीय सदस्यगण संशोधन पर मतदान स्थगित करायें और फिर स्वयं समय पर उपस्थित न हों ।

श्री कामत : मैं एक मिनट देर से आया । अभी अभी आया हूं । मैं ने समझा था कि मतदान ३-१५ बजे म० प० पर किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : काम पूरा हो जाने पर मैं रुके रहने के लिये बाध्य नहीं हूं । मुझे इस बात पर भारी आपत्ति है । क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि मात्र उन के लिये सारी सभा का काम रुका रहे ।

श्री कामत : मेरा मतलब यह नहीं था । मैं समझता था कि यह ३-१५ म० प० पर होगा । मैं क्या करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस की कोई गारंटी नहीं देता । माननीय सदस्य को अधिक सावधान रहना चाहिये ।

खण्ड ८१ से १४४

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा संख्या ८१ से ले कर १४४ तक के खण्डों पर विचार करेगी । जो सदस्य संशोधन रखना चाहते हों वे अपनी चिटें सचिव के पास १५ मिनट में भेज दें ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे संशोधन संख्या २९९, ३००, ३०१, ३०२, २६८, २७०, २७१ २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, ३०४ तथा ३०५ हैं। मैं इन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा ।

संशोधन संख्या २९९ कोई विशेष संशोधन नहीं है । इस के द्वारा खण्ड ८४ में केवल इतना परिवर्तन किया जा रहा है कि 'winding up' (समापन) शब्दों के पश्चात् "or repayment of capital" (या पूंजी के पुनर्भुगतान) शब्द बढ़ा दिये जायें । संशोधन संख्या ३०० द्वारा खण्ड ८६ को इसलिये बदलने की आवश्यकता है कि साधारणतयः समापन न होते हुए भी यदि पूंजी का भुगतान किया जाये तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश की दर के सम्बन्ध में साधारण अंशधारियों की अपेक्षा अधिमान्यता दी जाती है। यह संशोधन इसी सम्बन्ध में हैं ।

कभी कभी समवाय के अन्तर्नियमों तथा अन्य कागज़ों में अधिमान अंशों के लाभांशों के देय हो जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं की जाती है । इस के लिये मैं ने खण्ड ८६ में संशोधन संख्या ३०२ रखा है कि ऐसी अवस्था में जिस काल के लिये कि लाभांश देय है उस के अन्तिम दिन के दूसरे ही दिन लाभांश देय समझा जायेगा क्योंकि हमारा आशय लाभांश के भुगतान से नहीं वरन् उस की देयता से है ।

संचयी और असंचयी अधिमान अंशों का अन्तर सर्वविदित है और साधारण वाणिज्यिक व्यवहार में इन के विभेद के सम्बन्ध में किसी भी कठिनाई का अनुभव नहीं किया जाता है । खण्ड ८६ (२) (ख) की व्याख्या (२) में संचयी अधिमान अंश की जो परिभाषा दी गई है प्राविधिक परामर्श के अनुसार वह न केवल असन्तोषजनक है वरन् व्यर्थ भी है । इसलिये इस व्याख्या के हटा दिये जाने के लिये मैं ने संशोधन संख्या ३०३ रखा है ।

खण्ड ११० के सम्बन्ध में मैं ने कुछ महत्वपूर्ण संशोधन रखे हैं । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के अनुसार उन व्यक्तियों से, जो कि समवायों के अंशधारी हैं, बक़ाया आयकर वसूल करने के लिये, आयकर अधिनियम के अनुसार विक्रय किये गये अंशों के पंजीयन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई होती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये अंशों के खरीदारों के तत्सम्बन्धी समवायों के सदस्यों के रूप में स्वतः पंजीयन का सुझाव रखा गया है परन्तु इस के परिणामस्वरूप अजनबी व्यक्ति, सदस्यों के रूप में, समवायों के मूल सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध, समवायों में, विशेषतः निजी समवायों में, आ सकते हैं और इस से व्यक्तिगत समवायों का अहित भी हो सकता है । इसलिये हम ने सोचा कि ऐसे मामलों में अपील का अधिकार देना सब से अच्छा होगा । इसीलिये मैं ने सशोधन रखा है कि खण्ड ११० के उपखण्ड (१) खण्ड १०७ और खण्ड १०९ के साथ साथ खण्ड १०८ का भी निर्देश किया जाये जोकि अंशधारी के मृत्यु के कारण होने वाले अशों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में है । इसी खण्ड ११० में मैं न एक और सशोधन, संख्या ३०४ रखा है । जब कोई करदाता कि ी निजी समवाय का सदस्य हो और उस की एकमात्र मूर्त आस्ति उस के इस समवाय के अंश ही हों तो आय कर के भुगतान का सरल सा उपाय यह है कि समवाय के संचालक बोर्ड को इस के लिये राज़ी कर लिया जाय कि आयकर की वसूली के लिये राजस्व प्राधिकारियों ने जिन व्यक्तियों के हाथ इन अशों को बेचा है उन का पं ीयन करने से वे इनकार कर दें । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने बताया है कि करापवंचन के ऐसे

मामलों की संख्या बहुत अधिक है । इसी लिये इस संशोधन के द्वारा यह नया उपखण्ड (८) बढ़ाया गया है । ऐसे मामलों में उन्हें सरकार के सामने अपील प्रस्तुत करने का अधिकार होगा । साथ ही इस नये उपखण्ड के परन्तुक के द्वारा सरकार को यह शक्ति भी दी गई है कि यदि निजी समवाय के वर्धमान सदस्य चाहें और खरीदार ने जो मूल्य दिया था । उसे या जो भी सरकार युक्तियुक्त प्रतिकर समझती हो, लौटाने के लिये तैय्यार हो तो सरकार उन को वह अंश या ऋणपत्र प्राप्त करने का अधिकार दे सकती है ।

खण्ड १२४ के उपखण्ड (४) (च) से सम्बन्धित संशोधन संख्या ३०५ मेरा अन्तिम संशोधन है । सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पण्य-स्कन्ध के प्रभार का अब पंजीयन कराना आवश्यक बनाया जा रहा है, इसलिये इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व के पण्य-स्कन्ध प्रभारधारियों के हितों का संरक्षण करने के लिये कोई उपबन्ध बनाया जाना चाहिये । यह संशोधन इसीलिये रखा जा रहा है । यह सामान्य भाषा में रखा गया है और इस के अन्तर्गत प्रभारों की वर्तमान प्राथमिकताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री मुरारका (गंगानगर-झुंझनू) : हम ने पहली बार यह उपबन्ध बनाया है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को अब वैसा परम मताधिकार प्राप्त नहीं होगा जैसा कि अभी तक होता था । कुछ विशेष परिस्थितियों में ही, जैसे कि जब उन के अपने निजी हितों पर प्रभाव पड़ता हो या लाभांश का भुगतान न किया गया हो, उन को मतदान का अधिकार दिया जायेगा । भाभा समिति की सिफ़ारिश थी कि अधिमान अंशधारियों को असीमित मतदान अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें । खंड ८९ द्वारा जो उपबन्ध बनाया जा रहा है उस के द्वारा वर्तमान अधिमान अंशधारियों को इस उपबन्ध के प्रभाव से अक्षुण्ण बना दिया गया है । मेरा संशोधन यह है कि अधिमान अंशदाता नये हों या पुराने सब पर यह उपबन्ध लागू किया जाये और उन को सीमित मतदान अधिकार दिये जायें ।

यह उपबन्ध भाभा समिति की सिफ़ारिश के अनुसार बनाया गया है और भाभा समिति ने ऐसी सिफ़ारिश इसलिये की थी कि अधिमान अंशधारियों का लाभांश निर्धारित होता है । वह कोई जोखिम नहीं उठाते हैं । यदि समवाय को लाभ होता है तो साधारण अंशधारियों को लाभांश देने के पहले अधिमान अंशधारियों को उन का लाभांश बांट दिया जाता है । इसी प्रकार समापन के समय साधारण अंशधारियों को कुछ भी देने के पहले अधिमान अंशधारियों को उन का पूरा धन वापस कर दिया जाता है । इसलिये अधिमान अंशधारियों की वही स्थिति है जो लेनदारों या ऋणपत्रधारियों की होती है । इसलिये उन को मतदान का अधिकार उसी अवस्था में दिया जाना चाहिये जबकि उन को लाभांश न दिया गया हो, या समवाय प्रगति न कर रहा हो या पूंजी की रचना में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाने वाला हो जिस से कि उन के हितों पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो । यह सब बातें वर्तमान अधिमान अंशधारियों पर उसी प्रकार लागू होती है जैसे कि आने वाले अधिमान अंशधारियों पर लागू होंगी । इसलिये वर्तमान अधिमान अंशधारियों के पक्ष में किसी अपरवाद का उपबंध करने का कोई कारण नहीं है । महान प्रमाण ग्रंथों का भी यही मत है जैसे पामर के "कम्पनी ला प्रीसीडेण्ट्स" का सोलहवां संस्करण तथा श्री लेवीं का "प्राइवेट कारपोरेशन्स एण्ड देयर कन्ट्रोल" में यही मत व्यक्त किया गया है । ऐसे महान ग्रंथकार जैसे अमरीका

[श्री मुरारका]

के श्री बैलेन्टाइन तथा श्री ग्रोवर भी इसी मत के समर्थक हैं ।

श्री पामर का कहना है कि पहले अधिमान अंशधारियों तथा साधारण अंशधारियों में कोई विभेद नहीं किया जाता था, परन्तु पिछले कई वर्षों से अधिमान अशधारियों के मताधिकार सीमित किये जाने लगे हैं । वास्तव में इन दोनों वर्गों के हितों में बहुत विरोध है । अधिमान अंशधारियों का हित इस में है कि समवाय का व्यापार ऐसे सुरक्षित ढंग से चलाया जाये कि उन का लाभांश बराबर मिलता रहे । साधारण अंशधारियों का हित इस में है कि समवाय अपने व्यापार-क्षेत्र को बढ़ावे ।

श्री ग्रोवर का विचार है कि अधिमान अंशधारियों और ऋणपत्र धारियों के हित बुनियादी रूप से एक जैसे हैं ।

श्री लेवी का कहना है कि इंगलैण्ड और अमरीका में यह नियम हैं कि अधिमान अंशधारियों को जब तक लाभांश मिलते रहें उन को मतदान अधिकार से वंचित किया जा सकता है ।

यह विभेद एक प्रकार से बड़ा ही मनमाना है । इस अधिनियम के लागू होने की तिथि तक जारी किये गये अंशों के अंश-धारियों को परम मताधिकार प्राप्त होंगे परन्तु जो अधिमान अश इस के बाद जारी किये जायेंगे उनके संबंध में ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं होगा । व्यावहारिक रूप से इस में कठिनाई होगी । साधारण अंशधारियों को पता भी नहीं चलने पायेगा कि कौन से अधिमान अंशधारी पहले के हैं और कौन से बाद के ।

यह बातें मैं ने प्रवर समिति में भी कही थीं परन्तु मैं समिति को इन बातों को स्वीकार करने के लिये राजी नहीं कर सका था । इसीलिये मैं ने यह संशोधन रखा है और आशा करता हूं कि सभा इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और यदि हो सका तो इसे स्वीकार भी कर लेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री टी० एस० ए० चेट्टियार, श्री बंसल, श्री मुरारका, श्री तुलसीदास, श्री जी० डी० सोमानी, श्री तिम्मय्या, श्री यू० एम० त्रिवेदी तथा श्री के० के० बसु की चिटें मुझे प्राप्त हुई हैं ।

श्री कामत : मेरे संशोधनों का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और मेरे पास चिट नहीं भेजी है । अब नये खण्ड समूह पर विचार होने तक प्रतीक्षा करें और उस के बाद अपनी चिट भेजें ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : खण्ड ८४ में परिभाषा के द्वारा लाभांशों को आयकर आधीन या आयकर मुक्त रखने की अनुज्ञा दी गई है । कराधान जांच आयोग ने आयकर मुक्त लाभांश दिये जाने का विरोध किया है क्योंकि बड़े बड़े अंश-धारियों को आयकर का भुगतान करने में ही बहुत सा धन व्यय हो जायेगा और छोटे अंशधारियों को बहुत कम धन मिलेगा । धन के केन्द्रीयकरण को रोकने के विचार से भी इस प्रकार की छूट देना उचित नहीं है । इस के अतिरिक्त हमारा विचार आयकर को बढ़ाने का है घटाने का नहीं । इस दृष्टि-कोण से भी इस प्रकार की छूट देने से साधारण अंशधारियों का हिस्सा और भी कम हो जायेगा । इसलिये मैं सिफारिश करता हूं कि मेरा खण्ड ८४ सम्बन्धी संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

जहां तक खण्ड ८८ का सम्बन्ध है मेरी समझ में अननुपाती मतदान अधिकारों

को समाप्त करने के लिये तीन वर्ष की अवधि निश्चित करने का कोई कारण नहीं है ।

मेरे विचार में एक वर्ष की अवधि पर्याप्त है । खंड ८८ में एक और बात है जिस के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । यह प्रबन्ध अभिकर्ताओं, सैक्रेटरियों तथा कोषाध्यक्षों की नियुक्ति का मामला है । हम उन की नियुक्ति के बिल्कुल विरुद्ध हैं और चाहते हैं कि यह अधिकार दिया न जाय । निस्सन्देह यदि ये उपबन्ध रहते हैं तो हम रोक लगाये जाने के पक्ष में हैं ।

इस के बाद खण्ड ८९ के प्रथम भाग के बारे में भी मुझे आपत्ति है । उस के अन्तर्गत एक तो यह बात है कि खण्ड ८८ के अधीन अननुपातिक मतदान के अधिकारी जारी रहेंगे । खण्ड ८८ ऐसे अननुपातिक मतदान की मात्रा के बारे में है । इसलिये इन्हीं अधिकारों के रक्षण के लिये अग्रेतर उपबन्ध किये जाने की क्या आवश्यकता है । मैं खण्ड ८९ के रखे जाने का कोई कारण नहीं समझ सका हूं । इस से अननुपातिक मतदान का अधिकार रखने वालों को तीन वर्ष के लिये अनुचित अधिकार मिल जायेंगे—इसलिये इस उपबन्ध को हटा दिया जाये ।

अब मैं खण्ड ९२ के सम्बन्ध में कहूंगा । इस खण्ड द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि समवाय अंशों की चुकाई गई पूंजी के अनुपात के अनुसार लाभांश दे सकता है । एक खण्ड के अनुसार समवाय प्रदत्त पूंजी से भी अधिक पूंजी स्वीकार कर सकता है । अब जब समवाय ऐसा धन ले—तो उसे उस राशि पर भी लाभांश क्यों नहीं देना चाहिये । जब अंशधारी से अधिक रुपया समवाय लेता है तो वह उस राशि पर लाभांश देने से इन्कार कैसे कर सकता है । इसलिये इस खण्ड की शब्दावलि बदली जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या माननीय सदस्य ने कोई संशोधन रखा है ?

श्री साधन गुप्त : नहीं—तनिक देर हो गई है ।

श्री के० के० बसु : एक संशोधन है । उस की संख्या ४४८ है । यह आज ही दिया गया था ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह ठीक है । मैं पूर्व-सूचना का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं । मुझे आश्चर्य था कि संभवतः मैं ने गलती की हो । यह मेरी सूची में नहीं था ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस की सूचना १-०७ बजे मध्यान्ह पश्चात् दी गई थी —इसलिये सरकार कैसे इस मामले को जान सकती थी । किन्तु मैं इस की आज्ञा नहीं देना चाहता ।

श्री के० के० बसु : माननीय मंत्री इसे स्वीकार करना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सरकार स्वीकार करती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री साधन गुप्त : यह उलझा हुआ मामला नहीं है । खण्ड ९३ समवायों को अंश पूंजी बढ़ाने का अधिकार देता है । यथेच्छा कारिता नीति में कोई समवाय अपनी पूंजी का प्रयोग अपनी इच्छानुसार कर सकता है—किन्तु हमारी नीति यथेच्छाकारिता की नीति नहीं है और हमें योजनाबद्ध समाजवादी नीति पर चलना है । इस पूंजी की वृद्धि के कई प्रभाव हो सकते हैं जिन का कि ध्यान रखना पड़ेगा ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

संभव है कि यह वांछनीय न हो कि एक समवाय विशेष ही प्रसार करे—किन्तु यह हो सकता है कि उस के अतिरिक्त धन से और उद्योगों का विकास किया जाये और

[श्री साधन गुप्त]

इस प्रयोजन के लिये एक विनियोजन निधि बना ली जाये । इसी कारण मेरी यह प्रार्थना है कि जब भी अंश पूंजी की वृद्धि की जाये तो केन्द्रीय सरकार की अनुमति से की जाये । केन्द्र निस्सन्देह ही इस बात की अनुमति देने से पूर्व इन सब बातों पर विचार करेगा ।

अन्त में, खण्ड १०६ के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ कहना है । यह खण्ड विरोधी अंशधारियों को अंशधारियों की किसी श्रेणी विशष के अधिकारों में परिवर्तन किये जाने के विरुद्ध संरक्षण देता है । इस के लिये दस प्रतिशत से अधिक अंशधारी २१ दिन के भीतर न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं । मुझे इन दोनों बातों पर आपत्ति है, क्योंकि एक तो प्रतिशतता बहुत अधिक है और दूसरे दिनों की संख्या भी कम है ।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या इस प्रकार के संशोधन भी हैं ?

श्री साधन गुप्त : मेरे संशोधन हैं । हां, तो मैं सुझाव दे रहा था कि प्रतिशतता को कम कर के पांच कर दिया जाये और सात दिन का समय और बढ़ा दिया जाये । इस का कारण यह है कि यह अनुभव किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार के बाद भी ५ प्रतिशत मतदाता नहीं आये हैं । अतः दस प्रतिशत अंशधारियों को एकत्रित करना प्रायः असम्भव होगा और इसलिये प्रतिशतता पांच रखी जाये । और सब से बड़ी बात तो यह है कि इस मामले को न्यायालय निपटायेगा इसलिये प्रतिशतता को कम करने में कोई हानि नहीं है ।

जहां तक दिनों की संख्या का प्रश्न है वह भी थोड़े ही हैं । इसलिये कम से कम सात दिन का समय और बढ़ा दिया जाये ।

श्री कामत : औचित्य तथा प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न के हेतु क्या मैं श्रीमान् से पूछ सकता हूं कि क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय के वापिस आने की कोई सम्भावना है क्योंकि मेरी बात उन्हीं के विनिर्णय से सम्बन्धित है ।

सभापति महोदय : मुझे खेद है । मैं नहीं बता सकता ।

श्री कामत : अथवा श्रीमान् इसे निपटायेंगे ?

सभापति महोदय : यदि उपाध्यक्ष महोदय ने कोई विनिर्णय दे दिया है तो बेहतर यही होगा कि उपाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में ही यह प्रश्न उठाया जाये ।

श्री एस० एस० मोरे : इस प्रकार तो तमाम मामले व्यक्तिगत हो जाते हैं ।

सभापति महोदय : मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या मैं एक प्रार्थना कर सकता हूं ?

सभापति महोदय : मुझे उपदेश या परामर्श की आवश्यकता नहीं है । मुझे अपने कर्तव्य ज्ञात हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरी आपत्ति यह है ..... ?

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से एक निश्चित प्रश्न पूछता हूं कि क्या यह औचित्य प्रश्न है अथवा नहीं ?

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं ।

सभापति महोदय : यदि यह औचित्य प्रश्न है तो मैं आज्ञा दूंगा । यदि नहीं होगा तो आज्ञा नहीं दी जायगी ।

श्री बंसल : खण्ड ८५ पर संशोधन संख्या ४४१ के अनुसार...

कुछ माननीय सदस्य : हमारे पास संशोधन नहीं है ।

श्री बंसल : इसे परिचालित किया गया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : हमें इस की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। मैं तो नहीं जानता ।

श्री बंसल : नोटिस ग्रॉफिस में यह १०-३० म० पू० पर दिया गया था ।

सभापति महोदय : इसे कल दिया जाना चाहिये था । इसे अब प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती ।

श्री बंसल : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं जिन का सम्बन्ध श्री अशोक मेहता के भाषण से है । उन्होंने सुझाव दिया था कि सरकार को विभिन्न प्रकार की अंश पूंजियों को जारी करने का अधिकार हो । मैं इस सम्बन्ध में यह चाहता हूं कि सरकार को कतिपय समवायों को कतिपय विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा करने की अनुमति देने का अधिकार हो और अधिकतर यह सरकारी समवायों पर ही लागू हो। माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस सुझाव पर ध्यान दें ।

इस के बाद मैं श्री मुरारका के संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री मुरारका : माननीय मित्र संभवतया मुझे समझे नहीं हैं । मैं अननुपातिक मतदान अधिकारों के कम किये जाने के लिये नहीं कहता । उस का तो कोई झगड़ा ही नहीं है । खण्ड ८९ के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों को छुआ भी नहीं जायेगा—खण्ड ८९ खण्ड ८८ को बचायेगा और उस पर लागू नहीं होता है ।

श्री बंसल : ठीक यही बात मैं भी कह रहा हूं——खण्ड ८९ खण्ड ८८ पर लागू नहीं होता है । श्री मुरारका समझते हैं कि यह खण्ड खण्ड ८८ को बचायेगा, किन्तु ऐसा नहीं है । इसी कारण से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : मैं ने मित्र श्री बंसल का भाषण सुना है और मेरा संशोधन संख्या ७४ श्री मुरारका के संशोधन के समान ही है ।

खण्ड ८१ से ले कर ८९ तक बुनियादी खण्ड हैं । पहले कई प्रकार के अंश होते थे तथा मतदान के अधिकारों में बड़ा भेद होता था । वास्तव में समवाय विधि समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्टतया बताया है कि कुछ साक्षियों ने तीन प्रथाओं के विरोध में आलोचना की है ; एक तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को उसी प्रकार की मताधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में जैसे कि साधारण अंशधारियों को प्राप्त हैं, दूसरे पूर्वाधिकार अंशधारियों को मताधिकारों से बिल्कुल वंचित किये जाने; तीसरे आस्थगित अंशों के जारी किये जाने । मैं ने सुना है कि ऐसे समवाय भी हैं जिन में कई लोगों के १ रुपये के मूल्य वाले अंश हैं और प्रत्येक अंश अन्य प्रकार के १०० रुपये के मूल्य के बराबर है, वास्तव में अननुपातिक मताधिकार ही समवाय व्यवस्था के लिये विष है । समवाय विधि समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में अननुपातिक मताधिकार की निन्दा की है और उन्हीं सिफारिशों को इन खण्डों में रख दिया गया है ।

हम केवल साधारण तथा पूर्वाधिकार अंशों को मान्यता देते हैं——किन्तु समवायों को आस्थगित अंश समाप्त करने के लिये तीन वर्ष का समय भी दिया गया है जिस से कि उन का प्रबन्ध तीन वर्ष के समय में समवाय अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हो जाये । संक्रमण काल के लिये अननुपातिक मतदान के लिये कुछ शर्तें रखी गई हैं । खण्ड ८८ के उपखंड (२) में दिये हुए तीन

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

संकल्पों पर इस काल में भी अननुपातिक मताधिकार के अधिकार नहीं होने चाहियें इस सम्बन्ध में, मेरे मित्र श्री के० पी० त्रिपाठी ने संशोधन संख्या ३९४ रखा है—उन्हों ने उस में एक चौथे संकल्प के बारे में भी सुझाव दिया है । अर्थात् यह अननुपातिक मतदान का अधिकार निदेशक के चुनाव के विषय में भी नहीं मिलना चाहिये । यह एक सुन्दर सुझाव है इसलिये संशोधन संख्या ३९४ को स्वीकार किया जाये और खंड ८८(२) में इस संकल्प को भी जोड़ दिया जाये । यद्यपि समवाय विधि समिति ने इस संकल्प को इस में सम्मिलित करना उचित नहीं समझा है, परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है और इसे स्वीकार किया जाये ।

खण्ड ८९(क) का जो निर्वचन श्री बंसल ने दिया है, मेरे विचार में वह ठीक नहीं है । समवाय विधि समिति ने किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं कहा कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को वही मतदान सम्बन्धी अधिकार प्राप्त होते रहें जो इस समय उन को प्राप्त हैं । यदि उन्हों ने स्पष्टतया इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा तो भी इस का अर्थ यह नहीं कि हम अनुमान से काम लें । इस के लिये कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि खण्ड ८९(क) में यह संरक्षण खण्ड क्यों रखा जाये । यह बात मेरे विचार में ठीक नहीं है जब हम ने आस्थगित अंशधारियों के मतदान अधिकारों में हस्तक्षेप किया है, फिर इस के लिये क्या कारण हो सकता है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को वही अधिकार दिये जायें । यदि संयुक्त समिति ने इस मामले में न्याय नहीं किया है तो अब सभा का यह कर्तव्य है कि वह इसे सुधारे और मेरा संशोधन संख्या ७४ स्वीकार करे ।

अब मैं खण्ड ११० के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । यह खण्ड पंजीयन से इन्कार करने के अधिकार तथा इन्कार के विरुद्ध अपील से सम्बन्ध रखता है । अंशधारी सरकार के पास अपील करेंगे यदि उन के अंशों के हिस्तान्तरण की आज्ञा नहीं दी जायेगी—किन्तु मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जब यह मामला न्यायालय में जाये और न्यायालय अंशों के बारे में कोई निर्णय कर दे तो मेरे विचार में फिर सरकार के पास अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है । समवाय को न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही चलना होगा । मैं चाहता हूं कि सरकार इस दृष्टिकोण से इस बात का परीक्षण करे, और मुझे आशा है कि मैं ने इन खण्डों को ठीक तरह से समझा है ।

श्री सी० सी० शाह (गोहिलवाड-सोरठ) : जिस खंड समूह पर इस समय चर्चा हो रही है उस में मेरे विचार से सब से महत्वपूर्ण खंड ८४-८९ और ११० हैं । खंड ८४-८९ अननुपाती मतदान अधिकारों तथा अधिमान तथा आस्थगित अंशधारियों के अधिकारों के विषय में हैं । यह बिल्कुल नये खंड हैं जो न तो वर्तमान समवाय विधि में है और न तत्स्थानी इंगलिश विधि में हैं । इन की आवश्यकता उस दुरुपयोग के कारण उत्पन्न हुई है जिस का पता हमें समवाय विधि समिति के प्रतिवेदन से लगा है ।

विभिन्न प्रकार के अंश दो उद्देश्यों से जारी किये जाते हैं । कभी कभी अधिमान अंश पूंजी को आकर्षित करने के लिये जारी किये जाते हैं, ऐसी स्थिति में इन को जारी करना क्षम्य है । परन्तु कभी कभी आस्थागत या अधिमान अंश समवाय पर आधिपत्य प्राप्त करने के उद्देश्य से जारी किये जाते हैं । इस दूसरे प्रकार के दुरुपयोग के लिये ही यह खंड रखे गये हैं ।

जहां तक अधिमान अंशों का सम्बन्ध है, अधिमान अंशधारी की स्थिति कुछ अनिय-

मित है। वह न तो लेनदार होता है, क्योंकि लेनदार के अधिकार अधिमान अंशधारी से अधिक होते हैं, और न साधारण अंशधारी। वह अंशधारी केवल इसीलिए है क्योंकि वह अपनी पूंजी को जोखिम में डालता है। परन्तु उसका जोखिम और लाभ सीमित होते हैं। किसी समय यह प्रथा थी कि सभी प्रकार के साधारण अंशधारियों के साथ साथ उसे भी पूर्ण अधिकार दिए जाते थे। फिर यह प्राथा चली कि उसे किसी भी विषय पर कभी भी मतदान में भाग लेने का अधिकार न दिए जाएं। चालू प्रथा यह है कि विशेष अवसरों पर, जबकि उन के लाभांश बकाया हों या उन के हितों के प्रभावित होने की संभावना हो, तो उन को मतदान के सीमित अधिकार दिए जायं।

अधिमान अंशधारियों को समवाय के प्रबन्ध संचालन में अवश्य कुछ अधिकार दिए जाएं क्योंकि संभव है कि साधारण अंशधारी अपने कुप्रबन्ध से अधिमान अंश-धारियों की पूंजी को नष्ट कर दे सकते हैं। इसलिए अधिमान अंशधारियों को प्रबन्ध संचालन में भाग देना ठीक न होगा।

अधिमान अंशधारियों तथा साधारण अंशधारियों के अधिकारों में कोई न कोई संतुलन होना आवश्यक है। अधिमान अंश-धारी अपनी पूंजी को जोखिम में डालना पसन्द नहीं करता है और इसलिये वह किसी उद्योग विशेष के विस्तार में बाधक होता है। इस के विपरीत साधारण अंशधारी उस उद्योग का जिस में कि वह पूंजी लगाता है, सर्वतोमुखी विकास चाहता है। इसलिये दोनों दृष्टिकोणों में सन्तुलन बनाये रखने के लिये सामान्य प्रथा अधिमान अंशधारियों को मतदान के सीमित अधिकार दिये जाने की है। और इसी प्रथा को हम इस विधान के द्वारा मान्यता प्रदान करना चाहते हैं।

अब प्रश्न आता है आस्थगित अंशधारियों का। मुझे ऐसे बहुत से उदाहरण ज्ञात हैं जिन में कुछ व्यक्तियों ने अपनी पूंजी को किसी विशेष जोखिम में डाले बिना समवाय पर एकच्छत्र आधिपत्य स्थापित कर लिया है। मेरे मित्र टी० एस० ए० चेट्टियार ने एक सम्वाय का उदाहरण दिया था जिस में एक रुपये मूल्य वाले ३,५०,००० आस्थगित अंश हैं, और यह सभी अंश प्रबन्ध संचालन द्वारा लिए गए हैं।

कम्पनी में एक रु० के आस्थगित अंश, १० रु० के सामान्य अंश और १०० रु० के पूर्णाधिकार अंश रखने वाले सभी अंश-भाजकों का समान ही मताधिकार होगा। पूंजी के इस ढांचे के कारण प्रबन्धक एजेंट चाहें तो ३,५०,००० आस्थगित अंशों के बड़े गुट के साथ और एक भी सामान्य अंश बिना रखे कम्पनी का नियंत्रण अपने हाथ में रख सकेंगे। बम्बई के अंशभाजकों के ज्ञापन ने ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं। किसी कम्पनी में बीस हजार आस्थगित अंश रख कर उन में से दस हजार प्रबन्धक एजेंटों को दें दिए जाते हैं, तो वे लोग एक पाई भी दिये बिना कम्पनी का नियंत्रण करते हैं। खंड ८८ इस अनुपात-हीन मताधिकार का अंत कर के उन्हें कंड ८६ के समकक्ष बनाने के लिए तीन वर्ष का समय देता है। पर कुछ कारणों से ये मताधिकार तीन वर्ष भी नहीं चलने दिए जा सकते, अतः उपखंड (२) में बताये गए मामलों में वे मताधिकार रख सकेंगे। संशोधन ३९४ में के अनुसार वे निदेशकों की नियुक्ति वाले संकल्प तक में ऐसे मताधिकार का उपयोग न कर सकेंगें। यह संशोधन न रखने से लोग ६ या ९ वर्ष बोर्ड में अपने व्यक्ति भेज सकेंगे।

श्री सी० डी० देशमुख: हम इसे स्वीकार कर लेते हैं।

श्री सी० सी० शाह : मुझे यह सुन कर खुशी हुई ।

माननीय मित्र श्री मुरारका ने व्यावृत्ति वाले खंड ८९ के अपने संशोधनों की सुयोग्य व्याख्या की थी, पर पूर्वाधिकार या आस्थगित अंशधारियों को एक तो अनुपात-हीन मताधिकार मिलता है, पर खंड ८८ में वर्तमान और भावी सभी अंशधारियों के लिये इन मताधिकारों को व्यावृत्त कर दिया गया है । दूसरे इन विषयों का प्रश्न है, जिन के बारें में ये लोग मत दे सकते हैं । यह खंड विद्यमान स्थिति को बचाता है, और उन के लाभांशों के बकायों को छोड़ अन्य बातों के बारे में वे अधिकार रख सकेंगे । लाभांश, पूंजी आदि के अधिकार भी बने रहेंगे । एक ओर तो यह तर्क दिया जा सकता है कि इन लोगों ने कुछ शर्तों पर जान बूझ कर अपनी पूंजी को खतरें में डाला है । दूसरी ओर मैं यह कहूंगा कि यदि आप ये सुविधायें भावी अंशधारियों को नहीं देना चाहते, तो इन को भी न दें । भाभा समिति की सिफारिशों के दोनों अर्थ निकलते ह, और सरकार जो मार्ग चाहे चुन सकती है । भाभा समिति की सिफारिश का एक ही अर्थ हो, तो भी हम उस के विरुद्ध जा सकते हैं, जैसे हम ने सम्बन्धियों को 'सहकारी' (एसोसियेट) शब्द में शामिल कर लिया है । अतः माननीय वित्त मंत्री कृपया श्री मुरारका की युक्तियों पर ध्यान दें ।

खंड ९२ के बारें में मैं एक माननीय विरोधी सदस्य की इस बात का उल्लेख करूंगा कि अनाहूत पूंजी भी यदि कोई अंशधारी दे दे, तो उस पर भी लाभांश दिया जाना चाहिये । मेरी समझ से यह उचित नहीं है । अतः यह सन्था-नियमों के ही ऊपर छोड़ देना ठीक है ।

खंड ११० अंशों के हस्तान्तरण की मंजूरी न मिलने पर अपील का अधिकार देता है । आजकल कोई वैध उपाय नहीं है, जब तक बदनीयती सिद्ध न की जाये । कुछ न्यायालयों ने बोर्ड का कारण न देना नेकनीयती ही माना है । अतः बोर्ड को पूर्ण अधिकार है । जिसे हस्तान्तरण होना है, वह पूरा पैसा दे कर भी जब अंश खरीदता है, तो बोर्ड हस्तान्तरण में बाधा डालता है । अतः दुरुपयोग के बहुत मामले हुए हैं । हस्तंतरण से इनकार करने के कुछ कारण भी कभी-कभी हो सकते हैं । वह व्यक्ति अवांछनीय हो सकता है या अच्छी कम्पनी के शेयरों पर कब्जा कर के उसे अपने अधिकार में लाने की इच्छा रखने वाला हो सकता है । हमें सरकार के पास अपील करने का ही अधिकार दे रहे हैं । सरकार की जांच गुप्त प्रकार की रहेगी, क्योंकि प्रबन्धक कुछ का ही का प्रकाशन न चाहेंगे और हो सकता है कि वैसा करना जनहित में भी न हो ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : तब तो उसे और भी उच्च न्यायालय तक जाने देना चाहिये ।

श्री सी० सी० शाह : कुछ मामलों में न्यायिक जांच की अपेक्षा सरकारी जांच अधिक सफल हो सकती है । यदि प्रबन्धक कारण बता दें, तो उच्च न्यायालय तक जाने की बात ठीक है । पर कारण न बताने से कुछ नहीं हो सकता और सन्था-नियमों में यह उपबन्ध होता है कि प्रबन्धक कारण बताने को बाध्य नहीं है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : किसी के लिए किसी व्यक्ति का वांछनीय न होना मामले को दबाने का कोई बहाना नहीं हो सकता । संविधान के अनुच्छेद २२६ की ओर प्राकृतिक न्याय की दृष्टि में उसे उच्च न्यायालय तक जाने का अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिये ?

श्री सी० सी० शाह : अंशों के हस्तांतरण का निर्णय शीघ्र होना चाहिये । उच्च न्याया-

लयों आदि में जाने से तो कई वर्ष लग जायेंगे ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सन्तारा) : साथ ही क्या यह नीति की बात भी नहीं है ?

श्री सी० सी० शाह : जी हां, नीति के अनुसार सरकार समझ सकती है कि कुछ ऐसे लोगों को, जो कुछ विशेष कारणों से किसी कम्पनी के अंशों पर कब्ज़ा कर लेना चाहते हैं, देश के औद्योगिक विकास के हित में अंशों का हस्तान्तरण उचित नहीं है । आप सरकार को इतनी शक्तियां दे कर उस का भरोसा कर रहे हैं, जो ठीक ही है । एक बीमा कम्पनी का एक २०० रु० का अंश २२०० रु० पर बिका था और क्रेता अधिक भी देने को तैयार था, पर जैसा मेरे माननीय मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द जानते हैं, प्रबन्धकों ने कुछ उचित कारणों से हस्तान्तरण न होने दिया । कई वर्षों मुकदमेबाज़ी होती रही । अतः खंड ११० के उपबन्ध अंशधारियों के हित में हैं और उचित स्तर पर शीघ्र निर्णय की दृष्टि में भी उचित हैं । मेरे मित्र श्री तुलसीदास किलाचन्द तो अपने तर्क देंगे ही कि केन्द्रीय सरकार की बजाय उच्च न्यायालय के पास जाना चाहते हैं, परन्तु मैं भी अपने दृष्टिकोण में विश्वास करता हूं । मैं सरकारी संशोधनों के साथ खंड ११० का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : समवाय विधेयक के खंड ८१ से १४४ तक के सम्बन्ध में निम्न संशोधन प्रस्तुत करने की सूचना दी गई है, जो अन्यथा ग्राह्य होने की अवस्था में सभा के सामने रखे जायेंगे :—

खंड संख्या	संशोधन संख्या
८४	२९९
८६	३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३९२
८७	१७४
८८	३९४
८९	७४, १७५ (–७४सा ही) १७६
९३	११५, ११६
११०	२६८, २६९, ३९६, २७०, २७१, २७२, ११७, २७३, १७९, १८०, २७४, २७५, १८१, २७६, १८२, २७७, २७८, १८३, २७९, १८४, १८५, ३०४,
११२	११८
१३९	१८८
१४४	३०५

श्री सी० डी० देशमुख : इस नई सूची में संशोधन संख्या ४४४, ४४५, ४४६ आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

सभापति महोदय : उन को अनुमति ही नहीं दी गई ।

खंड ८४—(दो प्रकार की अंश-पूंजी)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ४८, उपखण्ड (१) पंक्ति २४ और २९ और ३१ में,

कंडिका (ख) में "winding up" (समाप्त करना) शब्दों के बाद दोनों ही स्थानों पर जहां वे आते हैं, "or repayment of capital" (या पूंजी का पुनर्भुगतान) शब्द रखे जावें ।

खंड ८६—(मत देने के अधिकार)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ४९,

पंक्ति १३ और १४ में, "Section 87 and 88" (धारा ८७ और ८८) शब्दों

[श्री सी० डी० देशमुख]

के स्थान पर "Section 88" (धारा ८८) शब्द रखे जायें ।

(२) पृष्ठ ४९, पंक्ति २८ में,

उपखंड (२) (क) की व्याख्या में reduction (कमी) शब्द के पहले "repayment or" (या पुनर्भुगतान) शब्द रखे जायें ।

(३) पष्ठ ४९-५० में,

उपखंड २ (ख) की विद्यमान व्याख्या के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

'*Explanation*—For the purposes of this clause, dividend shall be deemed to be due on preference shares in respect of any period whether a dividend has been declared by the company on such shares for such period or not—

(a) on the last day specified for the payment of such dividend for such period, in the articles or other instrument executed by the company in that behalf ; or

(b) in case no day is so specified on the day immediately following such period.

[व्याख्या—इस खंड के प्रयोजन से पूर्वाधिकार अंशों पर किसी अवधि के बारे में लाभांश, चाहे समवाय द्वारा ऐसे अंशों पर उस अवधि के लिये लाभांश घोषित किया गया हो या नहीं—

(क) उस अवधि के उस लाभांश के भुगतान के लिये, सीमा-नियमों या समवाय द्वारा उस सम्बन्ध में की गई अन्य लिखित में, बताये गये अन्तिम दिन, या

(ख) यदि इस प्रकार कोई दिन न बताया गया हो, तो इस अवधि के तुरन्त बाद आने वाले दिन, दिये समझे जायेंगे] ।

(१) पृष्ठ ५०, पंक्ति ४ से ११,

खंड ८६ (२) (ख) की व्याख्या–२ को हटा दिया जाये ।

खंड ८८—(अनुपात-हीन रूप से अत्यधिक मत देने के अधिकारों आदि की समाप्ति)

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरंग) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ५०,

पंक्ति ४५ के बाद यह रखा जाये :

"(aa) any resolution relating to the election of a director ;"

[(कक) एक निदेशक के निर्वाचन से सम्बन्धित कोई संकल्प]

खंड ११०—(पंजीयन, आदि से इनकार करने की शक्ति)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ५९, उपखंड (१) पंक्ति ३९ में, "Section 107 and 109" (धारा १०७ और १०९) के स्थान पर "Sections 107, 108 and 109" (धारा १०७, १०८ और १०९) रखा जाय। (२) पृष्ठ ५९, उपखंड (१) पंक्ति ४० में refuse to register the transfer of (के हस्तान्तरण के पंजीयन से इनकार) शब्दों के बाद "or the transmission by operation of law of the right to" (या के अधिकार का

विधि के प्रवर्तन द्वारा संप्रेषण) शब्द रखे जायें ।

(३) पृष्ठ ५९, उपखंड (२) पंक्ति ४४ में, "any such transfer" (ऐसा कोई हस्तान्तरण) शब्दों के बाद "or transmission of right" (या अधिकार संप्रेषण) शब्द रखे जायें ।

(४) पृष्ठ ५९, उपखंड २, पंक्ति ४५ में, "instrument of transfer" (हस्तान्तरण की लिखित) शब्दों के बाद "or the intimation of such transmission, as the case may be" (या ऐसे संप्रेषण की सूचना, जैसी स्थिति हो) शब्द रखे जायें ।

(५) पृष्ठ ५९, उपखंड २, पंक्ति ४७ में, "transferor" (हस्तान्तरक) शब्द के बाद "or to the person giving intimation of such transmission, as the case may be" (या ऐसे संप्रेषण की सूचना देने वाले व्यक्ति को, जैसी स्थिति हो) शब्द रखे जायें ।

(६) पृष्ठ ६०, उपखंड ३, पंक्ति ५ में, "transferee" (हस्तान्तरिती) शब्द के बाद "or the person who gave intimation of the transmission by operation of law, as the case may be," (या वह व्यक्ति जिस ने विधि-प्रवर्तन द्वारा संप्रेषण की सूचना दी हो, जैसी स्थिति हो,) शब्द रखे जाये ।

(७) पृष्ठ ६०, उपखंड ३, पंक्ति ८ और १० में, "Transfer" (हस्तान्तरण) शब्द के बाद "or transmission" (या संप्रेषण) शब्द रखे जायें ।

(८) पृष्ठ ६०, उपखंड ४, पंक्ति १२ में, "by the transferor or transferee" (हस्तान्तरक या हस्तान्तरिती द्वारा) शब्द हटा दिये जायें ।

(९) पृष्ठ ६०, उपखंड ४, पंक्ति १५ में, "transfer" (हस्तांतरण) शब्द के बाद अल्प विराम (कौमा) हटा दिया जाये और "or transmission" (या संप्रेषण) शब्द रखे जायें ।

(१०) पृष्ठ ६०, उपखंड ५, पंक्ति २१ में, "to the company" (समवाय को) शब्दों के बाद, "and also to' (और . . को भी) शब्द रखे जायें ।

(११) पृष्ठ ६०, उपखंड (५), पंक्ति २१ और २२ में, "transferor and the transferee" (हस्तांतरक और हस्तांतरिती) शब्दों के बाद "or, as the case may require, to the person giving intimation of the transmission by operation of law and the previous owner, if any," (या, जैसा स्थिति द्वारा अपेक्षित हो विधि-प्रवर्तन द्वारा संप्रेषण की सूचना देने वाले व्यक्ति या, यदि कोई हो, तो पूर्वस्वामी को) शब्द रखे जायें ।

(१२) पृष्ठ ६०, उपखंड (५), पंक्ति २४ में, "transfer" (हस्तांतरण) शब्द के बाद "or transmission (या संप्रेषण) शब्द रखे जायें ।

(१३) पृष्ठ ६०, नया उपखंड (८), उपखंड (७) के बाद, निम्नलिखित उपखंड जोड़ दिया जाये :—

'(8) In the case of a private company which is not a subsidiary of a public company, where the right to any shares or interest of a member in, or debentures of, the company is transmitted by a sale thereof

[श्री सी० डी० देशमुख]

held by a Court or other public authority, the provisions of sub-section (3) to (7) shall apply as if the company were a public company; provided that the Central Government may, in lieu of an order under sub-section (5), pass an order directing the company to register the transmission of the right unless any member or members of the company specified in the order acquire the right aforesaid within such time as may be allowed for the purpose by the order, on payment to the purchase of the price paid by him therefor or such other sum as the Central Government may determine to be a reasonable compensation for the right in all circumstances of the case.'

[(८) एक निजी समवाय के विषय में, जो एक सहायक या लोक-समवाय नहीं है, जब समवाय में किसी सदस्य के हित या किन्हीं अंशों या उस के ऋणपत्रों का अधिकार, किसी न्यायालय या किसी अन्य लोक-प्राधिकार द्वारा किये गये उस के विक्रय द्वारा संप्रेषित किया जाता है, तो उपखंड (३) से (७) के उपबन्ध उस रूप में लागू होंगे, जैसे समवाय के लोक-समवाय होने पर होते ; परन्तु केन्द्रीय सरकार उपखंड (५) के अन्तर्गत आदेश के स्थान पर समवाय को अधिकार-संप्रेषण के पंजीयन का निदेश देने वाला आदेश पारित कर सकेगी यदि आदेश में निर्दिष्ट समवाय का कोई सदस्य या सदस्यगण पूर्वोक्त अधिकार को, उस के द्वारा उस के लिये दिये गये मूल्य का या उस राशि का, जिसे केन्द्रीय सरकार उस मामले की समग्र परिस्थितियों में अधिकार की उचित-क्षतिपूर्ति निश्चित करे, भुगतान कर के आंजत न कर ले ।]

खंड १३९—(ज्ञापन की प्रतिलिपि, आदि)

श्री तुलसीदास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७१, पंक्ति ३०,

"if so required" (यदि ऐसा अपेक्षित हो) शब्द निकाल दिये जायें ।

खंड १४४—(भाग का लागू होना, आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७३, पंक्ति १८ के बाद.

निम्न कंडिका को इस खंड की उपकंडिका के रूप में रखा जाये :

"Nothing contained in this section shall be deemed to affect the relative priorities as they existed immediately before the commencement of this Act, as between charges on the same property."

(इस धारा में निर्दिष्ट कोई बात इस अधिनियम के आरम्भ से तुरन्त पूर्व विद्यमान सापेक्ष पूर्ववर्तिताओं पर कोई भी प्रभाव डालती हुई नहीं समझी जायेगी, जैसा कि एक ही सम्पत्ति के भारों के बीच होता है ।)

निम्नांकित सदस्यों द्वारा भी निम्नांकित खंडों पर निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत किये गये :—

सदस्य का नाम	खंड	संशोधन संख्या
श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ)	८६	३९२
श्री तुलसीदास	८७	१७४
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	८९	७४
श्री एन० पी० नथवानी	८९	१७५
श्री तुलसीदास	८९	१७६
श्री यू० एम० त्रिवेदी	९३	११५ और ११६।
श्री झुनझुनवाला	११०	३९६
श्री यू० एम० त्रिवेदी	११०	११७
श्री तुलसीदास	११०	१७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४ और १८५।
श्री यू० एम० त्रिवेदी	११२	११८

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब संशोधन अब चर्चा के लिये सभा के सामने हैं।

श्री गाडगील (पूना—मध्य) : समानुपाती मताधिकार के बारे में भाभा समिति की सिफारिशों का ठीक-ठीक निर्वचन कठिन है। खंड ८९ ऐसा ही रहना चाहिये। मैं वित्त मंत्री जी से यह विचार करने के लिये कहूंगा कि "तीन वर्षों की अवधि" के स्थान पर "एक वर्ष की अवधि" रखा जाये।

श्री तुलसीदास : मैं खंड ८७ और ८९ के सम्बन्ध में अपने संशोधन संख्या १७४ और १७६ के बारे में बोलना चाहता हूं। अंशों के इन वर्गों के दुरुपयोग की बात मैं जानता हूं। विधेयक में अ-अनुपाती या असमान मताधिकार, पूंजी, लाभांश आदि की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के उपबन्ध न तो वर्तमान अधिनियम में है और न ही इंगलिस्तान या किसी और देश के अधिनियम में है। अल्पसंख्यकों के हाथ मे कम्पनी का नियंत्रण न जा सके, इसलिये भाभा समिति ने ऐसे उपबन्ध की सिफारिश की थी। परन्तु अंशों के मताधिकार वाला वह तर्क पूंजी और लाभांश के बारे में नहीं लग सकता। कम्पनी ऋणग्रस्त हो और उस के अंश आधे मूल्य में बिकते हों, तो उस कम्पनी के बारे में बाजार में साधारण या पूर्वाधिकार वाली पूंजी इकट्ठा करना सम्भव नहीं हो सकता। और वह भी जब खंड ७८ के अधीन सरकार की मंजूरी के बिना १० प्रतिशत से अधिक के घाटे (डिस्काउंट) पर अंश नहीं दिये जा सकते।

श्री सी० सी० शाह : पूर्वाधिकार अंश सदैव दिये जा सकते हैं।

श्री तुलसीदास : पर क्या ऋणग्रस्त कम्पनी के लिये पूंजी एकत्र करना संभव है। उस के पूर्वाधिकार अंश भी कोई न लेगा। मैं मताधिकार नहीं, बल्कि पूंजी और लाभांश का ही उल्लेख कर रहा हूं। कम्पनी के प्रवर्तकों को कुछ स्वाधीनता मिलनी चाहिये। निगमित संस्थायें भी अन्य संस्थाओं की स्पर्धा में टिक सकने योग्य होनी चाहियें और इस बारे में विधि लचीली होनी चाहिये। अन्यथा अनेक कम्पनियां असफल रहेंगी। यदि पूंजी और लाभांश पर कुछ पूर्वाधिकार दिया जाता है, तो इस में अल्पसंख्यकों के नियंत्रण का कोई प्रश्न नहीं है। भाभा समिति ने मताधिकार के बारे में सिफारिश की है।

[श्री तुलसीदास]

मेरा संशोधन केवल लाभांश और पूंजी के बारे में है ।

श्री सी० डी० देशमुख : तब क्या वे पूर्वाधिकार अंश न होंगे ?

श्री तुलसीदास : यह पूंजी-अधिकार का प्रश्न हो सकती है और कम्पनी के समाप्त होने पर पूंजी बटोरने के लिये उन्हें विशेष अधिकार दिया जाये ।

श्री सी० डी० देशमुख : परिभाषा में जो भी साधारण अंश नहीं, वह पूर्वाधिकार अंश है ।

श्री तुलसीदास : खंड ८७ के अनुसार मताधिकार या लाभांश अधिकार किसी के भी बारे में विशेष अधिकार वाले अंश न दिये जायेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : यदि मताधिकार को छोड़ कोई और असमान अधिकार हैं, तो परिभाषा के अनुसार वे तुरन्त पूर्वाधिकार अंश हो जायेंगे, जिन पर खंड ८७ में कोई रोक नहीं है ।

श्री तुलसीदास : मेरा संशोधन संख्या १७४ केवल लाभांश और पूंजी के अधिकारों को ही लेता है और भाभा समिति ने अल्पसंख्यकों के नियंत्रण का हेतु बनने के कारण असमान मताधिकार पर आपत्ति की है ।

सभापति महोदय : वे पूर्वाधिकार अंश से कैसे भिन्न समझे जायेंगे ।

श्री तुलसीदास : मान लो, प्रवर्तक के अंश या ऐसे ही कुछ अंश हैं, जिन के बारे में असमान मताधिकार का प्रश्न नहीं, पर पूंजी और लाभांश के बारे में विशेषाधिकार.. .....

श्री सी० डी० देशमुख : वे पूर्वाधिकार अंश ही कहे जायेंगे ।

श्री तुलसीदास : हो सकता है वे पूर्वाधिकार अंश न हों और पूंजी के बारे में असमान अधिकार वाले अंश हों ।

श्री सी० डी० देशमुख : परिभाषा के अन्तर्गत वे 'पूर्वाधिकार-अंश' ही कहे जायेंगे ।

श्री के० के० बसु : दो वर्ग होंगे, एक में असमान-अधिकार न दिये जायेंगे, दूसरे में सब प्रकार के विशेष अधिकारों वाले अंश आयेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : खंड ८७ के अधीन आप प्रवर्तक अंश न दे सकेंगे और साधारण अंशों के अतिरिक्त सभी अंश पूर्वाधिकार अंश होंगे और खंड ८७ में अंश दिये जाने पर रोक नहीं है । कोष्ठकों के भीतर के एक भाग में कहा गया है, "पूर्वाधिकार अंश न होने पर" ।

श्री तुलसीदास : वह आप की व्याख्या है । अस्तु मैं इसे यहीं छोड़ता हूं ।

संशोधन संख्या १७६ के बारे में मैं मानता हूं कि असमान मताधिकार होने पर अल्पसंख्यक लोग नियंत्रण को अपने हाथ में ले लेते हैं । दुरुपयोग के जो उदाहरण श्री शाह ने दिये थे, वह सब प्रबन्धक एजेंटों के ही कारण हुआ था । थोड़ी सी पूंजी लगा कर और असमान मताधिकार के कारण वे कम्पनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले कर उस के प्रबन्धक एजेंट बन जाते हैं । मेरा संशोधन चाहता है कि प्रबन्धक एजेंटों आदि वाली कम्पनियों को ही ये अधिकार न दिये जायें । यह रोक उन कम्पनियों पर न लगाई जाये, जिन में प्रबन्धक एजेंट आदि नहीं हैं । हम प्रबन्धक एजेंटों वाली कम्पनियों पर उन में हुए दुरुपयोग के कारण नाना प्रकार के बन्धन लगा रहे हैं । परन्तु हमें एक वैकल्पिक प्रणाली भी निकालनी है और दुनिया में प्रचलित प्रणालियों को भी ध्यान में रखना

है । अतः प्रबन्धक एजेंटों वाली कम्पनियों पर बन्धन लगाते समय हमें सभी पर सामान्य बन्धन न लगा देने चाहियें । अमेरिका और इंगलैंड में निदेशकों द्वारा नियंत्रित कम्पनियां हैं और असमान मताधिकार पर कोई रोक नहीं है । हां, इंगलैंड में बाद में यह प्रणाली समाप्त हो गई । अतः प्रबन्धक एजेंटों के बिना चलने वाली कम्पनियों पर यह बन्धन न लगाया जाना चाहिये । अन्यथा हम नई प्रणालियां न बना सकेंगे । अन्य देशों में कोई इंजीनियर या केमिस्ट अपनी खोज के आधार पर एक कम्पनी चलाना चाहता है और उसे पैसा लगाने वाले के नहीं बल्कि अपने नियंत्रण में रखना चाहता है । हम भी नई प्रणालियों को चालू करना चाहते हैं । कोई भी नया उपक्रमी असमान मताधिकार वाले अंश नहीं बेच सकता, वह तो चालू कम्पनियां ही कर सकती हैं । अतः प्रबन्धक एजेंटों के बिना चलने वाली कम्पनियों को यह अधिकार देने में क्या हानि है ? बोर्ड द्वारा नियंत्रित कम्पनियों में भी कुछ बुराइयां हो सकती हैं, परन्तु हमें सभी पर सामान्य बन्धन नहीं लगा देना चाहिये । मेरा संशोधन अन्य प्रकार की कम्पनियों को इस बन्धन से मुक्त कर देता है मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस पहलू पर विचार करें ।

खंड ११० के बारे में श्री सी० सी० शाह ने अपने ३० वर्ष की वकालत के अनुभव के बल पर जो तर्क दिये हैं उन में मैं उन की होड़ नहीं कर सकता । मेरे संशोधन संख्या १७९ से १८५ अंशों के हस्तांतरण का इनकार होने पर अपीलों की सुनवाई के बारे में हैं । जैसा अब उपबन्ध है ये अपीलें केन्द्रीय सरकार के स्थान पर उच्च न्यायालय को की जायेंगी और लिखित के स्थान पर जैसा अब उपबन्ध है मौखिक रूप से भी की जा सकेंगी और ऐसी स्थिति में वे गुप्त रूप से सुनी जायेंगी ।

विद्यमान भारतीय अधिनियम में और इंगलैंड के अधिनियम में कहीं पर भी ऐसे उपबन्ध नहीं हैं । कम्पनी एक ऐच्छिक संघ है जिसकी सदस्यता की शर्तों के बारे में उसे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये । भाभा समिति ने पूरे भुगताये गये अंशों के हस्तांतरण में अस्वीकृति होने पर अपील के अधिकार की सिफारिश की थी । उस में पूरे भुगता हुए होने से पूंजी के आहूत होने का प्रश्न नहीं उठता । पर भाभा समिति ने पेशेवर गड़बड़ी पैदा करने वालों का ध्यान नहीं रखा था । आशा है, जो भी यह अपील सुनेगा, इस पहलू पर ध्यान रखेगा । न्यायालयों की भांति विभागीय जांच में भी देर हो सकती है । विभागीय व्यक्ति के लिए भी कारणों का निश्चय कर सकना कठिन है परन्तु अब दोनों अपने-अपने कारण देंगे यह बात पहले न थी । परन्तु मैं वकील नहीं फिर भी मेरा ख्याल है कि सरकार के निर्णय के बाद भी लोग शायद न्यायालय तक जा सकेंगे । वकील तो मामला ठीक होने पर भी लोगों को फुसला कर न्यायालयों में ले जाते हैं ।

श्री सी० सी० शाह : सरकारी निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं हो सकती ।

श्री तुलसीदास : वे अन्य निर्णयों के लिये न्यायालय जा सकते हैं । यह भारी उत्तरदायित्व सरकार को अपने ऊपर न लेना चाहिये । यदि न्यायालय निर्णय करेंगे तो दोनों में से किसी पक्ष को शिकायत न रहेगी, अन्यथा दूसरा पक्ष सरकार को दोष देगा । फिर भी यदि सरकार जानते हुये भी वह उत्तरदायित्व लेना चाहती है, तो दूसरी बात है ।

अब मैं माननीय श्री सी० सी० शाह का ध्यान खंड १३९ अपने संशोधन संख्या १८८ की ओर आकर्षित करूंगा ।

[श्री तुलसीदास]

पंजीयकों के लिए संतोष-ज्ञापन की प्रति अनिवार्य रूप से भेजना आवश्यक बनाने के लिए मैं "यदि वैसा अपेक्षित हो" शब्द हटा देना चाहता हूं। चूंकि खंड १३८ के अधीन कम्पनी के ऋणदाता पंजीयक के पास संतोष-पत्र भेज सकेंगे और संभव है कम्पनी को पता भी न चले, अतः यह आवश्यक है। अतः पंजीयक के लिए उनका भेजना अनिवार्य बना दिया जाना चाहिये।

श्री झुनझुनवाला : मैं खंड ११० के अपने संशोधन संख्या ३९६ के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। हस्तांतरण की अनुमति न मिलने से लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई हैं। श्री सी० सी० शाह ने अपने अनुभव से बताया था कि प्रबन्धक एजेंटों के विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठा न कर सकने के कारण अंशधारी न्यायालय में सफल न हो पाते थे।

श्री सी० सी० शाह : प्रबन्धक एजेंट नहीं, बल्कि बोर्ड।

श्री झुनझुनवाला : बोर्ड भी प्रबन्धक एजेंटों के हाथ में है। यदि बोर्ड स्वतंत्र होता तो शिकायत ही क्या थी। मैं इस खंड से सहमत हूं कि पेशेवर और अवांछित व्यक्तियों के अंशों पर कब्जा न करने दिया जाये। सरकार ने प्रबन्धक एजेंटों पर भरोसा रखते हुए यह शक्ति उन्हें दी थी, पर उन्होंने और बोर्ड ने मनचाही दरों पर अंश बेचने के लिये अंशधारियों को विवश किया। पर अब भी इतने उपबन्धों के होते हुए भी यदि श्री नथवानी और श्री मुरारका के संशोधन स्वीकार न किये गये, तो ऐसे बोर्ड फिर बन जायेंगे और अंशधारियों को तंग करेंगे।

खंड ११० (३) में यह उपबन्ध रखा गया है कि हस्तांतरण न हो सकने पर वह अंशधारी केन्द्रीय सरकार से अपील करेगा, और सरकार कम्पनी, हस्तांतरक (ट्रांसफरर) और हस्तांतरिती (ट्रांसफरी) तीनों से जांच कर के हस्तांतरण का निर्णय देगी। यह निर्णय कम्पनी को मानना होगा।

हस्तांतरक और हस्तांतरक को यह लिख कर देना होगा कि वे हस्तांतरण चाहते हैं। इस से अधिक और वे क्या कह सकते हैं, क्योंकि कारण तो प्रबन्धक एजेंट उन को बतायेंगे ही नहीं। वह यह किस प्रकार सिद्ध कर सकेंगे कि प्रबन्धक एजेंट या बोर्ड के मन में असद्भाव हैं। मुझे अपील के, सरकार या न्यायालय में से किसी के पास जाने में भेद नहीं मालूम पड़ता। मैं श्री तुलसीदास की इस बात से सहमत हूं कि सरकार अधिक समय लगायेगी।

श्री गाडगील : बड़ी शीघ्रता से।

श्री झुनझुनवाला : इसके अतिरिक्त उन्हें व्यय और वकीलों आदि के पास जाने के कष्ट से भी छुटकारा मिलेगा। वे केवल अपने विलेख का हस्तांतरण ही करना चाहते हैं। यदि कारण ठोस हों तो उन्हें केन्द्रीय सरकार के पास आने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

श्री सी० डी० देशमुख : ठोस कारण यही हो सकता है कि व्यक्ति स्वयं बुरा है।

श्री झुनझुनवाला : अब मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि व्यक्ति के बुरा होने के तथ्य का प्रमाणित करना निदेशकों या प्रबन्ध अभिकर्ताओं का उत्तरदायित्व है या स्वयं उस व्यक्ति का ?

सभापति महोदय : मालिकों का सवाल केवल तभी उठता है जब मामला न्यायालय के सामने हो।

श्री झुनझुनवाला : यह मामला सरकार के समक्ष होगा। मैं नहीं जानता कि सरकार इस का फैसला किस आधार पर करेगी।

क्या सरकार प्रबन्ध अभिकर्ता से हस्तान्तरण न करने के कारण पूछेगी ?

श्री ए० एम० थामस : उपधारा (५) के अन्तर्गत उन्हें बाद में इन कारणों के बतलाने में विवश होना ही पड़ेगा ।

श्री झुनझुनवाला : क्या ये कारण उस व्यक्ति को बताए जायेंगे जिसे शेयर को हस्तान्तरित करना है ।

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां ।

श्री झुनझुनवाला : फिर तो यह कुछ न कुछ सारभूत बात हुई ।

सभापति महोदय : प्रस्तावक के संशोधन के अनुसार सरकार से बोर्ड को अपना एक-पक्षीय निर्णय देना होगा ताकि बोर्ड के निर्णय का पुष्टीकरण हो सके । संशोधन का अभिप्राय यही होगा कि समवाय सरकारी अनुमोदन को हस्तान्तरण होने वाले व्यक्ति की अनुपस्थिनि में प्राप्त कर लेगी ।

श्री झुनझुनवाला : वर्तमान विधि के अन्तर्गत यह आशंका रहेगी कि कोई सट्टे-बाज इसका अनुचित लाभ उठावे—चाहे प्रबन्ध अभिकर्ता शेयरों के हस्तान्तरण के लिये तैयार भी हो जाय । वह सट्टेबाज अपनी बहुसंख्या के बल पर शेयर अपने हाथ में कर लेगा । मेरे मत से शेयरों के हस्तान्तरण में प्रायः इन्कार नहीं किया जाना चाहिये । अतएव मेरा यह कहना है कि जो व्यक्ति शेयरों का हस्तान्तरण करना चाहता है तथा जिसे ये शेयर हस्तान्तरित होने हैं—परन्तु ऐसा व्यक्ति सट्टेबाज न हो, उन्हें यथा सम्भव ऐसा करने में कष्ट का सामना नहीं होना चाहिये । यदि प्रबन्धकर्ता और निदेशक ईमानदार हों तो इन्कार के मामले बहुत कम होंगे । वित्त मंत्री से मेरा निवेदन है कि शेयरों के हस्तान्तरण के कराने वालों को सरकार के पास आने में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है । यह तो प्रबन्ध अभिकर्ता से पूछा जाना चाहिये कि किन कारणों से कोई व्यक्ति खतरनाक और अवांछनीय समझा गया है तथा कम्पनी को उस व्यक्ति से किस प्रकार खतरा हो सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे : पांच बज चुके हैं तथा अब सभा स्थगित होने का समय है ।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति का विचार है कि सभा को छः दिन एक घंटा अधिक तक बैठना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा विचार था कि हम पांच बजे तक ही बैठेंगे । मुझे पांच के बाद एक आवश्यक काम है ।

सभापति महोदय : तो आज हम सभा को स्थगित करते हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, शुक्रवार २६ अगस्त, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।